तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४६

शुक्रवार, १९ अप्रैल, १९६३
२९ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या ६४१ से ६५१ और ६५३ से ६५७	४६२१–४८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	४६४८–५२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ और ६५८ से ६६५	४६५३–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७८ से २१०२, २१०४ और २१०६ से २१२२	४६५८–७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६७६–७७
मिठानी और श्रीपुर कोयला खानों में दुर्घटनायें	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६७७
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३—पारित	४६७७–७८
वित्त विधेयक, १९६३	४६७८–९४
विचार करने का प्रस्ताव	४६७८
श्री ह० च० सोय	४६७८–८०
श्री श्याम लाल सर्राफ	४६८१–८२
श्री सुबोध हंसदा	४६८२
श्री मुरारका	४६८३–८४
श्री वारियर	४६८४–८५
श्रीमती जमुना देबी	४६८५–८८
डा० प० मंडल	४६८८
श्री केप्पन	४६८८–८९
श्री रंगा	४६८९–९१
श्री बैं० ना० कुरील	४६९१–९३
श्रीमती ज्योत्सना चंदा	४६९३–९४
श्री कोया	४६९४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ट तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ अप्रैल, १९६३

२९ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेरियामंगलम् में पादप-रासायनिक' परियोजना

+

†*९४१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोया :
श्री मणियंगाडन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेरियामंगलम् पादप-रासायनिक परियोजना में अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं के ब्योरों को रूसी प्राधिकारियों से परामर्श के साथ अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मशीनों के निर्माण और संभरण के लिये किसी ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Phyto Chemical.

†श्री सुबोध हंसदा : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'नहीं' बताया। क्या मैं यह समझूं कि क्या परियोजना स्थापित करने में हाथ बंटाने के लिए भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है?

†श्री कानूनगो : प्रश्न निर्माण का नहीं है। प्रश्न तो यहां अपनायी जाने वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं के बारे में था। रूस सरकार इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहभागी है। कैफीन तैयार करने के लिए हमने एक विशिष्ट शैली का सुझाव दिया था और वे उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस परियोजना पर सारा खर्च रूसी ऋण में से किया जायगा या उसका कुछ ही भाग खर्च किया जायगा?

†श्री कानूनगो : स्थानीय खर्च भारत सरकार को करना होगा। पूंजीगत व्यय अधिकतर रूसी ऋण में से दिया जायगा।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या भारतीय विशेषज्ञों ने इस प्रक्रिया के बारे में अपने सुझाव दिये थे और यदि हां, तो वे क्या थे?

†श्री कानूनगो : जी नहीं, किसी ने नहीं दिये थे। किसी भी हालत में, मशीने तो रूस में विदित प्रक्रियाओं के अनुसार ही तैयार करानी होंगी।

†श्री अ० क० गोपालन : इस परियोजना के संबंध में अंतिम निश्चय करने में देर और कठिनाइयों के क्या कारण हैं?

†श्री कानूनगो : मूल कल्पना यह थी कि कैफीन चाय के चूरे से तैयार की जाये। बाद में यह मालूम हुआ कि वह पर्याप्त मात्राओं में उपलब्ध नहीं है और न ही उसका मूल्य आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। अब चाय की रद्दी से कैफीन तैयार करने के एक नये तरीके पर विचार और काम किया जा रहा है।

†श्री कोया : चाय के चूरे की उपलब्धि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किये बगैर अर्जन और अन्य चीजों के लिए आर्डर क्यों दिया गया था?

†श्री कानूनगो : जमीन इसलिए ली गयी थी कि किसी भी हालत में वहां कारखाना बनाना ही था। कैफीन मुख्य वस्तु है, बाकी और भी कई वस्तुएं तैयार की जायेंगी। वह उस क्षेत्र में उपलब्ध जड़ी बूटियों के उपयोग के लिए होगा।

†श्री मणियंगाडन : क्या मंत्री महोदय इस बात का कोई अंदाज बता सकते हैं कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी।

†श्री कानूनगो : जी, नहीं।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी? उसमें से कितनी सेवाओं के लिए और कितनी मशीनों के लिए होगी?

†श्री कानूनगो : मैं वह अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी प्रक्रिया निर्धारित करनी है और तब मशीनों आदि की लागत निकाली जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि इस कारखाने की स्थापना के लिए जो शिड्यूल निश्चित किया गया था, उस से काफ़ी देरी हो गई है और क्या इस को जल्दी स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काननगो : कार्यवाही की जा रही है और शिड्यूल में कुछ ज्यादा फ़र्क नहीं हुआ है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

+

†*९४२. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वर्तमान उत्पादन क्षमता को दुगुना करने के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) अतिरिक्त प्रविधिक कर्मचारियों को भरती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कारखानों में उत्पादन दुगुना करने के लिए आवश्यकता लगभग कितनी है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : विस्तार के लिए प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता इस प्रकार है : भिलाई के लिए २३० इंजीनियर रूरकेला के लिए, १९४, और दुर्गापुर के लिए १९० । दूसरे तथा कुशल कर्मचारियों की संख्या लगभग १०,५०० है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हमारे प्रविधिक कर्मचारियों को किन देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्या है और वे कब तक अपने काम पर आ जायेंगे ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : उन्हें ब्रिटेन, रूस, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रशिक्षण दिया गया है । इसके बाद उन्हें कनाडा, फ़ांस और रूस भेजा जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : वह आवश्यकता के अनुसार होगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस मंत्रालय के माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्रालय की मांगों पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह घोषित किया था कि स्टील कैडेट्स की ट्रेनिंग की स्कीम शुरू की जायगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन को किस तरह की विशेष ट्रेनिंग दी जायगी और वह स्कीम कब प्रारम्भ होने वाली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, स्टील कैडेट्स की योजना शुरू की जाने वाली है और इस योजना के अधीन १७–१८ वर्ष की आयु के नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह भी था कि वह स्कीम कब प्रारम्भ हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कब शुरू होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : ठीक ठीक तारीख बताना मुश्किल है लेकिन उस पर विचार हो रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऐसी कोई योजना है कि जिन कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है उनके वापिस आने पर, यहां अपना स्वतंत्र प्रशिक्षण कम चलाने में उनका उपयोग किया जा सके ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : तीनों ही इस्पात कारखानों में हमारा प्रशिक्षण कार्य चल रहा है और हमारे पास उसके लिए प्रशिक्षक लोग हैं ।

†**डा० उ० मिश्र** : क्या सरकार जानती है कि काफी संख्या में उच्च योग्यता प्राप्त प्रविधिक कर्मचारी बेकार हैं, जिनमें टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा १९५८ में निकाले गये ४०० अनुभवी कर्मचारी शामिल हैं, और यदि हां, तो क्या प्रविधिक कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए उन्हें हिन्दुस्तान स्टील में नियुक्त किया जायगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जब भरती की जायगी तब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उनके मामले पर यदि––वे उपयुक्त होंगे तो––अवश्य विचार करेगा ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हिन्दुस्तान स्टील के प्रबन्ध के ढांचे में अभी कोई खास परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो क्या ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : वह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता लेकिन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन किया गया है ।

श्री यशपाल सिंह : इस सदन में कई दफ़ा कहा गया है और थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान में भी स्टील-ओरियन्टेड इंस्टीट्यूट्स का जिक्र किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने स्टील-ओरियन्टेड इंस्टीटयूट्स कायम किये गए हैं ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : तीनों ही कारखानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम है । इसके अलावा, टेल्को, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और अन्य कई उद्योगों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या विभिन्न इस्पात परियोजनाओं के लिए प्रविधिक कर्मचारियों की भरती के समय, विभिन्न प्रदेशों के सम्बन्ध में विचार किया गया था और सभी राज्यों से भरती के मामले में कोई एकरूपता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जहां तक अकुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रादेशिक बातों पर विचार किया गया था लेकिन प्रविधिक कर्मचारियों को गुणों के आधार पर लिया जा रहा है।

भारतीय चाय प्रतिनिधि-मंडल

+

†*९४३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय प्रतिनिधि-मण्डल ने, जो आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड और सिंगापुर की यात्रा पर गया था, इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये एक संयुक्त सम्बर्धन योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) प्रतिनिधि-मण्डल की अन्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) प्रतिनिधिमंडल ने केवल आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में ही संयुक्त संवर्धन की सिफारिश की थी ।

(ख) **आस्ट्रेलिया** :—

(१) संयुक्त संवर्धन के अलावा प्रतिनिधि-मंडल ने एक राष्ट्रीय आन्दोलन की सिफारिश की थी जो सिडनी में चाय केन्द्र और बड़े बड़े शहरों में चाय बार की स्थापना के रूप में होगा ।

(२) भारत को शुद्ध भारतीय चाय का आन्दोलन शुरू करना चाहिये ।

(३) भारतीय चाय को लोक प्रिय बनाने के लिए जन सम्पर्क के लिए विस्तृत क्षेत्र होना चाहिये ।

(४) आस्ट्रेलिया के बाजारों में भारतीय चाय को अधिक आकर्षक बनाने के लिए भारत में कदम उठाने जाने चाहिये ।

(५) आस्ट्रेलिया के बाजारों के लिए भारतीय चाय का क्षेत्र बढ़ाने के लिये चाय बोर्ड को आस्ट्रेलिया के खरीददारों के लिए सेवाएं संगठित करनी चाहिये और उन पर खर्च करना चाहिये ।

(६) आस्ट्रेलिया के चाय खरीददारों और प्रमुख फर्मों को भारत आने के लिए आमंत्रित करना चाहिये ताकि वे भारत के चाय क्षत्र और नीलामी देख सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यूज़ीलैंड :—

(१) आस्ट्रेलिया में व्यापार के लिए सिफारिश किये गये तरीकों पर बोर्ड से सैम्पलिंग सर्विसेज़ चालू करके भारतीय निर्यात में काफी वृद्धि की जा सकती है।

(२) भारत से उपलब्ध चाय की अनेक किस्मों के बारे में खरीददारों की जानकारी बढ़ाने के लिए व्यापारियों को भारत आने का निमंत्रण देने से चाय की बिक्री के अवसर प्राप्त होंगे।

(३) कुछ जन-सम्पर्क कार्य भी आवश्यक हैं।

सिंगापुर :—

(१) चाय व्यापारी संघों, भारतीय व्यापारियों और बड़ी बड़ी ब्रिटिश फर्मों को भारतीय चाय के नमूने बांटे जाने चाहिये ताकि भारत के साथ व्यापार के प्रति अनिच्छा दूर की जा सके।

(२) सिंगापुर के धनी लोगों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये सिंगापुर में बड़े बड़े स्टोर्स के साथ सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है। भारतीय व्यापारियों को उन्हें विज्ञापन सामग्री भेज कर निर्यात बढ़ाना चाहिये।

(ग) आस्ट्रेलिया की चाय परिषद् भी हाल में बनायी गई है जिसमें आस्ट्रेलिया के व्यापारियों ने श्री लंका और भारत के साथ सहयोग करना स्वीकार कर लिया है। आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के व्यापारियों के लिये सैम्पलिंग सर्विस चालू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : निर्यात शुल्क कम करने और उत्पादन शुल्क बढ़ाने से चाय के निर्यात व्यापार में कहां तक मदद मिलेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में उससे मदद मिलनी चाहिये। पिछले तीन महीनों के आंकड़ों से यह दिखाई पड़ता है कि वह बढ़ रहा है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : उन प्रदेशों में अभी कितना निर्यात होता है और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९४३–४४ में आस्ट्रेलिया को २ करोड़ पौंड चाय भेजी गई थी और धीरे धीरे वह ३० लाख पौंड रह गई लेकिन १९६१ में वह ४१ लाख पौंड थी और १९६२ में वह ११६ लाख पौंड तक पहुंच गई है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच है कि उन क्षेत्रों में खासकर श्री लंका और चीन की चाय काफ़ी बेची जाती है जब कि भारत के चाय का वहां कोई प्रचार ही नहीं किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चाय के मामले में चीन से अधिक प्रतिद्वन्दिता नहीं है, हां, इण्डोनेशिया से कुछ हद तक है। परन्तु मुख्यतः प्रतियोगिता श्री लंगा के साथ है। पहले वही बाजार हमारे हाथ से निकल गया है। अब हम अपना निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इन देशों के भावी खरीदारों को भारतीय चाय की किस्म के बारे में कम जानकारी होने के कारण ही निर्यात कम हो गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री मनुभाई शाह** : वह किस्म की कमी नहीं, प्रयत्न की कमी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से दिखाई पड़ता है कि प्रतिनिधि मंडल ने केवल आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में ही संयुक्त संवर्धन की सिफारिश की थी। क्या हम यह समझें कि सिंगापुर और न्यूजीलैंड के मामले में संयुक्त संवर्धन की कोई गुंजाइश नहीं है और अच्छी किस्म की कितनी चाय इन देशों को भेज जा रही है और क्या घटिया दर्जे की चाय ही देश में खपत के लिए रखी जा रही है?

†**श्री मनुभाई शाह** : एसी बात नहीं है। भारत में और सारी दुनिया में चाय की खपत का एक ही ढांचा है--कुछ अच्छी किस्म की चाय बेची जाती है और हर जगह सामान्य चाय ही रहती है। चाय की खपत में हम बहुत खोजबीन करते हैं। इसलिये सामान्य चाय, घटिया दर्जे की चाय ही बाहर भेजी जाती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जिन देशों को हमारी चाय भेजी जाती है वहां जन सम्पर्क कार्य करने के लिये १९६१, १९६२ और १९६३ में क्या कार्यवाही की गई?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने कई कदम उठाये हैं जिनमें जनसम्पर्क कार्य को मजबूत बनाना, चाय केन्द्र खोलना आदि शामिल हैं और मैंने बताया है कि एक साथ में हमारा निर्यात ४० लाख से ११० लाख पौंड तक बढ़ गया है। इसलिए कुछ परिणाम सामने आ रहा है।

कटनी में उर्वरक का कारखाना

†*९४४. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कटनी में एक उर्वरक का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा।

(ग) क्या संयंत्र के लिये कोई विदेशी सहायता मांगी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस देश से सहायता ली जायेगी और उस सहायता की क्या शर्तें हैं?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) मध्य प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है। स्थान के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६६ के अन्त तक ।

(ग) और (घ). परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत भविष्य में प्राप्त होने वाले विदेशी ऋणों से पूरी करने का विचार है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि किस देश से यह उपलब्ध होगा ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ: क्या मैं जान सकता हूं कि जो प्लान्ट लग रहा है उस की क्षमता कितनी होगी और हमारे देश के लिए कितने फर्टीलाइजर की आवश्यकता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहाँ तक लगने वाले प्लान्ट की क्षमता का प्रश्न है, इस में १ लाख टन नाइट्रोजन की क्षमता होगी, और इस समय देश को १ मिलियन टन फर्टीलाइजर की आवश्यकता है ।

श्री यशपाल सिंह : इस प्लान्ट का बेस क्या होगा ? इस का रा मैटीरियल क्या होगा जिस से आप इस को तैयार करेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्लान्ट कोल पर आधारित होगा ?

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस कारखाने को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय हो गया है । मध्य प्रदेश में कटनी का नाम इस कारखाने के लिये लिया जा रहा था । क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इस का निर्णय हुआ या नहीं कि यह वहां स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यद्यपि हमने इसे कटनी में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था फिर भी बाद में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से पूछा गया और उस ने यह प्रस्ताव रखा कि वह कोयला क्षेत्रों के आस-पास होना चाहिये । इसलिये इस प्रश्न पर फिर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : उर्वरक किस किस्म का होगा और कितना कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिये ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : हम एक लाख टन नाइट्रोजन और यूरिया तैयार करेंगे । कच्चा माल कोयला होगा । उस की ठीक ठीक मात्रा के आंकड़े बताना कठिन है ।

†**श्री दाजी** : चूंक उर्वरक कारखाने का यह मामला काफी समय से विचाराधीन है इसलिये सरकार अन्तिम निर्णय कर के इसे कब तक चालू करेगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : हम शीघ्रता करना चाहते हैं और हम उसे यथाशीघ्र करेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि आरम्भ में यह उर्वरक कारखाना इटारसी के पास स्थापित करने की योजना थी और यदि हाँ, तो उसे क्यों बदल दिया गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जब गैर-सरकारी पार्टी को लाइसेंस दिया गया था तब उसे इटारसी में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । बाद में जब सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लेने का निश्चय किया तो कटनी उपयुक्त स्थान समझा गया । वहां एक दल भेजा गया था और उस ने यह फैसला किया कि कटनी अधिक अच्छी जगह है ।

†**श्री त्यागी** : हर साल लगभग कितनी लागत के उर्वरक भारत में आयात किये जाते हैं और इस कारखाने की पुंजीगत लागत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इस कारखाने की पूंजी लागत लगभग ३२ करोड़ रुपये से ३४ करोड़ रुपये है । दूसरा प्रश्न अभी इस से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या अमरीकी विशेषज्ञों ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस में यह कहा गया है कि इस कारखाने के लिए घटिया किस्म का कोयला उपलब्ध किये जाने के कारण इस उर्वरक की लागत ज्यादा होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : संयुक्त राष्ट्र संघ के उर्वरक मिशन से एक विशेषज्ञ डा० एवेल यहाँ आये थे और उन्हों ने इस कारखाने को लाभदायक नहीं समझा । इसीलिये गैर-सरकारी पार्टी ने उस को छोड़ दिया ।

राजकोट में आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र

†९४५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अमरीका सरकार ने राजकोट में भारत-अमरीका आद्यरूप (प्रोटोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र को और सहायता देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) भारत सरकार और अमरीका के टैक्नीकल कोआपरेशन मिशन के बीच एक करार के अधीन अमरीकी सहायता से फरवरी, १९६० में आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, राजकोट में स्थापित किया गया था । केन्द्र के काम से जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस से पूर्व योजना के अनुसार उस का विकास करने की कुछ कठिनाइयां सामने आयीं । उस के अनुसार उस योजना की छानबीन की गयी और कुछ परिवर्तित तथा सीमित आधार पर परियोजना को जारी रखने का निश्चय किया गया । इस सीमित कार्यक्रम के लिए अमरीकी सरकार से कोई सहायता आवश्यक नहीं समझी गयी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि राजकोट के पास एक संचालक के अमरीकी परामर्शदाता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वह कार्य कुशल अफसर नहीं था क्या उसे उस जगह से हटा दिया गया है और ओखला में उसे संचलक के रूप में रखा गया है ?

†**श्री कानूनगो** : ऐसी कोई बात नहीं है । मूल कल्पना यह थी कि हम राजकोट में कम जमीन पर ही परियोजना चालू करना चाहते थे । बाद में हम ने देखा कि ज्यादा जमीन की जरूरत होगी और गुजरात सरकार ने इस परियोजना के लिए और जमीन ले ली है । इसलिये इस योजना को बदल दिया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संचालक वहां अकुशल समझा जाता था उसे ओखला बदल दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : सामान्यतः सयमय समय पर बदली होती रहती है लेकिन माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, वह गलत है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : राजकोट में इस विशिट आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी और वहां उत्पादन कितना हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : मेरे पास आँकड़े नहीं हैं। किसी भी हालत में, आय और व्यय का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम हैं ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किन कठिनाइयों के कारण दो साल के अन्दर ही सारी योजनायें रद्दोबदल करना पड़ा ?

†श्री कानूनगो : कठिनाई जमीन और इमारतों के बारे में थी। यह मुख्यत: लकड़ी के काम से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र है और हम उसे कुछ ही मदों तक सीमित रखना चाहते हैं और फैलाना नहीं चाहते ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह केन्द्र अन्यत्र स्थापित केन्द्र के प्रचलित ढांचे पर था या उस से अलग ढांचे पर था और चूंकि अब वह ढांचा बदला जा रहा है तो उस की क्या स्थिति होगी ?

†श्री कानूनगो : उस का ढांचा आद्यरूप प्रशिक्षण केन्द्र के ढांचे जैसा ही है। लेकिन प्रत्येक केन्द्र में निर्माण और प्रशिक्षण की मदें अलग अलग होती हैं। और इस विशिष्ट केन्द्र में कुछ किस्म की मशीनों के नमूने ही तैयार किये जाते हैं। जो दूसरी जगह नहीं बनाये जाते।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या अमरीकी सरकार की अनिच्छा के कारण ही इस योजना में रद्दोबदल करना पड़ा और यदि नहीं तो किन बातों के कारण सरकार इस योजना में रद्दोबदल करने के लिए बाध्य हुई ?

†श्री कानूनगो: इस का कारण यह था कि अमरीकी सरकार की जो भी मदद प्राप्त हुई थी वह योजना चलाने के लिये पर्याप्त थी। वह हमारे अपनी इच्छा की बात थी, न कि अमरीकी सरकार की इच्छा की। हम ने उस में परिवर्तन किया और हम अपने विचार के अनुसार वह कार्यक्रम चला रहे हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या ओखला स्थित यह विशिष्ट आद्यरूप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र ने कुछ मशीनी हिस्से और दूसरी चीजें भी तैयार की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस केन्द्र में अब तक जमीन प्राप्त करने के अलावा और कोई भी चीज तैयार की गयी है ?

†श्री कानूनगो : इस प्रकार की संस्था में निर्माण का कोई कायक्रम नहीं है। यद्यपि वह उस का अन्तिम उद्देश्य अवश्य है। सब से पहले हम प्रशिक्षण चाहते हैं जिस के लिए कुछ मशीनें लगायी गयी हैं। हमें दो बार यह कार्याक्रम स्थगित करना पड़ा क्योंकि उपलब्ध जमीन पर्याप्त नहीं समझी गयी। इमारतें अभी तक तैयार नहीं हुई। इसलिये इमारतें तैयार हो जाने के बाद ही मशीनें ले जानी होंगी। निर्माण बाद में होगा। अभी हमारे सामने प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, निर्माण का नहीं।

†श्रीमती सावित्री निगम : इस केन्द्र से कितने प्रशिक्षणार्थीयों ने योग्यता प्राप्त की है और क्या कुछ प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

†श्री कानूनगो : अभी तक, १६७ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। ८९ व्यक्तियों का एक दल, जून, १९६३ तक अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। वहाँ कोई प्रशासनिक समस्या नहीं है। समस्या स्थान और मकानों के बारे में थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोती, रत्न आदि सम्बन्धी निर्यात सलाहकार समिति

†*९४६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोती, रत्न, हीरे तथा आभूषणों सम्बन्धी एक निर्यात सलाहकार समिति बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं और सदस्यों की नियुक्ति की क्या कसौटी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हाँ ।

(ख) समिति के समस्त देश से व्यापार के दस प्रतिनिधि तथा सभापति समेत सरकार के दो कर्मचारी होंगे । व्यापार के प्रतिनिधियों का अनुभव उन के मोती, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि के निर्यात के अनुभव और व्यावसायिक प्रतिष्ठा के आधार पर किया गया था । निर्देशपद समेत नामों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–११६७/६३**]

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार ने इन वस्तुओं के संबंध में निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम बना लिया है तथा यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा सात वर्ष से हो रहा है । क्यों कि इन में से कोई भी वस्तु देश में नहीं बनती है इसलिए इनको बिना कटे रूप में आयात करने की अनुमति है । उत्तर भारत में जयपुर, उत्तरप्रदेश, खम्भात तथा दक्षिण में हीरे जवाहरात काटने वाले योग्य व्यक्ति है । यह निर्यात करने से पहले उनको काटते हैं तथा पालिश करते हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार को यह बताया गया है कि इन वस्तुओं को निर्यात व्यापार में लगे हुए व्यक्ति इन समितियों में नाम निर्देशित नहीं होते हैं जिस से वह ठीक तरह से काम नहीं करते हैं तथा व्यापार या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य कृपया नाम देखें तो उनको मालूम होगा कि ८० प्रतिशत निर्यात व्यक्ति करते हैं ?

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि इस कमेटी में कोई विदेशी भी लिए गए हैं क्या ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई विदेशी नहीं है ; सब हिन्दुस्तान के आदमी हैं ।

†**श्री वारियर** : क्या परीक्षण में हीरे काटने का काम बतला दिया गया है क्या उनको, योग्य हीरे काटने वालों को देने के बाद अधिक हीरों के निर्यात करने का बढ़ावा दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा मैं ने बताया कि यह हीरे आयात किए जाते हैं और यहां पर काटे जाते हैं । पिछले वर्ष के निर्यात के आंकड़े ६ करोड़ रूपये हैं । इस वर्ष ९.३५ करोड़ रूपये हैं । हमें आशा है कि आंकड़े १२ करोड़ रूपये के हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह :** क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि हमारे इतिहास के अनुसार हीरे जवाहरातों को बाहर भेजना अशुभ माना गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सराफ

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या तराशे गये हीरे जवाहरातों को हालैंड की पद्धति के अनुसार निर्यात करने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सब तराशे हुए हीरे जवाहरात होते हैं । यह सब प्लेटिनम आदि में जड़े होते हैं । सोने में जड़े हीरे जवाहरातों के बारे में एक सप्ताह में योजना घोषित करूंगा ।

†**श्री श्यामलाल सराफ :** जो छोटे छोटे हीरे आधुनिक आकार के होते हैं जिनका डिजायन डिजायन हालैंड में बनता है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मूल्यवान हीरे जवाहरातों के बारे में है जिनका मूल्य साधारण हीरे जवाहरातों से अधिक होता है । अलबास्टर, मफराना आदि का निय ति भी संवर्द्धन योजना के अधीन होता है ।

†**श्री कपूर सिंह :** श्रीमान मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था । मैं जानना चाहता था कि क्या हमारी सरकार पुरानी प्रथाओं का भी आदर करती है । क्या नीति बनाते समय वह उन पर भी विचार करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझा था कि प्रश्न भी उस समय अशुभ था ?

†**श्री कपूर सिंह :** मैं प्रतिक्रिया सुनना चाहता था ।

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत के प्राचीन रूढ़ितर के अनुसार भारत में रत्नों का निर्यात होता था । हमारे देश में हीरे जवाहरातों को तराशने वाले समस्त विश्व में सब से ज्यादा थे । परन्तु यह सभी हीरे जवाहरात विदेशों से बिना कटे रूप में आते थे जिनको यहां पर तराशा जाता था । १० लाख से अधिक परिवार यह काम करते हैं ।

†**श्री कंडप्पन :** क्या सरकार ने दक्षिण में घोंघे से मोती बनाने में सुधार करने की संभावनाओं पर विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा समुद्र तट दुर्भाग्य वश ऐसा नहीं है कि हम जापानी के समान सीपियां बना सकें । हम इस पर ध्यान दे रहे हैं । परन्तु इन प्राकृतिक मोतियों को पाने के लिये विशेष प्रकार के घोंघे की समितियों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : बर्मा से रत्न आयात करने के बारे में हमारी क्या स्थिति है । यह बढ़ गया है अथवा कम हो गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम बर्मा को निर्यात कर रहे हैं वहां से आयात नहीं कर रहे हैं । यह बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्मा को कपड़े का निर्यात

†*९४७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात्, उस देश को होने वाले भारतीय कपड़े का निर्यात बन्द कर दिया गया है ;

(ख) इस राष्ट्रीयकरण से पहले बर्मा की कपड़े की कितनी आवश्यकता भारत से पूरी की जाती थी और इस कारण भारत के निर्यात व्यापार को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या भारत सरकार बर्मा के साथ कपड़े का व्यापार सामान्य निर्यात व्यापार कायम रखने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) बर्मा में बैंकिंग व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद बर्मा को भारतीय कपड़ों का निर्यात बन्द नहीं किया गया है। बर्मा को वस्त्र निर्यात करने के लिये भारतीय अंश बर्मा की आवश्यकताओं तथा अन्य व्यापार भागीदारों के द्वारा भारतीय संभरण की प्रतियोगिता पर आधारित होता है। इसलिए भारतीय निर्यात व्यापार में हानि का प्रश्न ही नहीं है उठता है ?

ऊपर बताई गई स्थिति के आधार पर बर्मा को हमारा सामान्य व्यापार पुनः बनाने के लिये कार्यवाही करने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और गत माह हमने बर्मा को इस देश से वस्त्रों के निर्यात के लिए एक विशेष शिष्ट मंडल भेजा है।

†**श्री महेश्वर नायक** : बर्मा को वस्त्र निर्यात के संबंध में भारतीय बैंक क्या काम करते हैं ? क्या बर्मा में बैंकिंग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के अपील अधीन इसी प्रकार की सुविधायें हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने बताया कि राष्ट्रीयकरण का हमारे निर्यात पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। राष्ट्रीयकरण देश की सरकार की नीति है परन्तु इसका असर हमारे निर्यात पर नहीं पड़ा है।

†**श्री महेश्वर नायक** : हम बर्मा से बड़ी मात्रा में चावल का आयात कर रहे हैं। क्या सरकार का विचार बर्मा से आयात किए गए चावल के बदले में वस्त्र का निर्यात करने के संबंध में बर्मा में वस्तु विनिमय किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने बर्मा से वस्तु मिनिमय करार नहीं किया था। न तो वही देश तथा नही हम इस प्रणाली को ठीक समझते हैं। यह स्वतंत्र व्यापार है। दोनों देश परिवर्तनीय स्टर्लिंग पर अधिकतम वस्तुयें बेचने का प्रयत्न करते हैं। हम बर्मा से सवा लाख टन खरीद रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण बरे प्रभाव का निर्धारण किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राष्ट्रीयकरण हाल में ही हुआ है। प्रत्येक देश अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। बैंक सरकारी हाथों में है अथवा गैर सरकारी हाथों में इसका हमारे व्यापार पर असर नहीं होता है। हमारा व्यापार हमारी अपनी शक्ति पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : बर्मा सरकार में हाल में ही राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन होने के कारण क्या उस देश में से वस्तुओं का लाभदायक व्यापार तथा उनको अधिक निर्यात करते रहना लाभदायक होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हाल ही में हमने खाद्य सचिव के नेतृत्व में उच्च अधिकारियों का बर्मा को उच्चाधिकार युक्त सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। हम ने भी उस समय केन्द्रीय मंत्री तथा अन्य विदेश व्यापार मंत्री के नेतृत्व में बर्मा का एक शिष्ट मंडल बुलाया था। इन दोनों शिष्टमंडलों के बाद व्यापार बढ़ रहा है तथा भारत से बर्मा और खरीददारी कर रहा है।

†**श्री दाजी** : गत दो वर्षों के लिए बर्मा को हमारा निर्यात किस प्रकार का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उस देश में ९ करोड़ रुपये का आयात तथा हमारे देश से लगभग ६ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। जब हम को बर्मा से और अधिक चावल खरीदना था तब हमारा लगभग ३ करोड़ रुपये का शेष संतुलन होगा।

†**श्री दाजी** : मेरा यह प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न वस्त्र के संबंध में था। गत दो वर्षों में हमने कितने कपड़े का निर्यान किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कपड़े के आंकड़े अगले हैं। हमारा व्यापार हथकरघे के कपड़े तथा सारंग है। यदि माननीय सदस्य कपड़े के संबंध में अलग से प्रश्न पूछें तो मैं बता सकूंगा।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार ने बर्मा में कपड़े, विशेषतया हथकरघे के कपड़े, के मूल्य प्रतियोगी बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हथकरघे के कपड़े के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। गत दस वर्षों में उन्होंने अपने कपड़े के उद्योग का आरम्भ किया है। हाल में ही इस महीने में बर्मा को पापलीन तथा अन्य कपड़े के लिए ९७ लाख बेचा था।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : हम किस किस्म के कपड़े का निर्यात करते हैं ; बीच की किस्म का तथा फाइन किस्म का ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकांशतः बीच की किस्म का तथा मोटी किस्म का ; फाइन किस्म का थोड़ा होता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि, हाल में ही चीनी कपड़ा बर्मा में आया है तथा वह भारतीय कपड़े को वहां से हटा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि चीनी हमारे तथा जापान से ३ अथवा ४ वर्षों से कम मूल्य पर कपड़ा दे रहे हैं। जापान भी प्रतियोगी है।

लेटिन अमरीकी देशों को निर्यात

†*९४८. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेटिन अमरीकी देशों को परम्परागत चीजों का निर्यात बढ़ानेके मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्यात बढ़ाने में क्या कठिनाइयां हैं और उनको किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) पटसन का निर्माण लेटिन अमरीका को हमारे निर्यात के ६० प्रतिशत से अधिक है। चाय, अभ्रक, लाख, रसायनों आदि अन्य वस्तुओं का निर्यात जो १९५६ में १३० लाख रुपयों का था, १९६२–६३ के पहले दस महीनों में ११६ लाख रुपये हो गया –अर्थात थोड़ा बढ़ गया।

(ख) हमारे निर्यात के बढ़ने के मार्ग में बहुत सी रुकावटें हैं, अर्थात् नौवहन पर बहुत अधिक भाड़ा, लंबी दूरी, भारत तथा उन देशों की तुलनात्मक बचत, जो इस जैसी वस्तुयें पैदा कर रहे हैं, भाषा संबंधी कठिनाइयां, उस प्रदेश में अमरीका जैसे पड़ौसी देश से जोरदार प्रतियोगिता। भारत के निर्यातकों तथा इन देशों में उनके समान निर्यातकों के बीच संबंध बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इंजीनियरिंग परिषद के दो शिष्टमंडल उस क्षेत्र के अधिकांश देशों का दौरा कर चुके हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या भारत बहुत बड़ी मात्रा में पटसन के रेशे का निर्यात विशेषकर अर्जनटाइना को नहीं कर रहा और हाल के पिछले पांच वर्षों में निर्यात के कम होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रश्न का पहला भाग ठीक नहीं। किन्तु यह सच है कि पटसन के विकसित बाजार में, हम अपना हिस्सा बनाये नहीं रख सके। अधिकतर वस्तुएं पाकिस्तान से जा रही हैं। शेष के लिये हमारे निर्यात में थोड़ी वृद्धि हुई है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : जब ब्राजील, वेंजुएला और अर्जनटाइना में भारतीय चाय की मांग अधिक है, तो सरकार उन लेटिन अमरीकी देशों को अधिक चाय भेजने के लिये चाय निर्यातकों की सहायता करने तथा वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाहः** मुझे आश्चर्य है। ब्राजील संसार की ८० प्रतिशत काफी उगाता है। यह चाय बिल्कुल नहीं पीता। अतः उनके द्वारा बड़ी मात्रा में चाय की खपत करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे काफी बेचने और पीने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु मेक्सिको व चिली को चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : लेटिन अमरीकी देशों के संबंध में हमारे निर्यात के साथ और किन देशों की प्रतियोगिता है और विशेषकर क्या पाकिस्तान से पटसन का निर्यात बढ़ गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक लेटिन अमरीकी देशों को हमारे और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार का संबंध है, यदि माननीय सदस्य विश्व व्यापार चित्र को देखें तो यह बहुत कम है, लंबी दूरी के कारण एक प्रतिशत से कम। जापान को छोड़ कर दक्षिण पूर्व एशिया का किसी भी देश का लेटिन अमरीकी देशों के साथ बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। अब हम विश्वास करते हैं कि ऐसी संभावना है, यदि हम उचित बाजार सर्वेक्षण करें और अधिक निर्यात गृह लेटिन अमरीकी देशों में अपने दफ्तर खोलें। हाल ही में पिछले एक सप्ताह से एक उच्च शक्ति सम्पन्न मैक्सिको का शिष्टमंडल हमारे देश में आया हुआ है। उन देशों के साथ पारस्परिक संबंध करने का प्रयास कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कुछ अखबारों के इस आशय के समाचारों में कुछ सचाई है कि चीन जान बूझ कर भारत पर आघात करने के उद्देश्य से, लेटिन अमरीकी, दक्षिण पूर्वी एशियाई तथा अफ्रीकी बाजारों की ओर अधिक ध्यान दे रहा है, और यदि हां, तो क्या यह शंका करने का कोई कारण है कि निकट भविष्य में लेटिन अमरीकी बाजारों में चीन की भारत का जोर-दार प्रतिद्वन्दी होने की संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बिल्कुल स्पष्ट है । चीन बहुत समय से ऐसा कर रहा है, केवल लेटिन अमरीका में ही नहीं, अपितु अफ्रीकी तथा एशियाई देशों में । मुझे सभा के सामने यह कहने का हक है कि हम साधारण ऋण देनेका प्रयत्न कर रहे हैं । वे २० वर्ष, ३० वर्ष और १५ वर्ष के ऋण देते हैं । अब तक हम विदेशी मुद्रा की स्थिति के कारण लंबे से लंबा ५ या ७ वर्ष का ऋण दे सके हैं । इस पर दिल छोड़ने का कोई कारण नहीं है । हम इसे अधिकाधिक तेज कर रहे हैं । हम चीन से कम करते हैं या नहीं, यह प्रश्न नहीं है । हम इन देशों के बारे में जितना कर रहे हैं, हमें उस से अधिक करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न यह है कि क्या हम वैसा करते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उन लेटिन अमरीकी देशों में, जिनके साथ हमारा अब तक बहुत कम व्यापार रहा है, सरकार ने क्या किया है, हमारे माल के लिये बाजार बनाने के लिये तथा इन देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने के लिये, राजकीय व्यापार निगम द्वारा तथा अपरम्परागत वस्तुओं में निर्माण संबंधी परिषदों के द्वारा, सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है? चाय और पटसन परम्परागत पदार्थ हैं । अपरम्परागत चीजों के बारे में क्या उपाय किये गये हैं । केवल ब्राजील ही नहीं, वहां बहुत से देश हैं । इस सारे अज्ञात क्षेत्र में जिसके साथ हमारा अब तक कोई व्यापार नहीं था, सरकार ने बाजार ढूंढने के लिये क्या किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा अनुभव करेगी कि लेटिन अमरीका संयुक्त राज्य अमरीका के बिल्कुल समीप है । उस देश में अधिकांश व्यापार तैयार माल का होता है । बड़े शक्तिशाली देश से प्रतियोगिता करने के प्रयत्न के लिये कुछ कठिनाई होगी, जब हमारे यहां पड़ोसी हैं, यूरोपीय देश हैं और अफ्रीका आदि हैं, जहां हम बड़ी मात्रा में माल बेच सकते हैं चाहे हमें चुनना पड़े । हमारा प्रयत्न यह है कि हम उन क्षेत्रों में अपने प्रयत्नों को अधिक से अधिक बढ़ायें जहां हमें अजय परिणाम प्राप्त हो सकें और निश्चय ही लेटिन अमरीका को उस कम अग्रता में सीमित मात्रा तक अपना हिस्सा प्राप्त होगा ।

इस्पात उद्योगों सम्बन्धी उत्पादकता दल

†*९४९. { **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उत्पादकता दल ने, जिसने रूस और चेकोस्लाविया में इस्पात उद्योगों के कार्य का अध्ययन किया था अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य उप-पत्तियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां।

(ख) इस्पात तथा लोहा उद्योग संबंधी दल के प्रतिवेदन की प्रतियां १३ अप्रैल १९६३ को सभा पटल पर रख दी गईं थीं। दल की उपपत्तियों का संक्षेप प्रतिवेदन के पृष्ठ (१) से (२२) तक में दिया गया है।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय :** सरकार अधिक कुशलता तथा अधिक उत्पादन लाने के निमित्त दल द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री कानूनगो :** इन सब अध्ययन दल प्रतिवेदनों संबंधी सामान्य तरीका यह है कि रिपोर्टें उन विशिष्ट उद्योग में दिलचस्पी रखने वाले संगठनों तथा संस्थाओं को भेजी जाती हैं। बाद में स्थानीय उत्पादकता परिषदों द्वारा चर्चा को प्रोत्साहन तथा आयोजित किया जाता है और ऐसी संस्थाओं द्वारा चर्चा दल प्रस्तावित किये जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का काम दिलचस्पी पैदा करना है, न कि परिणामों को आंकना, जब तक कि यह कुछ समय पश्चात् न हो। साधारणतया, प्रतिवेदन रखने में कुछ महीने लग जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट फैक्टरी

+

†*९५०. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री याज्ञिक :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक सीमेंट फैक्ट्री आरम्भ करने के लिये साहूजैन को लाईसेंस दिया गया था ;

(ख) क्या लाइसेंस विवियन बोस प्रतिवेदन के छपने के पश्चात् दिया गया था ;

(ग) क्या लाइसेंस देने से पहले प्रतिवेदन की उपपत्तियों का अध्ययन किया गया था ; और

(घ) कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी ?

†**इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (घ). १० अक्तूबर १९६२ को मैसर्स साहुजैन समिति को एक प्रयोजन पत्र जारी किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में झाल्डा में एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने की उसकी प्रर्थना स्वीकार की गयी थी। उनको फैक्ट्री स्थापित करने तथा किसी एक देशी मशीनरी निर्याताओं के साथ अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी के लिये व्यवस्था करने के लिये प्रारंभिक कार्यवाही करने को कहा गया। संयंत्र तथा उपकरण का संतोषजनक प्रबंध हो जाने के पश्चात् औपचारिक लाइसेंस दिया जाता है। अभी ऐसा नहीं किया गया।

प्रयोजन पत्र देते समय, विवियन बोस की रिपोर्ट पेश नहीं हुई थीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रस्तावित फैक्टरी देशी मशीनरी के आकार पर स्थापित की जाती है और प्रत्यक्ष रुप से उस फर्म को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाएगी। तथापि सीमेंट मशीनरी निर्माता को, जिसे क्रियादेश किया गया है, न्यूनतम अत्यावश्यक पुर्जों के आयात के लिए अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाएगी।

†**श्री अ० व० राघवन :** यह लाइसेंस देने के मामले में कितने और कौन से प्रक्रियों पर विचार किया गया था ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** २५ मई, १९६२ को साहू जेन ने प्रार्थना दी और बाद में ६२ में दो और अर्जियां आई और पश्चिम बंगाल को फर्म चुनने को कहा गया और उन्होंने साहू जन की सिफारिश की।

†**श्री दाजी :** उपमंत्री ने कहा है कि अक्तूबर, १९६२ में प्रयोजना पत्र जारी किया गया। क्या उन को पता है कि विवियन बोस की रिपोर्ट उस समय लंबित थी ? क्या उनके उत्तर से यह समझा जाए कि यह प्रयोजन पत्र या लाइसेंस देने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का न हो कर सर्वथा राज्य सरकार का है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** प्रयोजना पत्र १७ अक्तूबर, १९६२ को दिया गया और तब तक विवियन बोस की रिपोर्ट नहीं आई थी।

†**श्री दाजी :** वह जुलाई में आ गई थी। क्या वह उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते हैं ? उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्तिम फैसला किया। किसका उत्तरदायित्व है इस मामले में ? क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है या उसने राज्य सरकार की सिफारिश पर अपने आप ऐसा किया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** प्रयोजन पत्र पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश आने के पश्चात् ही जारी किया गया। प्रयोजन पत्र देने का अन्तिम उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या बोस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पश्चात् सरकार लाइसेंस को रद्द करने का विचार कर रही है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट से यदि कोई बात उत्पन्न होती होगी तो उस पर अवश्य ध्यान दिया जायगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जब विवियन बोस की रिपोर्ट जून से सरकार के पास थी, तो यह अक्तूबर में क्यों जारी किया गया ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जहां तक मुझे मालूम है कि प्रयोजन पत्र बोस रिपोर्ट के आने से पहले दिया गया था।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या राज्य सरकार की सिफारिश रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले प्राप्त हुई या बाद में ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** इससे पहले।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्यात गृहों के लिए विदेशी मुद्रा देना

†*९५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही विदेशों के बिक्री बढ़ाने में सहायता देने के लिए मान्यता-प्राप्त निर्यात गृहों को तदर्थ आधार पर विदेशी मुद्रा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की रुप रेखा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) .सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियति गृहों को निर्यात योजनायें पूरी करने के लिये, जहां कहीं भी उचित तथा आवश्यक होगा वहां विदेशी मुद्रा के देने की सुविधा को भी मिला कर, पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायेंगी । विदेशी मुद्रा दिये जाने के लिये निर्यात गृहों से प्राप्त हुई प्रार्थनाओं पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है तथा इसके योग्य मामलों में विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** किन कारणों से प्रेरित हो कर सरकार ने यह निर्णय किया है ? क्या इस प्रकार के प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा के उपयोग पर कोई सीमा भी लगाई गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमने हाल ही में रक्षित बैंक से एक प्रस्ताव किया है। २० निर्यात गृह ऐसे हैं जिनकी हमने निर्यातों को बढ़ाने के कार्य में उपयोग किये जाने के हेतु कुछ तदर्थ आवंटन करने के लिये मान्यता प्रदान की है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इस उपाय का यह अर्थ होगा कि यह निर्यात गृह, निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा वस्तु बोर्डों के समान स्तर पर आ जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** निर्यात संवर्द्धन परिषद् राजविधि द्वारा गठित एक ऐसा निकाय है जिसमें अनेकों निर्यात हित विहित हैं। यह तो वैयक्तिक निर्यात गृह हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इन २० एक्स्पर्ट हाउसेज के सिवाय जो दूसरे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उन के प्रतिनिधि अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिये विदेश जाना चाहे तो उन को फारेन एक्स्चेन्ज देने के बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम उन को मदद करने की कोशिश करते हैं जितने हमारे रिसोर्सेज हैं एक्स्पोर्ट हाउसेज़ के लिए जो मेन क्राइटेरियन गजेट नोटिफिकेशन में दिया गया है वह यह है कि एक्सपोर्ट ट्रेड में अच्छे अच्छे क्वालिटी कांशस एक्स्पोर्टर्स बने रहे, कंट्री का एक्स्पोर्ट ज्यादा बढ़ायें और कमोडिटी का रेपुटेशन भी खूब बढ़ायें ।

†**श्री मुरारका :** इन फर्मों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है तथा अकेली एक फर्म को अधिक से अधिक कितनी मुद्रा दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह गत चार महीनों में ही बने हैं। अब तक प्रति निर्यात गृह को अधिक से अधिक ८ हजार रुपये दिए गये हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** सरकार के पास इसकी जांच करने तथा यह देखने के लिए क्या साधन हैं कि यह विदेशी मुद्रा वास्तव में जिस प्रयोजन के लिये दी गई है वह क्रियान्वित किया जाता

---

†मूल अंग्रेजी में

है तथा सम्बन्धित निर्यात गृहों द्वारा इस धन का उपयोग विक्रय को बढ़ाने के लिये प्रभावशाली कार्यों के रुप में किया जाता है?

†**श्री मनुभाई शाह :** नतीजा दो अथवा तीन वर्षों में मालूम हो सकेगा। कोई दो अथवा तीन लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर देता हो, वह बहुत बड़े पैमाने पर कार्यालिय नहीं खोलता अथवा दौरे नहीं करता। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक निर्माण गृह में जब कार्य प्रारम्भ हो जायेगा तो वह २–३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक कमायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि अधिक से अधिक अथवा ९० प्रतिशत विदेशी मुद्रा २५ बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं को दे दी गई थी और इस वितरण के कारण अन्य छोटी छोटी संस्थाओं को हानि उठानी पड़ी?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं यह नहीं जानता। किन्हीं भी संस्थाओं को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई। रक्षित बैंक के सामान्य नियमों के अधीन, वैयक्तिक यात्री जाते रहते हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को कुछ गलत जानकारी मिली है। इस कारण किसी को भी कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

†**श्री विभूति मिश्र :** जिन लोगों को सरकार बाहर जाने के लिये फारेन एक्स्चेन्ज देती है क्या उन से वह इस बात की भी कोई रिपोर्ट लेती है कि वहां जा कर उन्होंने कौन कौन सा काम किया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यही तो इस में बात है। अभी तीन चार महीने हुए हैं। एक्स्पोर्ट कोई एक दिन में तो होता नहीं। तीन, चार साल लगेंगे। उस के अन्दर हर साल एवैलुएशन होगा कि एक्स्पोर्ट हाउसेज़ ने कितना कमाया, किस कमोडिटी से कमाया, किस डाइरेक्शन में वह जा रहे हैं। इस का मतलब यह नहीं है कि सारा एक्स्पोर्ट हमारा एक्स्पोर्ट हाउसेज से ही होता है। उन के द्वारा तो मुश्किल से कोई १ या २ परसेन्ट का ट्रेड होता होगा, या शायद इतना भी न होगा। बाकी एक्स्पोर्ट हम कर रहे हैं।

टीटाघर जूट मिल न० १ तथा २

†*९५३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टीटाघर जूट मिल नं० १ के टीटाघर पटसन मिल नं० २ में मिलाये जाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण तथा एकीकरण के लिये किन शर्तों पर अनुमति दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं यह समझ लूं कि कोई प्रार्थनापत्र ही नहीं आया और इस लिये इसका प्रश्न ही नहीं उठता, अथवा कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है तथा उसे रद्द कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह :** औपचारिक रुप से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है, चाहे आप उसे प्रार्थनापत्र कहें अथवा अन्य कुछ ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** बंगाल की कितनी जूट निर्माण करने वाली कम्पनियों ने अपने अपने अधीन अनेकों कारखानों का एकीकरण कर लिया है और इससे उनकी लाभ प्रदता में कहां तक वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

तम्बाकू का आयात

+

†*९५४. { **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अच्छी किस्म के तम्बाकू के संभरण के लिये पी० एल० ४८० के अधीन हाल में ही एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं तथा करार के अधीन कितना तम्बाकू आयात किया जाना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी , हां ।

(ख). २६ नवम्बर, १९६२ को अमरीका तथा भारत सरकार के बीच जिस कृषि करार पर हस्ताक्षर किये गये थे तथा जो १ अप्रैल, १९६३ को संशोधित किया गया था उसमें पूरे पूरे ब्यौरे दिये गये हैं तथा सकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं । संक्षिप्त रूप में यह बताया जा सकता है कि करार में समुद्रीय परिवहन प्रभारों के भुगतान की राशि को मिलाकर २० लाख ६० हजार डालर के मूल्य का लगभग १०८३ मैट्रिक टन तम्बाकू अमरीका से आयात करने का उपबन्ध किया गया है ।

इस करार के अनुसरण में किये गये विक्रय के परिणामस्वरूप जितना रुपया अमरीका सरकार को देय होगा उसका १५ प्रतिशत अमरिका को भारत में अपना व्यय करने के लिये उपलब्ध कर दिया जायेगा जबकि शेष ८५ प्रतिशत पारस्पिरिक सहमति से ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये ऋणों के रूप में उपयोग किया जायेगा जो कि आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये हों ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : इस समय देश में तम्बाकू का उत्पादन कितना है ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे देश में कोई ३७ करोड़ रुपये का उत्पादन होता है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा: जितनी मांग है उस की पूर्ति के लिये कितना तम्बाकू का आयात किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : इस का आयात तो किया ही नहीं जाता । बल्कि स्पेशल वेराइटी का एक्सपोर्ट किया जाता है २३ करोड़ रुपये का। पिछले साल २० करोड़ रुपये का किया था, सन् १९६२ में २३ करोड़ रुपये का किया था और इस साल हम २६ करोड़ रुपये का करने जा रहे हैं ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या अमेरिक से आने वाला यह अनिष्टकारी तम्बाकू निर्यात के लिये वस्तुऐं निर्माण करने के लिये उपयोग में लाया जायेगा अथवा स्वदेश में उपयोग के लिये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह निर्यात के लिये वस्तुओं का निर्माण करने के लिये, आन्तरिक खपत के कामों के लिये, उपयोग में लाया जायेगा । अमेरिका बहुत सा विशेष वरजिनिया तम्बाकू उत्पन्न करता है और उसी को हम अपने सिगरेट तथा बीड़ी व्यापार के लियें आयात कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में सब से अच्छी किस्म का वरजिना तम्बाकू पैदा होता है, और यदि हां, तो क्या इस प्रकार का तम्बाकू देश के उस भाग में उगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है जिससे कि हम अमेरिका से और आगे आयात न करें ।

†**श्री मनुभाई शाह :** आंध्र प्रदेश के तम्बाकू के लिये हमें गर्व है। मैं उसे सब से अच्छा अथवा सब से खराब कहना पसन्द नहीं करूंगा। यह अच्छा तम्वाकू है । जिस तम्बाकू का हम आयात कर रहे हैं वह विशेष वरजिना तम्बाकू है जो कि अमेरिका को जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों में विशेषरूप से उगाया जाता है । विभिन्न जलवायुओं में विभिन्न वस्तुयें उत्पन्न होती हैं। कुछ का हम आयात करते हैं तथा कुछ का निर्यात।

†**श्री त्यागी :** श्रीमन्, एक व्यवस्था के प्रश्न पर। किसी एक राज्य के उत्पाद का अन्य राज्यों के उपादों के विरूद्ध यहां प्रचार नहीं किया जाना चाहिये । यदि आंध्र का तम्बाकू सर्वोत्तम है तो क्या इसका यह अर्थ है कि हमारा तम्बाकू बिलकुल अच्छा नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्रधान चन्द्र बरुआ ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य के हेतु यह देखने कि कोई विनियम है कि अधिकाधिक व्यक्ति बढ़िया किस्म का तम्बाकू न पीते चले जायें ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** विदेशी मुद्रा बचाने के लिये, यहां अधिकाधिक उपादन करने तथा बाहर से आयात करने के लिये किन्हीं प्रस्तावों को रखने की क्या कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** केवल थोड़ा सा ही आयात किया जाता है---२० लाख ६० हजार डालर अथवा १ करोड़ २५ लाख रुपये के मूल्य का । इससे निर्यात तथा आतरिक उपयोग में सहायता मिलती है । इसके किसी भारतीय उत्पाद के लिये स्थानापन्न वस्तु होने का प्रश्न ही नहीं है । अभी वह यहां उपलब्ध नहीं है और तम्वाकू का व्यापार कम हो जायेगा यदि हम इसे व्यापार की सहायता के लिये आयात न करें ।

श्रीमती शशांक मंजरी : अच्छी तम्बाकू बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : सेंट्रल इंडियन टुबेको कमेटी है, फूड ऐंड ऐग्रेकल्चर मिनिस्ट्री है, यह सब तम्बाकू का उपादन करने की कोशिश करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं। यही तरीका है और हम क्या कर सकते हैं ?

†**श्री पु० र० पटेल :** अभी तक हम पी० एल० ४८० के अधीन तम्बाकू का आयात किये बिना ही काम चला रहे थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन विशेष कारणों से यह आयाता अत्यंत आवश्यक हो गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** आयात गत दस वर्षों से किया जा रहा है तथा पी० एल० ४८० छः वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो गया था ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तम्बाकू के खिलाफ़ अमरीका में ही हजारों किताबें लिखी गई हैं कि अमरीका के लोग इसे पसन्द नहीं करते, तो वह तम्बाकू हिन्दुस्तान में क्यों लाई जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह :** हम उत्तर पाना चाहते हैं ।

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात नहीं है । बिल्कुल गलत है। यह टुबैको खाली रैपिंग टुबैको है, उसके अदर इंडियन टुबैको डाली जाती है । मैं खुद तो तम्बाकू पीता नहीं इसलिये नहीं कह सकता कि क्या असर होता है, लेकिन यह बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया में इस्तेमाल हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कुन्हन :

बिस्कुटों का निर्यात

†*९५५. **श्री प० कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही बिस्कुटों का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) लगभग ४ लाख रुपये के मूल्य के बिस्कुटों का निर्यात किया जाता है ।

(ख) बिस्कुटों के निर्यात में मुख्य रूप से कुछ देशों द्वारा आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण तथा उन देशों में स्वेदेशी बिस्कुट उद्योग की स्थापना तथा विकास के कारण भी बाधा पड़ी है ।

(ग) बिस्कुटों का निर्यात बढ़ाने के लिये कच्चे माल को आयात करने की अनुमति देना, पैकिंग सामग्री, मशीनरी का प्रतिस्थापन, उद्योग के लिये अपेक्षित बैलेंसिंग का सामान तथा पैकिंग मशीनरी, आयात किये जाने वाले कच्चे माल पर प्रत्याहित कर की वापसी आदि जैसी सभी प्रकार की सहायता इस समय उद्योग को दी जा रही है । बिस्कुटों को

†मूल अंग्रेजी में

मिलाकर सभी परिष्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिये एक पृथक निर्यात संवर्द्धन परिषद् स्थापित की गई है ।

†**श्री प० कुन्हन** : बिस्कुटों के उपादन के लिये तीसरी योजना का निर्धारित लक्ष्य कितना है तथा वर्तमान उत्पादन कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान उत्पादन लगभग २६,००० टन का और लक्ष्य ४०,००० टन है। हम केवल २०० टन का निर्यात करते हैं।

†**श्री प० कुन्हन** : बिस्कुटों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह पहले ही से हमारी योजना का एक भाग है । मैं बिस्कुटों के निर्यात के सम्बन्ध में कार्य कर रहा हूं। यह एक निम्न पूर्ववर्तिता वाला उद्योग है जिसके लिये उसकी वस्तुओं का उपादन आन्तरिक तथा उपभोग के लिये हम अपने बहुत से राष्ट्रीय संसाधनों को नहीं दे सकते ।

डा० गोविन्द दास : अभी इन बिस्कुटों का निर्यात किस किस देश में होता है, और क्या इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है खास खास उत्पादन करने वालों से कि उसकी कुछ ऐसी स्थिति बनायी जाए कि जिस में लोग उसको आग्रहपूर्वक लें हमारे यहां से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दूरी की कमी के कारण मलाया, सिंगापुर, लंका, बहरीन द्वीप समूह आदि में हमारी मुख्य मण्डियां हैं। इनमें से प्रत्येक देश स्वतंत्र हो गया है और वह अपने अपने यहां उद्योगीकरण करना चाहते हैं, जिसकी कि सदन सराहना करेगा। यह एक सीधा साधा उद्योग है और वह अब अपना उद्योग प्रारम्भ कर रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या अमरीकी देशों में बिस्कुटों के लिये नई मण्डियों को खोजने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये गये हैं तथा जो लोग इन बिस्कुटों का निर्यात करना चाहते हैं उनके लिये किसी निर्यात शुल्क से छूट की व्यवस्था करने का कोई विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : पूरी तरह रेंसे छूट है । प्रश्न तो यह है कि क्या वह देश जो कि स्वयं ही विदेशी मुद्रा की भयंकर कमी की स्थिति में चल रहे हैं हमारे भारतीय बिस्कुटों को वहां आयात किये जाने की अनुमति देंगे अथवा नहीं। उनकी भुगतानान्तर स्थिति की दशा हमारी दशा से भी खराब है । इसलिये, यह स्वाभाविक है कि वे आयातों पर प्रतिबन्ध लगायें । ऐसा होने पर भी हम फारस की खाड़ी में प्रयत्न कर सकते हैं। हमने वहरीन द्वीप समूहों में, खाड़ी के छः देशों में, कुवैत में तथा अन्य शेष राज्यों में यह देखने के लिये हाल ही में जांच पड़ताल करवाई है कि वहां अधिक आयात किया जा सकता है अथवा नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यद्यपि यह एक ऐसा उद्योग है जैसे कि किसी भी पिछड़े हुए देश में स्थापित किया जा सकता है, क्या यह सच है कि फिर भी इंगलैंड की बड़ी बड़ी निर्माणकर्ता कम्पनियां अपने उत्पादों का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारी मात्रा में निर्यात कर रही हैं तथा हम उनसे प्रतिस्पर्द्धा करने में समथ नहीं हो रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बिलकुल ठीक है क्योंकि हटले, पालमेर्स तथा ब्रिटेनिया बिस्कुट वहां लगभग एक शताब्दी से अधिक समय से जा रहे हैं। वह विख्यात हो गये हैं तथा बहुत लोकप्रिय हो गये हैं। इसी कारण इन देशों द्वारा कुछ थोड़ी मात्रा में इन

†मूल अंग्रेजी में

बिस्कुटों का आयात करने की अनुमति दी जा रही है। हमें इन नामों आदि को प्रतिद्वंदता करनी होती है। हमारे अपने देश में भी बिस्कुट उद्योग कोई इतना भारी नहीं है जिसके कारण यह कहा जा सके कि हम आयात पर कोई ठोस प्रभाव डाल सकते हैं।

पीपरी में अल्युमिनियम का कारखना

+

*९५६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीपरी (उत्तर प्रदेश) में अल्युमिनियम का जो कारखाना स्थापित किया जा रहा था, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसकी पूरी क्षमता का विकास करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). रिहंड के समीप पीपरी (जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) में अल्युमिनियम का कारखाना स्थापित हो चुका है तथा उसमें दिसम्बर, १९६२ में ही २०,००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष की दर से पूरा उत्पादन होने लगा था।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस कारखाने से जितना उत्पादन होने की आशा की जाती थी या जो इसका कार्यक्रम था उतना अभी तक नहीं हो पाया है? इसके क्या कारण हैं और कब तक इसमें पूरा उत्पादन हो सकेगा?

श्री कानूनगो : मैंने उत्तर में कहा कि दिसम्बर में ही पूरा हो गया।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस कारखाने के मालिकों ने इसके उत्पादन को दुगना करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है, और क्या इसके लिए एक थरमल प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव रखा है? इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और क्या प्रगति हो रही है?

†**श्री कानूनगो :** ५०,००० मीट्रिक टन की क्षमता तक अल्युमिनियम स्मैल्टर का विस्तार करने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है तथा उन्होंने पहले ही एक तापीय संयंत्र के लिये कहा था जिसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या उन्होंने ऐसा कोई संकेत दिया है कि इस तापीय संयंत्र की कितनी क्षमता होगी जिसके लिये कि सरकार ने मंजूरी दे दी है?

†**श्री कानूनगो :** मैं आपको क्षमता तो नहीं बता सकता। यह विद्यमान संभरण को बढ़ाने के लिये एक तापीय संयंत्र होगा तथा लागत के १२ करोड़ रुपये की होने की सम्भावना है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस विशेष कारखाने की कुल क्षमता कितनी है जिसके कि स्वामी बिड़ला भाई हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कारखाने को कोई वित्तीय सहायता दी है और यदि हां, तो कितनी?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय ऋण नहीं दिया है। इस समय २० हजार मैट्रिक टन की क्षमता है तथा विस्तार के पश्चात यह ५० हजार मैट्रिक टन होगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या इस विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, कारखाने वाले लोगों ने विदेशी मुद्रा की अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता मांगी है ?

†**श्री कानूनगो :** वास्तव में फर्म विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध अन्य देशों में अपने भागीदारों के साथ ऋण व्यवस्था द्वारा करेगी।

ऊन की कमी

†*९५७. **श्री बूटा सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊन की बहुत कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऊनी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य देशों से ऊन का आयात बढ़ाने का है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ऊनी वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग पूरी क्षमता का उपयोग प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये, आयात किये गये उपलब्ध कच्चे माल का बहुत सा भाग तथा भारी मात्रा में भारतीय कच्ची ऊन का उपयोग किया जा रहा है। इसलिये इसकी सम्भावना है कि असैनिक आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित ऊनी वस्तुओं की कुछ कमी है जिसके कारण उपलब्ध ऊनी वस्त्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।

असैनिक आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने के हेतु निकट भविष्य में कुछ मात्रा में कच्चे माल का आयात करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे है तथा यह आशा की जाती हैं कि इस कच्चे माल से बनी असैनिक उपयोग की ऊनी वस्तुएं अगले जाड़ों के मौसम में बाजार में आ जायेंगी। जितना कच्चा माल स्वदेश में उपलब्ध नहीं है उसके लिये प्रतिरक्षा आवश्यकताओं तथा आवश्यक असैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीमित मात्रा में ही ऊन तथा ऊन के गोले आदि के आयात करने की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि इस प्रकार के आयातों के लिये विदेशी मुद्रा की भारी कमी है।

†**श्री बूटा सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि असैनिक आवश्यकताओं की ऊनी वस्तुओं के स्थान पर सैनिक आवश्यकताओं की ऊनी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, क्या मैं जान सकता हूं—यदि यह प्रकट करना लोक हित में है—कि क्या सरकार ने केवल पूर्णरुपेण प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये ऊन के आयात में कोई वृद्धि की है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : संक्षिप्त रूप से, आजकल यह बात है कि हमारी आयात की हुई ऊन को प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाना है क्योंकि हमारी सेना की, हमारे जवानों की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और हम कुछ समय के लिये बिना कपड़े के गुजारा कर सकते हैं।

†श्री बूटा सिंह : क्या सरकार को अमृतसर के उद्योगपतियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ अथवा हुए हैं जिनमें सरकार पर ऊन के आयात को बढ़ाने के लिये जोर डाला गया है और यदि हां, तो किस सीमा तक तथा उसका क्या स्वरूप है ?

†श्री मनुभाई शाह : अमृतसर के उद्योगपतियों को मिलाकर लगभग सभी सम्बन्धित उद्योगपतियों से हमें आयात में वृद्धि करने के लिये प्रार्थनायें प्राप्त हो रही हैं। प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के कारण, ऊनी कारखानों में आजकल चौबीसों घण्टे काम हो रहा है। अमृतसर में तथा अन्य कहीं भी, प्रत्येक कारखाने में पिछले समय के उत्पादन से तीन गुना उत्पादन हो रहा है। इसलिये, उन्हें कृतज्ञ होना चाहिये कि उन्हें इतना काम दे दिया गया है।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार स्वदेश में ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी कोई कार्य कर रही है और यदि हां, तो क्या ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि भारतीय ऊन—स्वदेशी ऊन—बालों के समान है। वह स्वयं ही ऊन नहीं है। इसलिये, वह दरियां बनाने के लिए अच्छी है तथा अधिकांशतः वह निर्यात की जा रही है। परन्तु पश्मीना, बीकानेर किस्म की तथा जोधपुरी काली जैसी कुछ अच्छी किस्में भी हैं तथा उन किस्मों की लगभग ८० लाख पौंड ऊन भारत में दरियाँ तथा सस्ते स्वीटर मोजे आदि बनाने के काम लायी जा रही है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि ऊन के गोले-लच्छियां आदि की कमी के कारण लुधियाना के ऊनी कारखाने में सेना के लिये ऊनी जरसियों का उत्पादन नवम्बर, १९६२ की तुलना में दिसम्बर में बहुत कम हो गया था ? सरकार यह देखने के लिये क्या कर रही है कि इस कारखाने को चलाये रखने के लिये इसको पूर्ववर्तिता के आधार पर ऊन का सम्भरण किया जाता है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सच है कि दिसम्बर में उत्पादन बहुत कम हो गया था क्योंकि आस्ट्रेलिया से हमने जो ऊन खरीदी थी वह यहां केवल फरवरी में ही आई। इसलिये समय से पीछे यहाँ ऊन पहुंची है। ऊन के यहां आने में २३ से लेकर २७ दिन तक का समय लगता है। परन्तु जैसे ही ऊन यहां आई यहां उत्पादन बहुत बढ़ गया। मेरे माननीय मित्र संभरण मंत्री ने पीछे किसी दिन सदन में आंकड़े दिये थे। आजकल, उत्पादन उस उत्पादन का सात अथवा आठ गुना हो गया है जो कि पिछले कुछ वर्षों में किसी भी समय था।

†श्री हरि विष्णु कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह कहा गया है कि कुछ सीमा तक कच्चा माल स्वदेश में उपलब्ध नहीं होगा। क्या सरकार के सामने ऊन इकट्ठा करने की कोई ठोस तथा अच्छी योजना है, और यदि हां, तो क्या सरकार बहुत से देशों में इसके लिये पर्याप्त प्रयत्न कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह: मैं केवल यही कह सकता हूं कि जलवायु में हमारा देश आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अन्य ऊन उगाने वाले देशों की भांति ऊन के लिये अच्छी प्रकार उपयुक्त नहीं है। फिर भी,

†मूल अंग्रेजी में

हमारी पहाड़ियों तथा पर्वतों में --जहां अल्मोड़ा, कुलू तथा दार्जिलिंग जैसे प्रदेश हैं--खाद्य मंत्रालय अच्छी नस्लों की भेड़ों को पैदा करने का तथा डेरियों आदि के साथ अच्छी प्रकार की भेड़ों आदि को प्राप्त करने आदि का प्रयत्न कर रहा है। हम आस्ट्रेलिया से आने वाली मेरिनो भेड़ें की ऊन का यहां विकास करना चाहते थे परन्तु दुर्भाग्यवश वहां मेरिनो भेड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हम ने हाल ही में आस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको सरकार से हमें अच्छी नस्ल की भेड़े देने के लिये प्रार्थना की है जिस से हम आगे ऊन का प्रजनन कर सकें ।

श्री विभूति मिश्र: क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि अभी जो हिल कान्फ्रेन्स हुई थी, उस में माननीय मंत्री, डा० राम सुभग सिंह, के सामने लोगों ने बताया था कि उन की वूल की बिक्री नहीं हो रही है और पहले जो वूल तिब्बत में जाती थी, अब उस का तिब्बत में जाना बन्द कर दिया गया है । क्या सरकार उस को खरीदेगी ?

श्री मनुभाई शाह : जितना माल मिले, वह सब हम खरीदने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ऊन की चमकदार ऊन में बदलने के हेतु अनुमति तथा सहायता दिये जाने के लिये ऊनी उद्योग द्वारा देशव्यापी मांग आई है, क्या मैं जान सकता हूं कि उस रूप में सरकार को सहायता देने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं यह नहीं जानता कि हम किस प्रकार सहायता दे सकते हैं। मुझे माननीय सदस्य से ही जानकारी मिली है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के पास भी बहुत से अभ्यावेदन आये हैं कि कुछ मामलों में ऊन चमकदार ऊन के रूप में बदली जा सकती है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस की अनुमति दे । इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा पुरोनिधान की गई कोई योजना है तो अवश्य ही मैं सहायता करने के लिये तैयार हूं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का व्यापार

+

†अल्प सूचना प्रश्न ९.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम हरख यादव :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रो० हालस्टाइन ने नई दिल्ली में उन के मंत्रालय के साथ जो चर्चा की थी उस का मुख्य विषय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के व्यापार में बहुत घाटा होने की समस्या थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन के व्यापार के सम्बन्ध में भारत और यूरोपीय समुदाय के आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं; और

(ग) क्या साझा बाजार में ब्रुसेल्स के प्रवेश के सम्बन्ध में ब्रुसेल्स में किये गये निर्णयों के बारे में, जो भारत के लिये लाभप्रद थे, प्रो० हालस्टाइन के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए भी उन प्रस्तावों की मान्यता एवं महत्व खत्म नहीं हुआ है, आग्रह किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाईशाह)**: (क) जी हां । प्रो० हालस्टाइन से हमने दिल खोल कर और विस्तारपूर्वक बातचीत की थी । हम उन के बड़े आभारी हैं कि बहुत अधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने भारत के विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करने का हमें एक अवसर देने के लिये इस देश में आने का समय निकाला ।

(ख) हमारे व्यापार आंकड़ों तथा उन आंकड़ों में कुछ विभेद था जो कि प्रो० हालस्टाइन ने मंत्रालय के साथ तथा मेरे साथ अपनी बातचीत में उद्धृत किये थे । उन के आंकड़ों से पता चलता था कि १९५८ से १९६२ तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का निर्यात बढ़ा था और हमारा व्यापार अन्तर प्रतिकूल होते हुए भी कुछ कम ही हो गया था । फिर भी तथ्य यह है कि जहां तक हम जानते हैं ये आंकड़े तथ्यों के प्रतिकूल हैं--हमने वाणिज्यिक सूचना विभाग के महानिदेशक के आंकड़ों से इन्हें मिला लिया है; व्यापार आंकड़े रखने का हमारे पास अत्याधिक आधुनिक तरीका है । सच तो यह है कि पिछले चार वर्षों से बल्कि सारी दशाब्दी से इन देशों को होने वाला हमारा निर्यात सामान्यतः स्थिर ही रहा है तथा इस क्षेत्र के साथ हमारा व्यापारान्तर अब भी बहुत प्रतिकूल है । उन्हें हमारे व्यापार आंकड़े दे दिये गये हैं । और उन्हों ने ब्रुसेल्स से लौटने के दुरन्त बाद हमारे और अपने आंकड़ों में अन्तर के कारणों की जांच पड़ताल करने का वचन दिया है ।

सदन की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि उन्होंने भारत को होने वाले यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के निर्यात का वर्णन किया था अर्थात् १९५८ में उन से हमारा आयात ४३ करोड़ डालर का था जोकि उन के कथनानुसार १९६२ में २९ करोड़ ८० लाख डालर तक चला गया । प्रो० हालटसाइन के आंकड़ों के अनुसार १९५८ में इन छः देशों को हमारा निर्यात १० करोड़ ३० लाख डालर का था जो १९६२ में १५ करोड़ ५० लाख डालर तक बढ़ गया । वास्तव में, जहां तक हमारे आंकड़ों का सम्बन्ध है, १९५८ में छः देशों से आयात ३४ करोड़ ४० लाख का था जो कि १९६२ में ३२ करोड़ ५० लाख डालर रहा । वास्तव में यह पहले ३५ करोड़ ८० लाख डालर था । १९५८ में भारत से इन छः देशों को निर्यात लगभग ८२ करोड़ डालर का था । १९६२ में यह ९८ करोड़ डालर था । प्रतिकूल व्यापारान्तर व्यावहारिक रूप से स्थिर है । १९५८ में यह २६ करोड़ २० लाख डालर था और १९६२ में यह २२ करोड़ ७० लाख डालर था । वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वे कुछ सी० आई० एफ० गणनायें ले रहे हैं अथवा, जैसा कि कुछ देशों में किया जाता है, तीसरे देश के आयात जोड़ दिये जाते हैं अर्थात् जो कुछ यहां से इंगलेंड तथा अन्य देशों को जा रहा है तथा सुमिश्रण, पुनर्वेष्टन तथा पुनः साबित किये जाने के बाद इन्हीं देशों को पुनः निर्यात कर दिया जाता है वह भी मिला दिया जा सकता है । परन्तु तथ्य यही है कि जहां तक इन देशों को हमारे निर्यात का संबंध है, वह स्थिर स्तर पर है । १९६०-६१ में समुदाय को हमारा निर्यात ५१ करोड़ रुपये का था । १९६१-६२ में वह ५२ करोड़ रुपये का था अब इस समय ४८ करोड़ रुपये था । सदन देखेगा कि कोई वृद्धि नहीं हुई है जैसा कि प्रो० हालस्टाइन कहते हैं । यदि कुछ हुआ है तो थोड़ी सी कमी ही हुई है । यह कमी आवश्यक रूप से समुदाय के बन जाने के कारण नहीं है । हम ने जो बात प्रो० हालस्टाइन के सामने रखी थी वह यह थी कि समुदाय को इस चीज का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे उत्पादों पर निर्बन्धन तथा

†मूल अंग्रेजी में

प्रशुल्क हटा कर हमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार के अधिक अवसर दिये जायें ताकि इन नये उदीयमान तथा सम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जो कि संसार के कुछ सर्वाधिक सम्पन्न क्षेत्र हैं और जहां उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की बहुत बड़ी मात्रा में खपत होती है भारत को भी अपना उचित भाग मिल सके ।

मैं आयोग के अध्यक्ष के प्रति आभारी हूं क्योंकि उन्हों ने हमरा दृष्टिकोण यूरोपीय समुदाय के सामने रखना स्वीकार कर लिया है और जब मैं मई में ब्रुसेल्स जाउंगा तो इस बात पर उन से चर्चा करने का हमें और अवसर मिलेगा ।

(ग) इस में समुदाय के उन सदस्य देशों की सहमति की अपेक्षा होगी जिन्होंने रोम संधि पर हस्ताक्षर किये हैं । किसी उपयुक्त अवसर पर समुदाय के आयोग तथा सदस्य देशों के साथ इस बात को उठाने का विचार है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या और अनुपूरक प्रश्नों की जरूरत है ?

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि प्रो० हालस्टाइन ने नई दिल्ली में अपने समाचार सम्मेलन में दो स्पष्ट वक्तव्य दिये थे जिन में उन्हों ने कहा था कि यूरोपीय साझा बाजार मूलतः एक निर्माणकर्ता क्षेत्र है तथा उसे अधिकतर कच्चा माल अन्य देशों से आयात करना पड़ता है और दूसरी बात यह कि उन्हों ने यूरोपीय साझा बाजार की मूल नीति को श्रम का अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन बताया था जिस का अर्थ यह है कि दोहरेपन से बचने के लिये कुछ एक देश विशेष वस्तु के बनाने में विशेषज्ञ प्राप्त करेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का कहां तक संकेत दे सकते हैं कि भारत की वरीयता किस में है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं यह कह सकता हूं कि प्रोफेसर ने अपने सार्वजनिक भाषणों में भी उल्लेख किया था कि यूरोपीय समुदाय के देश क्योंकि बहुत ही औद्योगीकृत हैं उन्हें आधारभूत कच्चा माल अन्यविकसित हो रहे देशों से खरीदना पड़ता है । परन्तु जैसा कि सदन को ज्ञात है, रोम संधि में एक संलेख है जिस में कि बहुत से अफ्रीकी देशों को सह-सदस्यों का स्थान दिया गया है और अविकसित सह-देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही हमारे जैसे, पाकिस्तान, लंका तथा बहुत से अन्य देशों के लिये, जोकि सह-सदस्य नहीं हैं और जो समुदाय के साथी बनना नहीं चाहते, हिस्सा छोड़ा जायेगा । इसे ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी बात पर प्रोफेसर की राय उस तरीके से भिन्न है जो कि हम ने उन के सामने रखने का प्रयत्न किया है ।

दूसरे, श्रम के अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के प्रश्न के बारे में, हम आयोग तथा अध्यक्ष के बड़े आभारी हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप में उन्होंने इस तरीके का सुझाव दिया था कि विकसित हो रहे देशों तथा औद्योगीकृत देशों के बीच श्रमविभाजन के बारे में एक समझौता होना चाहिये, अर्थात् निर्माण की सादा सादा चीजें तो हमारे देशों में तैयार की जानी चाहियें और अधिक जटिल वस्तुयें जिन्हें कि वे अपनी प्रौद्योगिकी से उत्पादित कर सकते हैं, हम उन से खरीद लें । परन्तु इसे ठोस रूप में लाने के लिये उन्हें तथा हमें बहुत काम करना पड़ेगा और हम आशा करते हैं कि समुदाय की आर्थिक तथा व्यापार नीतियों पर व्यापक समझौतों के फलस्वरूप प्रोफेसर तथा समुदाय के इन विचारों को कार्यरूप में परिणित किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, यूरोपीय साझा बाजार के किन किन देशों में भारत के निर्यात-व्यापार में कमी की प्रवृत्ति प्रकट हुई है। तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिये योजना के प्रारम्भ किये जाने के बाद किन देशों में स्थिर रहने या सुधरने की प्रवृत्ति प्रकट हुई है? क्या सरकार का विचार इन देशों के साथ हमारे निर्यात व्यापार को बनाये रखने और सुधारने के लिये उन के साथ अलग अलग उभयपक्षीय बातचीत करने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में, इन छः देशों में पश्चिम जर्मनी ऐसा देश है जिस के साथ कि हमारा व्यापारान्तर सब से अधिक प्रतिकूल है। जैसा कि मैंने कहा है कुल घाटा १३० करोड़ रुपये का है। घाटे में सुधार लाने के लिये हमें समुदाय के प्रत्येक देश के साथ अपने निर्यात को बढ़ाना होगा। अकेले जर्मनी से ही हमें ६ करोड़ रुपये की और हानि हुई है इसलिये इस देश के साथ हमें अधिक काम करना होगा। जहां तक उभयपक्षीय बातचीत के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह हमारा ही तरीका नहीं बल्कि समुदाय का भी तरीका है। उपयुक्त अवसरों पर हम आयोग के साथ बहुपक्षीय तरीका अपनायेंगे तथा उन सदस्य देशों के साथ जो रोम सन्धि के हस्ताक्षरकर्ता हैं उभयपक्षीय तरीका अपनायेंगे ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर हलस्टाइन भारत में कितने समय तक रहे और उन्होंने किन किन मंत्रियों से यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत की ?

श्री मनुभाई शाह : सारे अखबारों में ये सब बातें आई हैं। वह प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, फ़िनांस मिनिस्टर साहब से मिले, मुझे भी मिले, और काफ़ी बात-चीत हुई। वह यहाँ पर एक हफ्ता रहे ।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहबान को यह भी देख लेना चाहिए कि जो सप्लीमेंटरी वे करते हैं, उन का कुछ मुद्दआ और निशाना होना चाहिए। उन को देखना चाहिए कि उन से कोई फायदा भी पहुंचेगा ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यूरोपीय साझा बाज़ार के बारे में उन्होंने किन-किन मंत्रियों से क्या क्या बातें कीं। शायद अलग अलग बातें की हों ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब सप्लीमेंटरीज़ के जबाब में बतायें कि हर एक मंत्री के साथ क्या क्या बातें हुईं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के उत्साह में क्या सरकार यह देखने के बारे में सतर्क है कि श्रम विभाजन के नाम पर, जिस की ओर कि मंत्री महोदय ने अभी अभी निर्देश किया है, हमें ऐसी स्थिति स्वीकार करने पर विवश नहीं किया जायेगा जिस से कि देश में प्रौद्योगिक दृष्टि से उच्च तथा श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के निर्माण में रुकावट पड़ जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मुझे तो माननीय सदस्य के प्रश्न पर आश्चर्य हुआ है। श्रम विभाजन एक ऐसा विषय है जो अविकसित देशों की काहिरा घोषणा १९६४ में विश्व गोष्ठी के सामने रखने का प्रयत्न कर रही है जब संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी प्रार्थना पर एक विश्व व्यापार सम्मेलन बुला रहा है। हम ही लोग हैं, अविकसित देशों के लोग, जो कि दूसरों को विकसित देशों के बारे में बताते हैं। कृपया कपड़े, पटसन की वस्तुओं, साधित खाद्य पदार्थों, बिस्कुटों या सिलाई की

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीनों का उत्पादन मत कीजिये ; उनका उत्पादन विकसित हो रहे देशों पर छोड़ देना चाहिये तथा उन्नत देशों को वही चीजें बनानी चाहियें जो कि केवल प्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश ही बना सकते हैं। जो कुछ भी है, यह एक ऐसा तरीका है जिस में बाहर की ओर ध्यान दिया जाता है, अन्दर की ओर नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पाण्डेय ।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : मेरा प्रश्न इस में आ गया है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार १९६२ में प्रतिकूल व्यापारान्तर २२ करोड़ ७० लाख डालर था । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने प्रो० हालस्टाइन के साथ जो बात चीत की थी क्या उस में उन्होंने २२करोड़ ७० लाख डालर के इस घाटे को कम करने के हेतु कुछेक उन्नत देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध सुधारने के कोई ठोस सुझाव दिये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने उनके साथ जो बातचीत की वह मैत्रीपूर्ण तथा अनौपचारिक प्रकार की थी । ठीक है कि प्रो० हालस्टाइन समुदाय के आयोग के अध्यक्ष हैं परन्तु अकेले न तो वह और न ही समुदाय इसे कर सकता है ; यह एक बहु-पक्षीय ढंग है । हमें स्वयं अपने प्रयास करने पड़ेंगे और हम कम प्रशुल्क अथवा शून्य प्रशुल्क की नीति, अभ्यंशों में किसी निर्बन्धन के न होने अथवा कोई मात्रात्मक निर्बन्धन न होने की नीति के लिये जोर दे कर कह रहे हैं । इन आधार भूत नीतियों में संशोधन करना जरूरी है और हम आशा करते हैं कि समुदाय ऐसा करेगा । उनके साथ हमारी बातचीत में यह सदा हमारा प्रयास रहेगा और तब शायद हमारा प्रतिकूल व्यापारान्तर काफी कम हो जायेगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : एशियाई साझा बाजार के विचार के बारे में थोड़ी प्रगति हो चुकी है उसे देखते हुए--हमारी सरकार ने भी उस विषय में भाग लिया है--क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रो० हालस्टाइन के साथ बातचीत में किसी बात का पता चला था ताकि वास्तव में उस प्रकार का श्रम विभाजन न हो, जिसकी ओर कि मंत्री महोदय ने अभी अभी निर्देश किया था, जिस से कि हमारे देश आर्थिक पृष्ठदेश बने रहेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तिम भाग को पहले लेना चाहता हूं । श्रम के अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के बारे में प्रस्ताव यूरोपीय समुदाय को हमारी अथवा दूसरों की ओर से कोई हाल ही का या नया प्रस्ताव नहीं है । सभी ने बारम्बार इस पर जोर दिया है । जब महा-सचिव मास्को गये थे तो श्री ख्रुश्चेव ने भी पूर्व यूरोपीय देशों से यह प्रस्ताव किया था । इस से पहले, जब कि अतीत में मुझे उन से बात करने का अवसर मिला था, हम सारा समय इसी बात पर जोर देते रहे कि व्यापार नीतियाँ विचार धाराओं से अलग होनी चाहियें और अविकसित देशों को औद्योगीकृत देशों की उदीयमान अर्थ-व्यवस्थाओं में हिस्सा दिया जाना चाहिये । यह पहली बात है । दूसरे प्रश्न के बारे में मैं नहीं समझता कि एशियाई साझा बाजार की कोई भी ऐसी योजना औपचारिक रूप से या तो प्रस्तावित ही की गई है अथवा पुरोनिधान की गई है। मनीला में जो हुआ वह यह देखने के लिये प्रादेशिक आर्थिक आयोजन तथा सहयोग के बारे में निर्णय था कि एशियाई देश आपस में, एक दूसरे के साथ, प्रसारी विधि से व्यापार करें बजाय इसके कि वे सदा केवल औद्योगीकृत देश की मंडियों की ओर ही ध्यान रखें । यह प्रस्ताव जो कि किया गया है । किसी एशियाई साझा बाजार के लिये न तो कोई गोष्ठी हुई है और न ही किसी ओर से कोई प्रस्ताव है ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए मोटरगाड़ियां

†*६५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ियों की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है तथा स्थानीय निर्माताओं को क्रय आदेश (आर्डर) दे दिए हैं ; और

(ख) क्या भविष्य के लिये कोई निर्माण तथा संभरण कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। वर्तमान तथा आगामी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश के मोटरगाड़ियों के प्रगतिशील निर्माताओं की वर्तमान निर्माण क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†*६५८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री महेश्वर नायक :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में क्रियान्विति के लिये एक प्रोत्साहन लाभांश योजना बनाई गई है ; और

(ख) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं में जिन में हैवी इलैक्ट्रिकल्स भी शामिल है, एक रूप श्रमविधियाँ लागू करने की संभावनाओं की जाँच करें ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

ट्रैक्टरों का निर्माण

†*६५६. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री समनानी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कम्पनियों के गुड अर्थ ग्रुप को कोई लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने लाइसेंस दिए गए हैं तथा इस ग्रुप द्वारा किस प्रकार के ट्रैक्टरों का निर्माण किया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बाजार में इन ट्रैक्टरों को किस प्रकार बेचा जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) १२–१८ डी० बी० एच० पी० तथा २०–३० डी० बी० एच० पी० के परिसर में 'ऐकर' ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये फर्म को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दो लाइसेंस दिए गए हैं।

(ग) ट्रेक्टर निर्माताओं द्वारा नियुक्त व्यापारियों की एक श्रृंखला द्वारा बेचे जाते हैं।

इस्पात समकारी निधि

†*९६०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक इस्पात समकारी निधि में कुल कितना धन इकट्ठा हुआ है ;

(ख) क्या इस्पात के मूल्य कम करने के लिये इस धनराशि का उपयोग करने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसा करने के लिये कोई विशिष्ट प्रस्ताव तथा समय-सारणी तैयार की है।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) ३१ मार्च, १९६३ को ६४.०६ करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग). जी नहीं । इस समय सरकारी निधि का प्रमुख कृत्य भाड़े का व्यय पूरा करना है ताकि देश के सभी रेल पर्यन्तों पर समरूप से मूल्य पर इस्पात का संभरण हो ।

हथकरघा वस्त्र का निर्यात

†*९६१. { **श्री रामनाथन् चेट्टियार** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे हथकरघा वस्त्र के निर्यात में कोई कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हथकरघा वस्त्र का निर्यात अप्रैल, १९६२—फरवरी १९६३ की अवधि में बढ़ा है और १९६१-६२ में ११.१ करोड़ रुपये तथा अप्रैल १९६१ से फरवरी १९६२ की तत्सम्बन्धी अवधि में १०.२ करोड़ रुपये की तुलना में १२.४ करोड़ रुपये का है।

२. वर्ष १९६२ में परम्परागत मंडियों को हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में जबकि कुछ कमी हुई थी, अपरम्परागत मंडियों को जैसे कि अमरीका तथा महाद्वीप के देशों को

†मूल अंग्रेजी में

होने वाले निर्यात में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परम्परागत मंडियों को होने वाले निर्यात में कमी कुछ तो उन इलाकों में वस्त्र उद्योग के विकास के कारण है और कुछ जापान तथा हांग कांग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण जो कि अधिक सस्ते किस्म के नकली सूत के कपड़े का उत्पादन करते हैं। स्थिति पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और जब आवश्यक होता है सरकारी स्तर पर कार्यवाही की जाती है जैसे कि लंका के साथ चर्चा।

३. अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, बम्बई ने अदन, कोलम्बो, कुआलालम्पूर, सिंगापुर तथा जफना में पहले से ही चल रही पण्यशालाओं के अतिरिक्त नये इलाकों में हथकरघा वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ वाणिज्यिक यात्री नियुक्त किये हैं।

४. १९६२ में अमरीका को ब्लीडिंग मद्रास नाम से प्रसिद्ध हथकरघा वस्त्र की किस्म का निर्यात लगभग २ करोड़ रुपये का हुआ है।

५. हथकरघा वस्त्रों के बारे में लदान पूर्व निरीक्षण तथा किस्म विपणन योजनायें चालू की गई हैं। ब्लीडिंग मद्रास तथा इटावा बेडस्प्रैड्स के निर्यात के सम्बन्ध में यह अनिवार्य है।

६. सरकार हथकरघा वस्त्रों के विशिष्ट अभ्यंशों को उभयपक्षीय व्यापार करारों में सम्मिलित करने का प्रयत्न कर रही है।

७. हथकरघा वस्तुओं के निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने के लिये १५ अक्तूबर, १९६२ को हथकरघा वस्तुओं के लिये एक निर्यात संवर्द्धन मंत्रणा समिति बनाई गई थी। तबसे इस समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और उसने निर्यात बढ़ाने के लिये उपयोगी सुझाव दिये हैं।

रांची में बड़े आकार के मशीनी औज़ार बनाने का कारखाना

†*९६२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के रांची में बड़े आकार के मशीनी औज़ार बनाने के कारखाने की स्थापना की एक योजना के सिलसिले में मध्यम आकार के मशीनी औज़ारों के लिये जापान को क्रयादेश (आर्डर) दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश कितनी मात्रा का है; और

(ग) कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) रांची के भारी मशीनी औज़ार संयंत्र के बारे में मैसर्स टेक्नोएक्स्पोर्ट, प्राग, से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है और उसे सरकार द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

सिद्धान्त **रूप** में मान लिया गया है। संयंत्र तथा मशीनरी के संभरण, मंत्रणा सेवाओं तथा निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये ठेके बहुत शीघ्र ही जेक फर्म के साथ किये जाने की संभावना है।

एशिया साझा बाजार

*९६३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग सम्मेलन (इकाफे कान्फ्रेंस) की मनीला में हाल में हुई बैठक में प्रस्तावित एशियाई साझा बाजार का संकल्प एकमत से स्वीकार किया गया;

(ख) क्या संकल्प को प्रस्तुत करने वाले देशों में भारत भी था; और

(ग) एशिया के लिये प्रस्तावित साझा बाजार की मुख्य बातें क्या हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं। परन्तु उस क्षेत्र के देशों पर अधिक प्रादेशिक सहयोग के लिये अपने प्रयासों को गहन बनाने की बात पर बल देने वाला तथा अब तक की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने और ठोस प्रादेशिक कार्यवाही के लिये अधिक क्रियात्मक उपाय बनाने और अपनाने के हेतु क्षेत्र की सरकारों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाने के लिये एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के कार्यकारी सचिव से निवेदन करने वाला एक संकल्प सर्वसमिति से मनीला अधिवेशन में पारित किया गया था। इस संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ११९८/६३]**

(ख) भारत उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित संकल्प को पेश करने वालों में से एक था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में सोडा एश कारखाना

†*९६४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सोडा एश कारखाने की स्थापना के संबंध में डिजाइन बनाने के लिये तथा/अथवा सलाह देने के लिये कुछ विदेशी सलाहकार रखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो सलाहकार कौन-कौन थे तथा उनको क्या फीस दी गई अथवा दी जानी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विदेशी सलाहकार रखने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां। परियोजना सर्वेक्षण करने तथा सांभर झील के निकट झील के नमक पर आधारित सोडा एश संयंत्र स्थापित करने की सुकरता की जांच करने के लिये विदेशी परामर्शदाताओं की एक फर्म को लगाया गया था।

(ख) एक लाख रुपये के शुल्क पर मैसर्स क्रैब्स एण्ड कम्पनी, पेरिस, (फ्रांस)।

(ग) फर्म को राजस्थान सरकार द्वारा अपने विवेक पर रखा गया था।

चीन द्वारा विदेशी कपड़ा मंडियों में प्रतिद्वन्द्विता

†*९६५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
दी रघुनाथ सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन कपड़े के मामले में निकटस्थ विदेशी मंडियों, जैसे बर्मा तथा यूरोपीय मंडियों में भारतीय कपड़े से बड़ी प्रतिद्वन्द्विता कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिद्वन्द्विता का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) विदेशी मंडियों में प्रतिद्वन्द्विता का मुकाबला करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) विश्व मंडी में साधित तथा पूर्व-निर्मित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार कपड़ा मिलों को साधित कपड़े का अधिक उत्पादन करने के लिये सभी संभव सहायता देती आई है ;

(२) जुलाई १९६२ से सूती वस्त्र उद्योग द्वारा स्वेच्छापूर्वक निर्यात योजना का अपनाया जाना; और

(३) समुद्रपार खरीदारों की ठीक-ठीक आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये समुद्रपार मंडियों में विविध अभिकरणों द्वारा विपणन सर्वेक्षण किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में भारी इंजीनियरी परियोजनाएं

†२०७८. { श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में कितनी भारी इंजीनियरी प्रायोजनाएं स्थापित की जाने वाली हैं; और

(ख) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई प्रायोजना स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) ३९ (२ सरकारी क्षेत्र में और ३७ गैर-सरकारी क्षेत्र में)

(ख) जी हां। सरकारी क्षेत्र की एक प्रायोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली है।

बिहार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

†२०७९. { श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री उलाका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है; और

(ख) उसमें से कितनी रकम १९६२-६३ और १९६३-६४ में उस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गयी या दी जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए रकमें साल साल पर दी जाती हैं, न कि तीसरी योजना की अवधि के लिए इकट्ठी दी जाती हैं।

(ख) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में अर्थात १९६१-६२ और १९६२–६३ में (३१ दिसम्बर, १९६२ तक) उड़ीसा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को २८·४६ लाख रुपये का अनुदान और ४०·३० लाख रुपये का ऋण दिया गया था। १९६३-६४ में १८·१० लाख रुपये का अनुदान और ६२·७६ लाख रुपये का ऋण देने का विचार है।

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†२०८०. **श्री रामचन्द्र मल्लिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में नारियल जटा उद्योग की उन्नति के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना की अवधि के लिए कुल रकम में से कितनी रकम उड़ीसा राज्य के नारियल जटा उद्योगों की उन्नति के लिए मंजूर की गयी है ; और

(ग) उड़ीसा के उपर्युक्त उद्योगों के लिए १९६२-६३ और १९६३-६४ में कितनी रकम दी गयी या दी जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल रेशा उद्योग की उन्नति के लिए राज्यों की योजनाओं के लिये २·३४ करोड़ रुपया और केन्द्रीय योजनाओं के लिये ०.७५ लाख रुपया निर्धारित किया गया था ।

(ख) ३.३४ करोड़ रुपये में से ३ लाख रुपया तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में नारियल रेशा उद्योग के विकास के लिए नियत किया गया है ।

(ग) उड़ीसा राज्य के नारियल रेशा उद्योग की उन्नति के लिए १९६२-६३ में उड़ीसा सरकार को २००० रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । वर्ष १९६३-६४ में वित्तीय सहायता उस अवधि में नारियल रेशा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार के वास्तविक व्यय के आधार पर मंजूर की जायगी ।

मुजफ्फरपुर (बिहार) का विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्र

†**२०८१. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **विधि** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें बताया गया है कि सबसे हाल की और पहले की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरपुर ज़िले (बिहार) के प्रत्येक विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है और अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** १९६१ को जनगणना के अनुसार जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) के प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११६९/६३]** १९६१ की जनगणना के अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सही आंकड़े तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक कि परिसीमन आयोग इन निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अपना काम पूरा नहीं कर लेता ।

सप्लाई विभाग द्वारा खरीद

†**२०८२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्लाई विभाग ने १९६२-६३ में किन किन देशों से खरीद की ;

(ख) खरीद की वस्तुएं और उनका मूल्य क्या है ; और

(ग) १९६३-६४ के लिए खरीद कार्यक्रम क्या है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) और (ख). जानकारी संलग्न विवरण संख्या १ और २ में दी हुई है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० ११७०/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन देशों के नाम और १९६३-६४ में उनसे खरीदी जाने वाली चीजों के नाम बताना संभव नहीं है क्योंकि वह इस बात पर निर्भर होगा कि किस प्रकार का माल खरीदा जायेगा और क्या शर्तें रखी जाती हैं।

उड़ीसा में अम्बर चरखा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†२०८३. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में उड़ीसा में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये ;

(ख) कुल किपने प्रशिक्षणार्थियों ने उसमें भाग लिया ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में अबतक कुल कितना खर्च हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय नें उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और यथा समय वह सभा पटल पर रखी जायगी।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

†२०८४. **श्री उलाका** : क्या **वाणिचय तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में उड़ीसा राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए उड़ीसा को ई ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) १९६२-६३ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को ५.०१ लाख रुपये का ऋण दिया गया था। इसके अलावा ३.६० लाख रुपये का ऋण उसी वर्ष में औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए मंजूर किया गया था।

उड़ीसा में सीमेण्ट की सप्लाई

†२०८५. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २५ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उड़ीसा को वास्तव में कुल कितना सीमेंट दिया गया ; और

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा को कितने सीमेंट की आवश्यकता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) राज्य कोटा के अधीन १७८,६३२ मेट्रिक टन।

(ख) राज्य कोटा के अधीन ८९६,९५६ मेट्रिक टन।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विदेशी सहायता से उड़ीसा में उद्योग

†२०८६. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी योजना में उड़ीसा में क्रमशः कौन कौन से उद्योग स्थापित किये गये ;

(ख) प्रत्येक उद्योग में उत्पादन की वस्तुएं कौन कौनसी हैं और उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों में क्रमशः कितने उद्योग हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११७१/६३]** । उड़ीसा में गैर-सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों के बारे में जिन्हें पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी ऋण के रूप में या तकनीकी या वित्तीय विदेशी सहयोग के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, पूरी जानकारी इकट्ठी करने में जो मेहनत लगेगी वह उस जानकारी की उपयोगिता के अनुरूप नहीं होगी ।

उड़ीसा कपड़ा मिलों में तकुए और करघे

†२०८७. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी उड़ीसा की कपड़ा मिलों में कुल कितने तकुए और करघे हैं ; और

(ख) इन मिलों में कितने कर्मचारी अभी नियुक्त हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) ५२,२७२ तकुए और ६६४ करघे ।

(ख) लगभग ७००० ।

कच्चे लोहे का उत्पादन

†२०८८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी फर्में लोशैफ्ट फरनेस के जरिये कच्चा लोहा तैयार करती हैं ;

(ख) क्या इसमें से कोई फर्म ऐसे संयंत्र के लिए भी मशीनें तैयार कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या फर्में अपने उपयोग के लिए या दूसरों के लिए भी मशीनें तैयार करली हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) एक।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल के लिए आवागमन की सुविधाएं

२०८९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल की सरकार ने आवागमन की अधिक सुविधाओं की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) नेपाल की सरकार ने नेपाल को माल भेजने के लिये अधिक संख्या में रेलवे वैगनों की व्यवस्था करने के लिये कहा है। नेपाल द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के साथ किये गये व्यापार करार के फलस्वरूप भारत होकर नेपाल से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से नेपाल को माल भेजने के संबंध में नेपाल ने मार्ग संबंधी कुछ सुविधाओं की भी मांग की है।

(ग) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

लक्ष्मी कॉटन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

†२०९०. **श्री गो० महन्ती :**
श्री रामचन्द्र मल्लिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लक्ष्मी काटन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनमें से कोई कंपनी के चेयरमन का नजदीकी या दूर का रिश्तेदार है ; और

(ख) कितने डायरेक्टर महिलायें हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पांच।

(ख) जी हां। उनमें से एक कम्पनी के चेयरमन का रिश्तेदार है।

(ग) दो।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

२०६१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों में किन-किन नये उद्योग केन्द्रों (इण्डस्ट्रियल यूनिट्स) को अब तक स्थापित किया गया है अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) उनमें से प्रत्येक की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) उसमें स कोन-कौन उद्योग-इकाइयां सरकारी क्षेत्रों में हैं और कौन गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(घ) उन उद्योग-इकाइयों की प्रगति और तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर यथासमय रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में कुटीर और लघु उद्योग

†२०६२. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में कुटीर और लघु उद्योगों के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं, वे कहां कहां स्थित हैं और प्रत्येक उद्योग के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बेल्जियम को हुक्के की तम्बाकू का निर्यात

†२०६३. **श्री सुबोध हंसदा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम में हुक्का तंबाकू की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो यह तम्बाकू निर्यात करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उस देश में सालाना इस तम्बाकू की कुल मांग कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). जी नहीं, उपलब्ध आंकड़ों से यह दिखायी पड़ता है कि बेल्जियम में हुक्का तम्बाकू की मांग बहुत अधिक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कागज का उत्पादन

†२०९४ **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज की वर्तमान आवश्यकता कितनी है ;

(ख) हमने कागज के मामले में कहां तक आत्म निर्भरता प्राप्त की है ;

(ग) चालू योजना के आरम्भ से कम्पनियों और व्यक्तियों को वर्तमान कागज मिलों के विस्तार के लिए और नये उपक्रम स्थापित करने के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये; और

(घ) क्या इन लाइसेंसों का पूरा पूरा उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो उन के पूरे पूरे उपयोग के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्याग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) १९६३–६४ में लगभग ५·३ लाख टन ।

(ख) ८० प्रतिशत ।

(ग) ५ विस्तार लाइसेंस और ३६ नये लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

(घ) ४१ लाइसेंसों में से १३ को कार्यान्वित किया जा रहा है और १३ को रद्द किया गया है । बाकी १६ लाइसेंसों की प्रगति की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

कपड़ा मिलें

†२०९५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिण्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ राज्यों को कपड़ा मिलें स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य स्वीकृत नीति के विरुद्ध कार्य करने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन किन राज्यों को ऐसी अनुमति प्राप्त हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) मुख्यत: हथकरघा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सूत की, खास कर उन काउन्ट के सूतों की जिन की सप्लाई कम है, नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये चार रुई कताई मिलों को लाइसेन्स दिये गये हैं । पश्चिम बंगाल में जिस एकक के लिए मंजूरी दी गई है उस का उद्देश्य विस्थापित श्रमिकों को पुनर्वासित करना था ।

(ग) केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ।

मक्का का आयात

२०९६. **श्री कछवाय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टार्च फैक्टरियों के लिये मक्का विदेशों से आती है;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने रुपये की ;

(ग) यदि मक्का देश में ही खरीदी जाये तो क्या कुछ हानि होगी और यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी; और

(घ) क्या स्टार्च फैक्टरी वालों पर देश में मक्का खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध है और यदि हां, तो क्यों ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टार्च उद्योग के लिये मक्का की वार्षिक आवश्यकता लगभग ८०,००० मीट्रिक टन है (जो पी० एल० ४८० के अधीन अमरीका से मंगाई जाती है) जिस का मूल्य २.२ करोड़ रुपये के लगभग होता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी हां । स्टार्च बनाने के लिये स्टार्च फैक्टरियों द्वारा देशी मक्का खरीदने पर इस दृष्टि से रोक लगा दी गई है कि उन के द्वारा बड़े परिमाण पर मक्का खरीदने से देश में उस की कीमतों में अनुचित वृद्धि न होने पाये ।

नया नंगल बस्ती

†२०९७. **श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कारखाने से संलग्न नया नंगल बस्ती का निर्माण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां ।

(ख) ३.३६ करोड़ रुपया (लगभग) ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटर गाड़ियों की बिक्री

†२०९८. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में २८ फरवरी, १९६३ तक विभिन्न दूतावासों और हाई कमिश्नरों से संबद्ध व्यक्तियों ने राज्य व्यपार निगम को कितनी मोटर गाड़ियां (कार, स्टेशन वैगन आदि) दीं,

(ख) उन मोटर गाड़ियों के लिये कितना मूल्य दिया गया;

(ग) उपर्युक्त मोटर गाड़ियों को किस प्रकार बेचा गया; और

(घ) उन की बिक्री से क्या लाभ या हानि हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राजनयिकों / राजनयिक दूतवासों की आयातित कारों को राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीद संबंधी

---

†मूल अंग्रेजी में

आदेश, २९ नवम्बर, १९६२ से लागू हुए । २९ नवम्बर, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक की जानकारी इस प्रकार है :—

राज्य व्यापार निगम को दी गई ६० आयातित गाड़ियों में से १७ गाड़ियों को खरीदा गया । बाकी गाड़ियों के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) खरीदी गई १७ गाड़ियों के लिए २,०२,८८९ रुपये ४० न० पै० ।

(ग) खरीदी गई १७ गाड़ियों में से ५ गाड़ियां अब तक प्राथमिकता के क्रम के अनुसार निम्नलिखित को बेच दी गयी हैं :—

राष्ट्रपति भवन
प्रतिरक्षा संगठन
केन्द्रीय और राज्य सरकारें
विदेशी मुद्रा कमाने वाले सरकारी क्षेत्र की कंपनियां
राज भवन
पर्यटक संगठन

(घ) राज्य व्यापार निगम एक व्यापार संगठन होने के नाते, यह जानकारी बताना सरकारी हित में नहीं है ।

धुवारन विद्युत परियोजना के लिए ट्रांसफारमर

†२०९९. **श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने धुवारन विद्युत परियोजना के लिए गुजरात बिजली बोर्ड को बड़े आकार का ट्रांसफारमर देने में असमर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) : गुजरात बिजली बोर्ड ने मई १९६१ मे हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल से पूछा था कि क्या वह धुवारन परियोजना के लिए बिजली के निम्न आकार के ट्रांसफारमरों का संभरण कर सकेंगे :—

१. ७५,००० के वी ए के ४ ट्रांसफारमर
२. ४०,००० के वी ए के ६ ट्रांसफारमर, और
३. १२,५०० के वी ए का एक ट्रांसफारमर

हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल ने ४०,००० के वी ए के ६ ट्रांसफारमरों का तथा १२,५०० के वी ए के १ ट्रांसफारमर का क्रयादेश स्वीकार कर लिया था । ७५,००० के वी ए के ४ ट्रांसफारमरों का क्रयादेश वह तुरन्त स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि उस समय कारखाने में ५०,००० के वी ए के बड़े आकार का ट्रांसफारमर बनाने के यंत्र नहीं थे । परन्तु बाद में उन्होंने निर्णय किया अतिरिक्त संयंत्र लगा कर तथा परीक्षण संयंत्र की क्षमता बढ़ा कर वह बड़े आकार के ट्रांसफारमर बना सकेंगे । क्योंकि अतिरिक्त यंत्रों की स्थापना में कुछ समय लगेगा इसलिए हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल ने गुजरात बिजली बोर्ड को परामर्श दिया कि वह क्रयादेश मिलने की तिथि से २२ / २४

---

†मूल अंग्रेजी में

महीनों में ७५,००० के वी ए के ट्रांसफारमर दे सकेंगे। उन को यह अवधि ठीक नहीं लगी क्योंकि उन को मार्च १९६३ में ट्रासफारमरों की जरूरत थी। इसी लिये बिजली बोर्ड ने ट्रांसफारमर अमरीका से मंगाने का प्रबन्ध कर लिया।

पंजाब में खादी का उत्पादन

†२१००. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में पंजाब में कितनी खादी का उत्पादन हुआ ; और

(ख) १९६३–६४ में खादी के उत्पादन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार पंजाब में १९६२–६३ में दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक ६१·१८ लाख वर्ग मीटर खादी जो १७७·८० लाख रुपये की थी का उत्पादन हुआ था।

(ख) ३३६·२७ रुपये लाख मूल्य की।

हथकरघा वस्त्र निर्यात संगठन

†२१०१. **श्री रेड्डियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में दिसम्बर, १९६२ तक हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा देश से कितने हथकरघा के कपड़े का निर्यात किया गया था;

(ख) इसी अवधि में हथकरघा निर्यात संगठन की स्थापना पर कितनी रकम खर्च हुई थी;

(ग) इसी अवधि में देश में हथकरघे का कितना कपड़ा बिका था; और

(घ) क्या हथकरघा संगठन का विचार १९६४ के न्यूयार्क के विश्व मेले में भाग लेने का है तथा यदि हां, तो कितना धन व्यय करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संबद्ध है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११७२/६३**]

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

†२१०२. **श्री रेड्डियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के किन सिद्धान्तों पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है ; और

(ख) क्या बोर्ड में मद्रास के कोई सरकारी निर्यातकर्ता अथवा उत्पादक हैं क्योंकि उस राज्य में ५० प्रतिशत से अधिक उत्पादक हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जनवरी, १९६३ में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड गठित किया गया था क्योंकि जनवरी, १९६१ में प्राक्कलन समिति ने यह बताया था कि बोर्ड की सदस्यता अधिक है तथा बोर्ड को व्यापारी वर्ग का स्वरूप देने के लिए आवश्यक है कि इसकी सदस्यता कम की जाये। हथकरघा हितों पर बुरा प्रभाव न डालते हुए सदस्य संख्या ६० से ३२ घटा दी गई थी। विभिन्न राज्यों तथा हथकरघा उद्योग मे सम्बन्धित प्रतिनिधित्व नीचे दिए जाते हैं :—

	प्रतिनिधियों की संख्या
२ लाख से अधिक रजिस्टर्ड करघों वाले राज्य .	२
१ लाख से २ लाख रजिस्टर्ड करघों वाले राज्य	१
१ लाख रजिस्टर्ड करघों से कम करघे वाले अन्य राज्य	२ (दो सदस्यों का मिला हुआ प्रतिनिधित्व)

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :

वस्त्र आयुक्त ज्वायंट वस्त्र आयुक्त निदेशक, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड योजना आयोग वित्त (वाणिज्य तथा उद्योग डिवीजन)	५

निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :—

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
अखिल भारतीय वस्त्र विकास सहकारी समिति, बम्बई
रिजर्व बैंक आफ इंडिया
मिल उद्योग
निर्यातकर्ता
मद्रास तथा हैदराबाद समितियों के प्रधान

(ख) श्री एम० एस० ए० भार्गव, मद्रास (हथकरघा वस्त्र के निर्यातकर्ता) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के एक सदस्य हैं जो निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य के तीन और निम्नलिखित प्रतिनिधि :—

(१) प्रधान, दक्षिण भारत मिल मालिक संस्था, कोयम्बटूर।

(२) प्रधान, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सेलम।

(३) हथकरघा निदेशक, मद्रास।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने

†**२१०४. श्री रा० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सीमेन्ट कारखानों की स्थापना की योजना स्वीकार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने में उत्पादन कब से आरंभ हो जाने की आशा है तथा उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). भिलाई के निकट जमुल में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। आशा है कि १९६४ के मध्य से कारखाने में उत्पादन होने लगेगा तथा इस की अन्ततः क्षमता लगभग ५८०,००० टनों की होगी। अकालतारा (चोपा के निकट), मानपुरा तथा रायपुर में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने को सिद्धान्ततः मान लिया गया है। अपेक्षित मशीन तथा उपकरण की संतोषजनक व्यवस्था हो जाने के बाद संबंधित पक्षों को लाइसेंस दिए जायेंगे। इन कारखानों की स्थापित क्षमता नीचे दी जाती है :—

अकालतारा	एक वर्ष में पोर्टलैंड सीमेंट १६७,६२० टन
मानपुरा	एक वर्ष में पोर्टलैंड सीमेन्ट २०३,१८० टन
रायपुर	एक वर्ष में पोर्टलैंड सीमेन्ट ३३०,००० टन।

इस समय यह कल्पना संभव नहीं है इन कारखानों में उत्पादन कब शुरू हो जाने की आशा है।

केरल में उद्योगों को आरम्भ करने के लिए लाइसेंस

†२१०६. श्री प० कुन्हुव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उद्योगों को आरंभ करने के लिए तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कितने लाइसेंस दिए गए थे ;

(ख) कितने लाइसेंस काम में लाये गये; और

(ग) लाइसेंस किन उद्योगों के लिए दिये गये ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन समय समय पर जारी लाइसेंस 'बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस तथा एक्सपोर्ट लाइसेंस' तथा 'इण्डियन ट्रेड जनरल' साप्ताहिकों में तथा 'जनरल आफ इंडस्ट्री एन्ड ट्रेड' मासिक में प्रकाशित होते हैं। 'जरनल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' मासिक में काम में लाये गये लाइसेंसों के ब्योरे छपते हैं। दोनों पत्रिकाओं की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

रूस में टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण

२१०७. { श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री कछवाय :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीयों को रूस में शिक्षण दिया जा चुका है जो कि भिलाई और हटिया परियोजना के विस्तार का काम करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). हटिया परियोजना के लिए ७ भारतीयों को रूस में प्रशिक्षण दिया गया है। भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये विशेष रूप से किसी व्यक्ति को रूस में प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

शाहदरा से कारखानों का स्थानान्तरण

†२१०८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरे के कारखाना मालिकों ने सरकार को ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कारखानों को नई औद्योगिक बस्तियों में हटाने में असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उनको कोई वित्तीय सहायता देने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) शाहदरा निर्माता संस्था से दिल्ली प्रशासन को एक ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने तब तक नई औद्योगिक बस्ती में जाने से इन्कार कर दिया है जब तक विकसित प्लाटों के लिए किस्त बढ़ाने तथा कम मूल्यों समेत आसान शर्तें पेश न की जायें।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

खादी और ग्रामोद्योगों का विकास

२१०९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य खादी बोर्डों के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह आयोग के स्थापित किये जाने के समय से अब अब तक पूरा नहीं हो सका है; और

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इनके लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य-खादी बोर्डों के लिए दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†२११०. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को १९६१-६२ के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार भारी हानि हुई थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां। १९६१–६२ में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हानि हुई थी।

(ख) लोहा तथा इस्पात कारखानों में मितव्ययता तभी हो सकती है जब उत्पादन कारखानों में ८० प्रतिशत स्थिर हो जाये। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों में पिंड क्षमता पूरी हो गई है। उत्पादन लागत में कमी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पंजाब में अम्बर चरखा

†२१११. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में अब तक पंजाब में अम्बर चर्खे के प्रचार के लिए वर्ष वार कितनी रकम दी गई ;

(ख) दूसरी अवधि में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खोले गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९६१–६२ में अनुदानों के रूप में २·७२ लाख रुपये तथा ऋण के रूप में ७·४४ लाख रुपये और १९६२–६३ (दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक) में अनुदानों के रूप में ०·७५ लाख रुपये का तथा के रूप में ०·९२ लाख रुपये दिए गए थे।

(ख) १९६१–६२ में ५·६० लाख वर्ग मीटर अम्बर कपड़ा बनाया गया था जबकि १९६२–६३ में, १९६२ दिसम्बर के अन्त तक २.०५ लाख वर्ग मीटर अम्बर कपड़ा बनाया गया था।

(ग) ३१७।

कच्चे लोहे का वितरण

†२११२. **श्री याज्ञिक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में राज्यवार कितने कच्चे लोहे का वितरण किया गया ?

***इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : १–७–१९५९ से कच्चे लोहे की कोटा पद्धति नहीं है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता स्टाकिस्टों अथवा उत्पादकों से

†मूल अंग्रेजी में

लोहा तथा इस्पात निदेशक के द्वारा ले सकते हैं। १९६० से १९६२ में कच्चे लोहे का राज्यवार लदान नीचे दिया जाता है :— *

राज्य	('००० मीट्रिक टनों में)		
	१९६०	१९६१	१९६२
आंध्र	३·५	६·१	४·१
आसाम	०·१	०·४	०·२
बिहार	१७·१	१५·७	२३·४
दिल्ली	२५·८	१७·३	१७·५
गुजरात	२६·०	२८·३	२७·६
हिमाचल प्रदेश	..	..	०·६
जम्मू तथा काश्मीर	..	..	..
केरल	१·९	२·८	१·४
मद्रास	१६·२	१९·७	१९·५
मैसूर	६·७	१९·३	१९·५
महाराष्ट्र	४७·६	४९·४	३८·१
मध्य प्रदेश	७·३	८·३	९·२
बम्बई (अविभाजित)	०·५	..	..
उड़ीसा	९·३	१३·२	२५·३
पंजाब	७६·६	७०·०	६२·८
राजस्थान	२·३	३·८	६·१
उत्तर प्रदेश	४८·०	४३·८	५७·६
पश्चिम बंगाल	१४५·९	१९७·४	२५८·५

*निम्नलिखित लदान शामिल नहीं है—

(एक) मैसर्स आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से कुल्टी वर्क्स को लदान	२०६·०	२६८·०	२०४·०
(दो) लोहे के ढले हुए स्लीपर बनाने वालों को लदान, जो रेलवे द्वारा विभिन्न राज्यों को क्रयादेशों पर आवंटित किए गए	२५०·०	२२०·०	२१२·०

रंगीन फिल्में

†२११३. **श्री बृजराज सिंह कोटा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अव्यवसायी फोटोग्राफरों द्वारा काम में लाई जाने वाली रंगीन फिल्में भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो क्या निकट भविष्य में इनको उपलब्ध कराने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार को भारत में **रंगीन** फिल्मों की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों को सीमेंट का आवंटन

†२११४. **श्री याज्ञिक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितना सीमेंट आवंटित किया गया था ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी)**: (एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।**पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० ११७३/६३**] ।

नालीदार लोहे की चादरों का आवंटन

†२११५. **श्री याज्ञिक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को नालीदार लोहे की चादरों का कितना आवंटन किया गया ;

(ख) आवंटन किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या थोड़ा आवंटन होने के बारे में कोई शिकायत मिली थी तथा क्या कार्यवाही की गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री प्र० च० सेठी)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-११७४/६३**]

(ख) माँग तथा उपलब्धता ।

(ग) जी हाँ । गैलवेनाइज्ड नालीदार चादरों की कमी के कारण पूरी माँग पूरी करना संभव नहीं है । बाढ़, आग आदि की प्राकृतिक कठिनाइयों के मामले में आवश्यकता-पूर्ति के लिए आरम्भिक लदान किया गया था ।

लोहे के पाइपों का आयात

२११६. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १,१७,००० फीट ६ तथा ४ इंच के पिटे लोहे के पाइपों का आयात करने के लिए सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनको किन देशों से आयात किया जा रहा है ; और

(ग) उनका क्या मूल्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कवचित चादर (आर्मर प्लेट) का निर्माण

†२११७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के सहयोग से कवचित चादर (आर्मर प्लेट) बनाके के लिए रूरकेला इस्पात कारखाने में एक नया हीट मैंट संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो जर्मनी की कितनी सहायता मिलेगी ; और

(ग) किस प्रकार की प्लेटें बनाई जायेंगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

भारी बिजली सामान निगम

†२११८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी बिजली सामान निगम ने रूस के साथ मशीनी वस्तुओं के डिजाइन-पत्र देने के लिए एक करार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो करार के अन्तर्गत और कौन कौन वस्तुयें आयात की जायेंगी ; और

(ग) वस्तुओं के लिए भुगतान कैसे किया जायेगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० बरुआ): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेरागुन्टला में सीमेंट का कारखाना

†२११९. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले में मेरागुटला में सीमेंट कारखाने की अनुमानित क्षमता कितनी होगी ; और

(ख) यह कब तक चालू होगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ६०० मीट्रिक टन प्रतिदिन या २००,००० टन मीट्रिक वार्षिक ।

(ख) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कारखाना कब चालू होगा । फिर भी, संयंत्र तथा सामग्री के लिए क्रयादेश देने के बाद सीमेंट कारखाने के चालू होने में २–३ वर्ष लगते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक कारखाना

†२१२०. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उर्वरक कारखाने के बारे में केन्द्र को प्रारम्भिक रिपोर्ट मिलने के बाद क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विदेशी सहयोग के बारे में कोई निश्चय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ; और

(घ) परियोजना की शीघ्र कार्यान्विति के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस मेसर्स गुजरात स्टेट फोर्टिलाइजर कम्पनी को, ७ जुलाई, , १९६२ को झरिया तथा अमोनियम फास्फोट के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए दिया गया था । इस कारखाने की कुल क्षमता नाइट्रोजन के रूप में ९६,००० मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी । एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और कम्पनी ने झरिया तथा अमोनिया संयंत्रों के संभरण के लिए कुछ विशेष विदेशी फर्मों से टेण्डर मांगे हैं । कारखानों तथा उपनगर के लिए स्थान चुन लिया गया है । इसके लिए लगभग ४२० एकड़ जमीन प्राप्त की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) यह परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में है और इस में गुजरात सरकार का थोड़ा अंश है। भारत सरकार यह देखने की बहुत इच्छुक है कि परियोजना यथाशीघ्र पूरी हो जाये और जहां भी संभव होगा समय समय पर ऐसी सहायता देती रहेगी जिसकी कम्पनी को जरूरत हो।

भारत के आयात और निर्यातों का मूल्य

२१२१. **श्री रामेवरानन्द** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले पांच वर्षों में भारत से कितनी राशि का माल निर्यात किया गया और कितनी राशि का माल आयात किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तराष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण साथ में नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—११७५/६३**]

गुजरात राज्य में छोटे पैमानेके उद्योग

†२१२२. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि गुजरात राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चे लोहे की कमी है और वे बन्द होने वाले हैं ; और

(ख) इन छोटे पैमाने के उद्योगों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) गुजरात में ढलाई के कच्चे लोहे की कमी की शियकायतें राज्य में ढलाई घरों से मिली हैं और इस से उत्पादन कम हो गया है । सामान्यतया सरकार को केवल गुजरात में ही नहीं अपितु अन्य राज्यो में भी ढलाई के लोहे की कमी का पता है। इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि गुजरात में छोटे पैमाने के कौन कौन कारखाने इस कमी के कारण बन्द होने लवाले हैं। १९६२ में गुजरात राज्य के अनेक ढ़लाई कारखानों को वर्तमान तथा अपूर्व क्रमादेशों पर कुल २७,५८६ मीट्रिक टन कच्चा लोहा दिया गया था । कारखानों को चालू करने के लिये कुछ मात्रा प्राथमिकता के आधार पर भेजी गई है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिठानी और श्रीपुर कोयला खानों में दुर्घटनायें

†श्री यशपाल सिंह : (कैराना) : मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :—

"१२ अप्रैल, १९६३ को मिठानी कोयला खान में और १० अप्रैल, १९६३ को श्रीपुर कोयला खान में हुई दुर्घटनाएं जिनके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये और कई घायल हुए ।"

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्र (श्री र० कि० मालवीय) : मैं सभा को खेदपूर्वक सूचित करता हूं कि १० अप्रैल, के श्रीपुर कोयला खान में एक दुर्घटना हुई और दूसरी दुर्घटना १२ अप्रैल, १९६३ को मिठानी कोयला खान में हुई ।

श्रीपुर की दुर्घटना नीचे जाने वाले एक डिब्बे के शेफ्ट के निचले भाग से टकरा जाने से हुई । डिब्बे में ९ व्यक्ति बैठे थे जिन में से एक को सख्त चोटें आईं ।

खान में शेफ्ट ८०० फुट गहरी है और अच्छी तार व्यवस्था से जुड़ी हुई है । खान निरीक्षालय ने इस घटना की जांच की है और उन्होंने ऐसी दुर्घटना बताया है जो अनायास हो गई है ।

मिठानी कोयला खान की दुर्घटना प्राय ६ फुट की ऊंचाई से कोयले की छत के टोकरे में कोयला भरने वाली तीन व्यक्तियों पर गिरने से हुई । उन में से २ वहीं मर गए और एक को गहरी चोटें आईं।

निरीक्षालय में दुर्घटना की जांच की और उन्होंने प्रबन्धकों तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों को इस के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि उन्होंने विनियमों के अनुसार सुरक्षा सम्बन्धी सावधानी नहीं बरती । प्रबन्धकों और कर्मचारियों के विरुद्ध वैध कार्यवाही के लिये पग उठाये जा र हैं।

†श्री यशपाल सिंह : क्या खान निरीक्षक ने पहले सूचना दी थी कि ऐसे खतरे की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री र० कि० मालवीय : हमें जानकारी नहीं मिली । दुर्घटना के बाद निरीक्षालय ने निरीक्षण कर के सूचना दी थी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यह दुर्घटना श्रीपुर और निकटवर्ती (कानपुर) क्षेत्रों में उन दिनों हुई जब कि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था । आपातकाल में अधिक काम करने वालों के हितों की रक्षा करने सुरक्षा के उपाय लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†श्री र० कि० मालवीय : ये द.नों घटनाएं सुरक्षा सप्ताह के दिनों में ही हुई थी। सावधानी के लिए विभिन्न विनियम हैं जिनका पालन किया जाता है । मिठानी के मामले में हम प्रबन्धकों पर अभियोग चला रहे हैं। हाल ही में दो काम और शुरू किये गये हैं। एक तो खान में प्रवेश से पूर्व श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है दूसरे हम शीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना कर र हैं ताकि भविष्य में वे दुर्घटनाओं की संख्या यथासंभव कम करने का प्रयत्न करें।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सरकार से पूछा जाय कि यदि सुरक्षा सप्ताह में दुर्घटनाएं होती हैं तो अन्य सप्ताहों में क्या होगा ?

सभापटल पर रखे गये पत्र

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं कॉफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८५ में प्रकाशित कहवा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०——११६६/६३]

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनसूची और अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त विधेयक, १९६३

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा १८ अप्रैल, १९६३ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :--

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हरिचरण सोय भाषण जारी रखें ।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं बड़ी कठिनाई से मंत्री महोदय का ध्यान दिला रहा था इस बात की ओर कि यूनियन टैरीटरीज़, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान्स वगैरह हैं, इन के लिए हम ने जो बजट में अनुदान किये थे उन में से ५० प्रतिशत से भी अधिक रकम वापस की गयी है । यह वापसी की बड़ी खामी है खास कर कल्याण के कार्यों में । इससे स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी है । सदन को मैं मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो १२ स्टेट्स हैं उन में प्लान में रखा गया था ४ करोड़ ५८२ लाख रुपया । इस में से खर्च किया गया सिर्फ ३ करोड़ ९३० लाख और वापस किया गया ६५२ लाख यानी १४.२ पर सेंट । मध्य प्रदेश में कल्याण कार्यों के लिए दी गयी रकम में से ३७ प्रति शत वापस की गयी, बिहार में ३० प्रति शत वापस की गयी, इसी तरह पंजाब में ३३ प्रतिशत वापस की गयी और मैसूर में ३७ पर सेंट वापस की गयी । यही हाल दूसरे राज्यों में है ।

अब विचार करने की बात यह है कि हम ये कल्याण कार्य संविधान के मुताबिक कर रहे हैं । संविधान की धारा ४६ में भारतीय जनता ने प्रतिज्ञा ली है कि एक निश्चित समय में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विशेष कर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कम से कम समय में एक विशेष कदम उठाया जायेगा । लेकिन जो उदाहरण मैंने पेश किये हैं उनसे पता चलता है कि १७ प्रति शत से लेकर ३३ प्रतिशत तक यह रुपया वापस कर दिया जाता है, इसके मानी हैं कि हम सारे काम नहीं कर सके । इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में सदन के सामने एक आथारिटेटिव रिपोर्ट ढेबर कमीशन की है जो हम को बड़ी दर्दनाक इनफारमेशन देती है। इस रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन की गयी है कि आयन्दा ऐसा इन्तिजाम होना चाहिए कि इतने रुपये की वापसी न हो। इस में एक और खास रिकमेंडेशन यह दी गयी है कि हमारे होम मिनिस्ट्री में एक ऐसा निश्चित डिपार्टमेंट (एकाउंट सैल) हो जो इस बात की देखभाल करे कि जो रकम दी जाती है अनुदान के रूप में हर साल बजट में, उसका उचित खर्च हो रहा है और जिन उद्देश्यों के लिए वह रकम दी गयी है उसी मद में खर्च हो। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस नये बजट में उस रिकमेंडेशन को रखा गया है या नहीं।

फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इस बात के लिए की गयी है कि रुपये की वापसी न हो सके। वह यह है कि हर साल जब हम अपनी प्लान तजवीज़ करते हैं तो इस बात की जांच की जाये कि हम कितनी दूर आगे बढ़े हैं और हम खर्च ठीक से कर रहे हैं या नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले साल में इस तरह की जांच हुई कि नहीं।

शिड्यूल्ड एरियाज की जिम्मेवारी विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार की है। ऐसे इलाकों में, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण होने के कारण वहां जो हजारों फैमिलीज़ पहले से रह रहे थे उनको हटाया जा रहा है। एक ओर हम बहुत खुश होते हैं और होना भी चाहिए कि औद्योगीकरण हो रहा है और देश की प्रगति के लिए हम बड़े पैमाने पर कारखाने बना रहे हैं। लेकिन उसी के साथ उस इलाके के लोग हजारों की संख्या में वे जमीन और बेसहारा किये जा रहे हैं। आप देखें कि जहां हटिया का कारखाना बनाया गया है वहां के हजारों लोग बेजमीन होकर पड़े हैं। उन्हें काम नहीं मिलता। आप चल कर उनकी हालत को देखें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे निमंत्रण देते हैं तो मैं चलूंगा।

†श्री ह० च० सोय : हम आप को निमंत्रण देते हैं।

तो मैं कह रहा था कि देश के लोग बहुत खुश हैं कि हटिया में कारखाना बन रहा है, लेकिन वहां के लोगों को अपने घरों से उजाड़ा जा रहा है। हम ये सब कारखाने आदि इसलिए स्थापित करते हैं कि देश के लोगों को ज्यादा रोजगार दे सकें, लेकिन वहां के लोगों को हटाया जा रहा है और उनको बीस या तीस मील दूर बसाया जा रहा है। रूरकेला की भी यही बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो इन इलाकों में औद्योगीकरण हो रहा है उसका सामाजिक असर स्थानीय जनता पर बहुत बुरा हो रहा है।

अभी आप जानते हैं किरीबुरू के मामले में शान्ति भंग हुई। लेकिन यह एक मिसाल केवल उसी जगह की नहीं है। रूरकेला में भी यह हुआ और दूसरी जगहों पर भी हुआ। वहां के जो लोग डिसप्लेस्ड होते हैं उनको काम नहीं मिलता। नये उद्योगों के कारण जो आपारचुनिटीज़ पैदा होती हैं उन में वहां के लोगों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिलता इसलिए उनके दिल में बड़ा असंतोष है और यह असंतोष बढ़ता जाता है। वहां के लोग अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस कारण शान्ति भंग के रूप में उनका असंतोष प्रकट हो जाता है। तो मेरा सरकार से यह विशेष आग्रह होगा कि वहां के जिन लोगों को हटाया जाता है उनको किस प्रकार फिर से बसाया जाये इस पर नये सिरे से विचार और योजना निर्माण होना चाहिए ताकि जो अपारचुनिटीज़ वहां पैदा होती हैं उन में उनको उचित हिस्सा मिल सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० च० सौय]

एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हर साल जो नान आफिशियल सोशल वैलफेयर बाडीज़ या आरगेनाइजेशन्स हैं उनको बड़ी रकम ग्रांट इन एड में दी जाती है । लेकिन ये आरगेनाइजेशन्स वेलफेयर का काम करने के बजाय आपस में लड़ते हैं । ऐसा लगता है कि आर्यसमाज के से हो गये हैं । वे वहां पर ईसाई मिशनरीज़ का मुकाबला कर रहे हैं । इन आरगेनाइजेन्स को शिक्षा फैलाने पर, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाने आदि पर जोर देना चाहिए लेकिन ये नान आफिशियल आरगेनाइजेशन्स जिनको गवर्नमेंट से मदद मिलती है धर्मावलम्बी संस्थाओं की तरह काम करते हैं ।

ये संस्थाएं एक बड़ा उपयोगी काम हमारे यहां कर सकती हैं । उस इलाके में औद्योगीकरण होने के कारण जहां बड़ी संख्या में उस इलाके के लोग बेजमीन और बेसहारा बने हैं, वहां बहुत बड़ी हद तक फीमेल ट्रैफिक चलने लगा है इन उद्योगों के कारण । मैं तो चाहूंगा कि ये सोशल वैलफेयर आरगेनाइजेशन्स इस बुराई को रोकने की कोशिश करें जो कि बड़े पैमाने पर चल रही है । मैं तो चाहता हूं कि इस बुराई को रोकने के लिए विशेष स्वयंसेवकों का तथा रेस्क्यू होम्स का इन्तिजाम हो ।

हम लोग अफ्रीका आदि दबे हुए राष्ट्रों के बारे में अपनी तरफ से बड़ी हमदर्दी दिखलाते हैं और वह सही बात है । मगर अपने ही देश में जो आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनकी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं । यह बात सही है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इन लोगों के साथ काफी हमदर्दी दिखलाते हैं मगर उनके पास समय है कहां, उनके पास तो दूसरी बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं । वह इतने व्यस्त हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे सकते चाहते हुए भी । स्टेट्स में क्या है ? वहां जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर इस काम को देखता है, लेकिन वह जिले के कामों में व्यस्त रहता है और इस चीज़ को ठीक से नहीं देख सकता । राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भी बहुत व्यस्त रहते हैं । फिर जो असिसटेंट कमिश्नर है स्टेट लेविल पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का, उसकी हालत यह है कि वह सिवाय रिकमेंडेशन्स देने के दूसरा काम नहीं करता । मैं तो चाहूंगा कि इस काम के लिए सैंटर के लैवल पर एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाये और एक विशेष मिनिस्टर नियुक्त हो । मैं जानता हूं कि एक डिपुटी मिनिस्टर हैं और वह अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कितनी दफ़ा आसाम, बिहार और मध्य प्रदेश के इलाकों में गये हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी बसते हैं, जिन की प्राबलम्ज़ को उन्हें जानना चाहिए । मैं सुझाव दूंगा कि स्टेट लैवल पर जो ट्राइब्ज़ एडवाइज़री कौंसिल हैं, जिन की मीटिंग्ज़ अक्सर हुआ करती हैं, उन को उन मीटिंग्ज़ में जाने का मौका निकालना चाहिए । एक विशेष कनसलटेटिव कमिटि पालियामेंट की हो जो कल्याण कार्यों की छानबीन करता रहे ।

इन सब बातों की ओर ध्यान दिला कर मैं सरकार से यह कहूंगा कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो औद्योगीकरण के बीच में पिसे जा रहे हैं, ऐसा न हो कि वे नागा लोगों की तरह कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें । शुरू में हम लोगों ने नागा लोगों के प्रति बड़े फ़ोर्स से काम लिया । बाद में हम को सुबुद्धि आई और अब हम उन के साथ उचित बर्ताव कर रहे हैं । लेकिन जहां तक इन लोगों का सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि अपने ऊंचे स्तर के जो लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं की बातें चलती हैं । हम कोशिश करें कि हम उन की बातों को भी समझें और मामला बिगड़ने से पहले हम उन के बीच में एक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से काम करें और सही मायनों में उन के लिए रुपया खर्च करें और उन के जीवन-स्तर को इतना ऊंचा करें कि वे दूसरों की बराबरी में आ सकें ।

†**श्री श्यामलाल सराफ** (जम्मू और काशमीर) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अनुभव करता हूं कि अच्छा होता यदि प्रस्थापनाओं में वे वस्तुएं स्पष्ट कर दी जाती जिन पर कर लगना है ।

इन प्रस्थापनाओं से एक ओर तो हमारी वित्तीय स्थिति अव्यवस्थित नहीं हुई और दूसरी ओर लोगों में काफी विश्वास का भाव पैदा हुआ है ।

मैं इसलिए भी वित्त मंत्री की सराहना करता हूं कि उन्हों ने जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए करों में कुछ रियायत कर दी है ।

अतिरिक्त लाभ कर के सम्बन्ध में काफी कहा गया है । तथापि सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि विनियोजन करने वालों को प्रोत्साहन मिले । कर प्रस्तावों का अंशों पर तत्कालिक प्रभाव यह हुआ है कि वहां सारी गतिविधियां ठप्प हो गयी हैं । मैं उन रियायतों के लिए जिन की घोषणा की गयी है माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं तथापि मेरे विचार से नये उपक्रमों को तीन वर्ष तक करों से छूट दे दी जाये ।

केन्द्र और राज्यों के प्रशासन में मितव्ययियता करने की बहुत गुंजाइश है । इस में सुधार करने का प्रयत्न किया जाये । विभिन्न विभागों के कार्यों में दुहरापन और अतिछादन है, इसे दूर किया जाना चाहिये । इस से न केवल प्रशासनिक व्यय में कटौती होगी बल्कि प्रशासन की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी ।

मेरा सुझाव है कि निरीक्षण एजेंसियों की संख्या में वृद्धि की जाये । निरीक्षण कार्यों में समन्वय किया जाना चाहिये तथा उस की प्रक्रिया सरल होनी चाहिये । अधिकांश यह होता है कि न केवल विभिन्न विभाग बल्कि एक ही विभाग के विभिन्न निरीक्षक समय समय पर एक कारखाने को देखने आते हैं । अतः यह आवश्यक है कि प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिये । इस से कारखानों को परेशानी से छुटकारा मिल सकता है ।

विदेशी मुद्रा की आय के हित में हमारे व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू की पूरी जांच की जाये । इस कार्य के सम्बन्ध में वित मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के निकट सम्पर्क में रहना चाहिये ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि देश में शिक्षा सुविधायें बढ़ रही हैं । परन्तु स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य गिर रहा है । बच्चों की नियमित डाक्टरी परीक्षा का कार्यक्रम होना चाहिये ताकि राष्ट्र के स्वास्थ्य को बनाये रखा जा सके ।

इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि देश में स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाये ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान कठिनाई के समय केवल निवृत्ति वेतन पर गुजर करना सेवा निवृत्त लोगों के लिये कठिन हो रहा है सरकार यह देखे कि क्या उन के लिये कुछ किया जा सकता है ।

देश में अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है । सरकार को चाहिये कि इस समस्या पर विचार करने के लिये सरकार विज्ञान के विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त करवाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

अब मैं भवन प्राक्कलनों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन का पुनरीक्षण किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाये। यह कार्य उन्हीं इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाये जिन्हों ने उस के मूल प्राक्कलन तैयार किये हैं। इस से काफी सार्वजनिक धन की बचत हो सकेगी।

देश के कई भागों में नदी घाटी योजनायें बनाई गई हैं। यदि हम इन योजनाओं को नदीवार लें, और अन्तर्राज्यीय बोर्डों को सलाह देवें तो यह कार्य शीघ्रता से किया जा सकता है।

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : वित्त मंत्री के भाषण से यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने मिट्टी के तेल पर उत्पादन कर की छूट दी है। मेरे विचार से इस से गांव के लोगों की कठिनाइयां दूर होंगी क्योंकि गांव के लोग मिट्टी के तेल का उपयोग भोजन बनाने के लिये नहीं करते अपितु प्रकाश के लिये करते हैं। दूसरी कीमतों में वृद्धि से उन पर काफी बोझ पड़ेगा विशेषतः इस कारण भी जब कि उन की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति पहिले से ही खराब है। नये शुल्क लगने से यह और भी खराब हो जायेगी।

जहां तक अनिवार्य बचत का प्रश्न है उस के लिये स्लैब पद्धति होनी चाहिये। इस मामले में बड़े संयुक्त परिवारों को छूट दी जानी चाहिये।

जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि यह वृद्धि क्यों नहीं हुई। एक कारण संभवतः यह हो कि हमारे कृषि विशेषज्ञों में ज्ञान का अभाव है। उर्वरकों के उचित ढंग से इस्तेमाल में किसानों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। सरकारी प्रदर्शन फार्मों में भी उत्पादन प्रति एकड़ औसत से कम है।

दुख का विषय है कि मध्यम दर्जे की छोटी सिचाई योजनाओं की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है।

सरकार को खेती के जापानी तरीके पर धन बरबाद नहीं करना चाहिये। इस पर बहुत अधिक धन व्यय होता है तथा हमारे विशेषज्ञ इससे परिचित भी नहीं हैं।

बनों के चारों ओर खाई खादने से भूमि की उर्वरता पर काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस से उस भूमि में नदी के बहाव के साथ की मिट्टी और प्राकृतिक खाद नहीं आ पायेगी। इस कार्य को बन्द किया जाये।

अब मैं आदिम जातियों की समस्या को लेता हूं। ये लोग बनों में रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से सरकार ने इन के लिये करोडों रुपये व्यय किये हैं तथा संविधान में भी उचित उपबंध किया है। सरकार ने इस कार्य के लिए ढेबर आयोग की नियुक्ति की। उस ने कुछ सिफारिशें कीं तथापि सरकार को यह देखना चाहिये कि ढेबर आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित की जायें।

दुख का विषय यह है कि संविधान में जिन सुविधाओं का उल्लेख है वे भी इन लोगों को नहीं दी जाती हैं। छात्रवृत्तियों की राशि इन्हें वर्ष के अन्त में दी जाती हैं। इस के लिये सरकारी अधिकारी ही जिम्मेदार हैं।

अब मैं कुछ शब्द उन की सेवा-शर्तों के बारे में कहूंगा। दुख का विषय है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भी अनुसूचित जातियों के उतने लोग नहीं आ पाते हैं जितने आने चाहियें। यद्यपि इस संबंध में एक कक्ष की स्थापना की गयी है तथापि अभी तक कार्य प्रभावशाली रूप से नहीं हो सका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : अब तक लोक सभा में प्रस्तुत विधेयकों से यह विधेयक सब से बड़ा है । इस के अधीन २४० करोड़ रुपये एकत्र किये जायेंगे इस के अतिरिक्त अधिलाभ कर के लिये एक पृथक विधेयक रखा जा रहा है ।

वित्त मंत्री ने राजस्व को प्राप्त करने का व्यापक तरीका अपनाया है । पहिला यह है कि जो लोग आज की अर्थ-व्यवस्था में सब से अधिक लाभ कमाते हैं उन पर ही अधिक कर लगाये जायें, उन्हों ने उन वस्तुओं पर कर लगाया है जिन्हें जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुएं नहीं कहा जा सकता है । तीसरे उन्होंने उन वस्तुओं पर कर लगाया है जिन के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है ।

वर्त्तमान वित्त मंत्री द्वारा पद संभालने से पूर्व के सात वर्षों में प्रत्यक्ष करों में प्रतिवर्ष ५ ·७ करोड़ रुपये की दर से वृद्धि हुई थी जबकि उन के आने के बाद से ४५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना उचित नहीं है कि उन्हों ने धनी वर्गों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है और उन पर कम कर लगाये हैं । अप्रत्यक्ष करों को गरीबों पर शुल्क समझना और प्रत्यक्ष करों को धनियों पर शुल्क समझना बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । परिर्वातित स्थिति में यह भ्रमोत्पादक है ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में व्यय की प्रतिशतत: काफी कम हो गयी है । वर्ष १९५९ में यह इकट्ठा किये गये राजस्व का ८ · ६ प्रतिशत रहा ; इस वर्ष अर्थात् १९६३-६४ में यह घट कर १ · ६ प्रतिशत आ गया है । यह बड़ा साहसिक कदम है ।

वर्ष १९५२-५३ और बजट वर्ष १९६३-६४ के दौरान 'देय' ब्याज में वृद्धि हुई है । वर्ष १९५३-५४ में ७० करोड़ रुपये से बढ़ कर यह इस बजट में २७५ करोड़ रुपये हो गया है । परन्तु इस से अधिक उत्साहवर्द्धक बात यह है कि 'प्राप्य' ब्याज की रकम में और भी वृद्धि हुई है । इतने ही समय में वे ४२ करोड़ रुपये से बढ़ कर २१७ करोड़ रुपये हो गयी है । इस में ४ · १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

हमारे सार्वजनिक ऋण की रकम जो मार्च १९६४ में ९३६४ करोड़ रुपये हो गयी थी । पुरानी परम्परा के अर्थशास्त्री इस बढ़ते हुए सार्वजनिक ऋण के प्रति चिन्तित हैं । परन्तु यह स्मरण रहे कि हमारे देश में सारा सरकारी ऋण उत्पादक कार्य में लगाया गया है । जब तक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहे इस में चिन्ता की कोई बात नहीं है ।

चालू वर्ष में केन्द्र तथा राज्य सरकारें ऋण लेने के कार्यक्रम में सहकारिता करेगी । वस्तुत: यह उचित ही है कि इस का केन्द्रीकरण किया जाये । वित्त मंत्री को राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देने के लिये उन पर कुछ दबाव डालना चाहिये । चालू वर्ष के लिये सक्रिय अतिरिक्त ऋण १७० करोड़ रुपये होगा जबकि गत वर्ष २०५ करोड़ रुपये था और इस में कोई संदेह नहीं कि यह बिना अधिक कठिनाई के प्राप्त किया जा सकता है ।

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि वाणिज्यिक बैंकों और अन्य प्रन्यास संस्थाओं को अपना धन जमा करने के लिये अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऋण लेने की दर को थोड़ा बढ़ा देना वांछनीय होगा । उन को समुचित नफा होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

जहां तक वेतन तथा उपलब्धियों सम्बन्धी अधिकतम सीमा का प्रश्न है सभा यह जानना चाहती है कि क्या वर्तमान उपबन्ध इस आकस्मिकता को पूरा करेगी, जिस के अन्तर्गत कोई व्यक्ति एक समवाय से ५००० रु० ले सकता है, दूसरे समवाय से भी ५००० रुपये और तीसरे समवाय से भी ५००० रु० ले सकता है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्टर तथा मेनेजिंग डायरेक्टर इस उपबन्ध के अन्तर्गत आने चाहियें।

आयकर विधि नवीन प्रणालियों के द्वारा अधिकाधिक पेचीदा होती जा रही है। वर्तमान अवसर पर व्यवसायियों तथा व्यापारियों की पंजीबद्ध फर्मों का नवीन विचार लाया गया है। अग्रेतर वर्गीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अब मैं मशीनों के पर आयात कर का प्रश्न लेता हूं। इस के पक्ष में वित्त मंत्री ने यह दलील दी है कि इस से देश के मशीन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। मेरी आपत्ति यह है कि हम प्रतिवर्ष २६० करोड़ रुपये की मशीनों का आयात करते हैं। यदि मशीनों पर आयात कर लगाया जायेगा तो इस से योजना का व्यय बढ़ेगा। अतः मेरे विचार से इस कर से एक ही उद्देश्य पूरा हो सकता है वह यह है कि राजस्व की वृद्धि होगी। इस का कोई दूसरा उद्देश्य प्रतीत नही होता है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : विदेशी मुद्रा का प्रश्न हर मामले में आता है। यदि लोग कहने से कुछ राहत की मांग चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों पर बल दिया जाता है। योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में एकदम कैसे बाटा जाता है कि हमारी विदेशी मुद्रा के संसाधन खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति पर जांच की जानी चाहिये भुगतान का संतुलन रखने और कच्चे माल और आवश्यक फालतू पुर्जों के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होनी चाहिए। इलमेनाइट उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। इस उद्योग में लगे हुए लगभग १०,००० लोगों के पास काम नहीं है। सारा उद्योग खत्म हो गया है। सरकार ने इस उद्योग को ठीक करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं।

काजू, नारियल जटा और हाथकरघा उद्योग सभी निर्यात करने वाले उद्योग हैं। इन उद्योगों में अधिक प्रगति नहीं हुई है। गर्म मिसाले और तम्बाकू इत्यादि सभी निर्यात के उद्योग हैं। विदेश में इन की मांग नहीं है। इसीलिए हमारी विदेशी मुद्रा कम होती जा रही है।

और भी कई चीजें हैं जिन को निर्यात की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। टाइल का मलाया, सिंघापुर, बोर्नियो इत्यादि को निर्यात बन्द हो गया है। सरकार को इस निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए।

हमारी स्वर्ण नियंत्रण नीति में तस्कर व्यापार में कमी नहीं हुई है। वह तभी हो सकती है जब कि सरकार लोगों की छोटी मांगों के पूरा करने के लिए सोने को अतर्राष्ट्रीय दामों पर उपलब्ध करे। तस्कर व्यापार को दूर करने के लिए सभी सरकार के साथ सहमत होने के लिए तैयार हैं।

कराधान की नीति में क्रांतिकारी परिवतन होने चाहिएं। काफी करों का प्रभाव उपभोगताओं पर पड़ता है। ऐस नहीं होना चाहिए। आय कर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जब कि वित्त मंत्री कहते हैं कि अधिक धन चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि धन एकत्रित करना नहीं चाहते जब कि वे ऐस कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा माना जाता है कि लगभग ६० करोड़ रुपए से ले कर ७० करोड़ रुपए तक का आय कर अपवंचन प्रति वर्ष होता है। इसमें ४० करोड़ रुपए का सोने का तस्कर व्यापार जोड़ दिया जाए तो १०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो जाता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता है।

गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। उनसे प्रतिरक्षा निधि के लिए अधिक धन नहीं एकत्रित किया जा सकता। सरकार को ऐसे तरीके निकालने चाहिएं कि अमीर लोगों से वे जितना धन ले सकें लें। इस प्रकार प्रतिरक्षा आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। कर उत्पादन स्थान से एकत्रित करने चाहिएं नाकि वितरण स्थान से।

वित्त कर को क्यों नहीं बढ़ाया गया है? निज़ाम हैदराबाद जैसे बड़े अमीर लोग हैं जिन को छोड़ दिया गया है। उन के नाम बांड ही जारी कर दिए जाएं। इसी तरह करने से प्रतिरक्षा बजट के लिए धन एकत्रित हो सकता है।

गरीब लोगों ने प्रतिरक्षा कोशिशों में बहुत अंशदान दिया है। अमीर आदमियों को देश प्रेम सिखाना चाहिए। इस के लिए वित्त मंत्री को कोशिश करनी चाहिए।

श्रीमती जमुना देवी (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस...

एक माननीय सदस्य : आप आगे आ जाइये।

श्रीमती जमुना देवी : मेरी आवाज काफी ऊंची है आपको अच्छी तरह से सुनाई पड़ेगी। जिस ढंग का बजट पेश किया गया है, वह एक सराहनीय कदम है। यदि इस समय जनता पर टैक्सों का बोझ पड़ता भी है तो जनता उस को बरदास्त करने के लिए तैयार है और जनता को उस को बरदाश्त करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि देश पर एक मुसीबत आई है और उस का मुकाबला करना इस की जनता का कर्त्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन फिर भी शासन को यह नहीं भुलना चाहिये कि जिस जनता से इस देश की रक्षा करने की आप आशा करते हैं उसकी तकलीफें क्या हैं और उन को कैसे दूर किया जा सकता है। उसकी उन तकलीफों को दूर करने के लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिये।

आज के शासन द्वारा जो बजट पास करवा कर पैसा खर्च किया जाता है जनता की फाइदे की योजनाओं के ऊपर, उस पैसे का किस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, इस ओर भी शासन की कड़ी निगाह होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। योजना बना कर किन लोगों के हाथों में उस को कार्यान्वित करने का भार सौंपा जाता है और जिन के हाथों में सौंपा जाता है, वे कौन लोग हैं और उन लोगों ने अब तक क्या क्या किया है, इस पर भी शासन को ध्यान देना है। आज आप देखिये, बड़े बड़े सेक्रेटरीज, बड़े बड़े डाइरेक्टर हैं, आज उनके पास ही हम आप की बनाई हुई योजना देख सकते हैं। उनके द्वारा तैयार की हुई योजना बड़े बड़े भवनों तक ही सीमित रहती है, वह गरीबों तक, देहातों की झोपड़ियों तक नहीं पहुंचती है, उस का वास्तविक फायदा वहां तक नहीं पहुंचा है। अधिकतर पैसा शहरों में खर्च हो जाता है। बजट का अधिकतर भाग शहरों की योजनाओं पर और लोगों को धन्धा देने के लिये, शहरों की प्रगति के लिये होता है, देहात के लिये नहीं। देहातों का जो बजट मंजूर होता है उसके सम्बंध में आप देखेंगे कि आज भी दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर जो प्लैन्स मंजूर किये गये थे वे अधूरे पड़े हुए हैं। मैं खास तौर से मध्य प्रदेश के उन आदिवासी क्षेत्रों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जहां आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं जहां आज भी बारिश के दिनों में चार महीनों तक लोग शहर का मुंह नहीं देख सकते। यदि कोई बीमार हो जाय, यदि किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाय और किसी को चोट आ जाय तो वहां मर जाता है, वह वहां से शहर आ कर अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकता है।

[श्रीमती जमुना देवी]

आप को मालूम होगा, और आपके द्वारा मैं शासन तक यह आवाज पहुंचाना चाहती हूं, कि आज भी हमारे क्षेत्र में पिछले सालों से हर साल दुष्काल की स्थिति रहती है। मध्य प्रदेश के अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में यही स्थिति है, लेकिन शासन को उन क्षेत्रों में जिस ढंग से राहत पहुंचानी चाहिये थी वह नहीं पहुंचाई जा रही है। आज भी उनको केवल ८ आने की मजदूरी दी जा रही है। आज की स्थिति में वे लोग किस ढंग से ८ आ० में अपने पेट का भरण-पोषण कर सकते हैं? किस तरह से अपनी गृहस्थ को चला सकते हैं? आज शासन की ओर से जिस ढंग से आदिवासी क्षेत्रों के लिये तरक्की की योजानाएं बनाई जाती हैं वे सारे कार्य केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों को राहत देने और उन को पालने के लिये आदिवासियों के नाम से किये जा रहे हैं। इससे आदिवासियों की तरक्की नहीं हो सकती। आदिवासियों की तरक्की के लिये उन क्षेत्रों में आप को जल्दी से जल्दी बिजली देनी चाहिए और जो कृषक लोग हैं उन के लिये सारी व्यवस्था जुटानी होगी। तभी उस क्षेत्र की जनता सुख और समृद्धि की हालत में हो सकती है।

आज हमारी पूरी कांस्टिटुएन्सी में देखेंगे कि आप एक लेडी डाक्टर का भी ठिकाना इंटीरियर में नहीं है। ऐसी हालत में वहां के लोगों के स्वास्थ्य की हालत क्या हो सकती है। आदिवासियों का भविष्य जिन लोगों ने सदियों से उन का शोषण किया है, जिन लोगों ने सदियों से उनको दबाया है, उनके हाथों में दे दिया गया है, उन की तरक्की के काम ऐसे लोगों के सुपुर्द कर रक्खे गये हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि शासन इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दे। इन आदिवासियों की हालत को सुधारने के नाम पर अगर कोई उन पर अत्याचार करता है उनके लिये जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो शासन को चाहिये कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि उन लोगों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके और उन लोगों के जीवन में जो तरक्की हो रही है उसमें बाधा न डाल सकें। यह सारी बातें आज आप आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे।

आज आदिवासियों को पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा नौकरियों में चांस दिया जाता है। लेकिन एक ही जगह होगी वह हरिजन के लिये भी होगी और आदिवासियों के लिये भी रक्खी जायेगी जब कि उम्मीदवार कई होंगे। ऐसी स्थिति में या तो हरिजन ही हो सकेगा या आदिवासी ही हो सकेगा। होता तो यहां तक है कि उन को बुलाया भी नहीं जाता इंटरव्यू के लिये। मगर नाम मात्र के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन में उनके लिये जगह रक्खी जरूर है। अगर कभी किसी की कोई तगड़ी सिफारिश हो गई तो एक आध हरिजन आ जाता है, मगर आदिवासियों की तो वहां पर गुजर ही नहीं है। इसलिये शासन को पुनर्विचार करना चाहिये कि कितनी जगहें आदिवासियों के लिये रक्खी जायें और कितनी जगहें हरिजनों के लिये रक्खी जायें, और उन जगहों पर अनिवार्य तौर से उन्हें जगह दी जाय। पिछड़े हुए लोगों की बेचारों की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। उनके लिये भी शासन को सोचना है।

आदिवासियों की तरक्की होनी चाहिये। लेकिन आप यहां देखिये, एक भी आदिवासी मिनिस्टर नहीं है। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लोगों ने कितनी तरक्की की है। मैं चाहती हूं कि हम को यहां पर भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : पांडे जी तो हैं।

श्रीमती जमुना देवी: आज शासन के बजट से जो पैसा योजना बना कर खर्च किया जा रहा है उस का जनता स्वागत करती है। जनता टैक्स देना भी पसन्द कती है। लेकिन जनता यह चाहती है कि इस टैक्स का सदुपयोग हो, ताकि केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जायें जोकि छै महीने बाद क्रैक

उनका नाम निशान कोई न रहे। आज सब जगहों पर बान्ध बांधे जा रहे हैं। कृषकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वह अधिक से अधिक कृषि की पैदावार बढ़ाते। लेकिन वहां पर नहर भी नहीं निकाली गई हालांकि लाखों रुपया खर्च हो गया। जनता के पैसे का दुरुपयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिये, इस पर शासन को निगाह रखनी है।

आज जो सेक्रेटरी या बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने देश की रक्षा के लिये क्या सहयोग किया? मैं शासन से यह नम्र निवेदन करती हूं कि जो बड़े बड़े राजे महाराजे की प्रीवी पर्सेज दी जा रही है उन्हें भी इस समय बन्द किया जाना चाहिये। इस पर विचार करना चाहिये। आज हमने उन को सहूलियतें दे दी हैं

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी**: अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पांडे का निर्देश किया जो उचित नही था।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: यह किसी ने साधारण रूप से कह दिया था।

श्रीमती जमुना देवी: मैं आप से कह रही थी कि मेरे क्षेत्र के पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां साल दो साल बाद हमेशा दुस्काल की स्थिति बनी रहती है। शासन को उन आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिये कोई स्थायी योजना बना कर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिये। पुलिस के अत्याचार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। पुलिस पटवारी आदि इतना जुल्म करते हैं कि उस का वर्णन नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: यह मध्य प्रदेश की सरकार का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं।

श्रीमती जमुना देवी: मध्य प्रदेश सरकार अगर न करे तो क्या यहां उसे नहीं कहना चाहिये? आज मैं आपके सामने इस सभा में इस लिये इस बात को कहने की हिम्मत कर रही हूं कि दस पन्द्रह साल से इस क्षेत्र में फारेस्ट विभाग की ओर से बहुत अत्याचार हो रहा है। पता नहीं कितना पैसा आज उन गरीबों से वसूल किया गया है जबकि उस क्षेत्र में कोई उद्योग सरकार ने नहीं खोला। इस स्थिति में, इस मंहगाई के जमाने में गरीब लोग जिस ढंग से अपना पालन-पोषण करते हैं उस में एक मात्र रास्ता उन के पास यह था कि वे नई जमीनें निकालें और उनमें खेती करके अपने बच्चों को पालें। लेकिन गवर्नमेंट के निगाह में यह हो सकता है कि उन्होंने कानून को तोड़ा, लेकिन गवर्नमेंट की निगाह में यह नहीं आया कि उन भूखे लोगों ने किस तरीके से उस जमीन का उपयोग किया। आज तक मध्य प्रदेश की यह समस्या सुलझी नहीं है। क्यों नहीं शासन इस ओर ध्यान देता? हजारों रुपये आज दुस्काल के जमाने में उन लोगों से जुर्माने के रूप में वसूल किये जा रहे हैं। क्यों? फिर आप कहते हैं कि आदिवासियों की तरक्की करने के लिये हम ने इतनी योजनायें बनाईं, इतना पैसा खर्च किया। सारी रकमें उन के नाम से लैप्स होती हैं और जो फायदा उन को मिलना चाहिये वह वास्तव में उन को नहीं मिलता है।

अब मैं थोड़ा इस देश के कृषकों के सम्बन्ध में भी कहना चाहती हूं। हिन्दुस्तान का किसान इतने बड़े दिल का है कि वह अपने बच्चों को भूखा रख सकता है, दुनिया को चलाने के लिये समय आने पर वह अपने बच्चों को भूखा रख कर भी घर में जो अनाज होता है उस को खेत में बो देता है। लेकिन जैसी फिक्र शासन को चाहिये वैसी उस के प्रति नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जमुना देवी]

रहती है। कृषकों को समय पर बीज नहीं मिलता, न उन को समय पर बैल और तकावी मिलती है। जब देखिये कि रेवेन्यू और पुलिस के कई तरह के झगड़े उन लोगों के पीछे लगे रहते हैं। उन का जो समय खेती के बढ़ावे में लगना चाहिये वह कोर्टस और कचेहरियों में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कृषक चाहिए उस ढंग से कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है और उसका अधिक समय कर्मचारियों द्वारा जो त्रास दिया जाता है उसमें नष्ट हो जाता है। तारीखें लगती हैं, उसको घंटों बैठे रहना पड़ता है। तो मैं इन छोटी छोटी बातों को शासन की निगाह में लायी हूं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा होगा तभी इस देश की कृषि की पैदावार बढ़ सकती है। गरीब मजदूर और मध्यम वर्ग की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी इस देश के लोग सम्पन्न और सुखी हो सकते हैं और हमारा देश इस आपातकालीन स्थिति में भी हर तरह से शक्तिशाली बन कर दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

†**डा० प० मंडल** (विष्णुपुर) : मिट्टी के तेल पर कर में राहत के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। परन्तु यह राहत बहुत कम रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के बच्चे मिट्टी के तेल की रोशनी से ही पढ़ते हैं। अतः इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

लोग संकटकाल को जानते हैं। और उन्होंने स्वेच्छा से प्रतिरक्षा निधि में काफी अंशदान दिया है। मंत्री महोदय को खर्च पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इस तरह से काफी बचत हो सकती है। पर अपवंचन की ओर ध्यान देना चाहिए। बकाया कर को एकत्रित किया जाना चाहिए। आयकर के नियमों में इस तरह से संशोधन करना चाहिए कि अपवंचन न हो सके।

पुरुलिया और बंकारा जिले पश्चिमी बंगाल राज्य के बहुत पिछड़े हुए जिले हैं। इन दो जिलों में उद्योग भी नहीं। लोगों का अधिकांश निर्वाह कृषि पर है। काश्त के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। दो वर्ष फसलें ठीक नहीं हुई हैं। अतः खाद्यान्न की कमी है।

बंकुरा जिल में कांसांबटी परियोजना है जिससे कि चौथी योजना की सिंचाई की व्यवस्था होगी। लोग इस स्थिति से बहुत असंतुष्ट हैं। इसी प्रकार फराका बांध में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है।

पुरुलिया, बंकुरा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कुछ भागों में कुहड़ की बीमारी फैल रही है। उसे दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिएं।

बिटानुपुर—संतरगच्छी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए।

†**श्री केप्पन** (मुवातुपुआ) : यदि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी देखभाल के लिए खर्च करे तो हमें करों का विरोध नहीं करना चाहिए।

अप्रत्यक्षकर बहुत अधिक हैं। इससे मूल्यों पर बहुत प्रभाव होता है बजट पेश किए जाने से पहले व्यापारी कई चीजें अपने पास जमा कर लेते हैं। इस से कीमतें बढ़ जाती हैं। वित्त मंत्रालय या योजना आयोग को इस की ओर ध्यान देना चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन कर पर अधिभार संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है इस की ओर ध्यान देना चाहिए ।

अप्रत्यक्ष करों के साथ घाटे की वित्त व्यवस्था से मूल्यों में वृद्धि होगी ।

विदेशी मुद्रा की स्थिति बड़ी कठिन है । हमारा निर्यात बहुत कम है । हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

इस संकट के समय हमें सिराजुद्दीन कम्पनी के मामलों जैसी बातें नहीं भी उठानी चाहिएं । इस से चीन को हमारे विरुद्ध प्रचार करने का मौका मिलेगा ।

रबड़ बोर्ड को रबड़ की खरीद का एकाधिकार कर लेना चाहिए । इस से देश में छोटे छोटे रबड़ पैदा करने वालों पर प्रभाव पड़ेगा । इससे भ्रष्टाचार इत्यादि में वृद्धि होगी ।

संटिलष्ट रबड़ उत्पादन के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के लिए कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है । अतः सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें संटिष्लट रबड़ उत्पादन करना चाहिए । यदि छोटे रबड़ उत्पादकों को पर्याप्त वित्त दिया जाए और वैज्ञानिक ढंग से पलांट स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जाए तो रबड़ का काफी उत्पादन हो सकेगा और हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे ।

मलाया से सुपारी का तस्कर व्यापार बन्द किया जाना चाहिए । तभी सुपारी आरोपण उद्योग को बचाया जा सकेगा ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : करों का बहुत भारी बोझ हमारे ऊपर लाद दिया गया है ।

प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आपातकालीन स्थिति काफी देर तक चलेगी । ऐसी स्थिति में एक ही बार इतने भारी कर लगाना उचित नहीं क्रमवार कराधान का कार्यक्रम होना चाहिए ।

घाटे की वित्त व्यवस्था में मुद्रा स्फीति बढ़ गई है इस के साथ और करों का बोझ बहुत बढ़ गया है ।

विदेशों से ऋण ले कर सरकार विकास योनाएं स्थापित कर रही है ऋण का ब्याज तो आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ेगा । विकास परियोजनाएं आरम्भ करने का श्रेय सरकार ले रही है । सरकार ने देश का दीवाला निकाल दिया है ।

कम्युनिस्ट दल के नेता ने बैंकों और सामान्य बीमा की राष्ट्रीयकरण पर बल दिया है । सरकारी परियोजनाएं घाटे पर चल रही हैं इस अवस्था में और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश और गरीब होगा । इससे आर्थिक स्थिति और भयंकर हो जाएगी ।

संकटकालीन स्थिति में सरकार का सब से पहला उत्तरदायित्व मूल्यों को काबू में रखना है । क्या सरकार इस काम में सफल हुई । इस बजट के प्रस्तावों से मूल्यों को कैसे काबू रखा जा सकता है । मुद्रा स्फीति ही इस सरकार की देन है ।

हम उत्पादन शुल्क में वृद्धि किए जाने का विरोध करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मैं समझता हूं कि इन अधिकारों का उन मध्यम-पैमाने के उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा, जो देश के विभिन्न भागों में विकसित हो रहे हैं। इस लिए ये अधिभार लगाना गलत था और इन को ३३¹/₃ प्रतिशत तक ले जाना भी गलत था।

क्या सरकार सारे उस धन को जो वह संसद से ले रही है, ईमानदारी से खर्च कर सकेगी। देश के सब भागों से भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठ रही है। सब मानते हैं कि यह बहुत अधिक बढ़ गया है। यह इस लिए है कि क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था और हमारी सरकार की प्रबन्ध व्यवस्था इतनी विकसित नहीं है कि यह सारा रूपया अपव्यय और भ्रष्टाचार के बिना खर्च किया जा सके। यह हैरानी की बात नहीं है कि सरकारी उपक्रमों से उससे १/१० लाभ भी नहीं हुआ, जितनी कि आशा थी। यह अधिक रचनात्मक होता यदि इस दिशा में और कदम न उठाये जाते और सरकारी उपक्रमों को उन्नति करने देती। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार गैर-सरकारी उपक्रमों के विरूद्ध है और इसे बिलकुल यतीम समझती है।

पिछले १० वर्षों में प्रतिरक्षा मंत्रालय को जो धन दिया गया है, वह इसका उचित उपयोग नहीं कर सका। हमारे पास आवश्यक आयुध कारखाने, प्रशिक्षण स्कूल और अन्य सामग्री नहीं है। हमें कम से कम आधी से अधिक रकम विदेशी मशीनरी के आयात पर खर्च करनी चाहिये। इन वित्तीय प्रस्तावों के द्वारा हमें ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिये कि हमें आवश्यक प्रतिरक्षा सामान मिल सके।

यदि आपातकाल पांच या दस वर्ष तक रहना है, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, और यदि इतना भारी कराधान प्रतिरक्षा के व्यय के लिए है, तो क्या यह सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि असैनिक व्यय को कम से कम किया जाये। सामुदायिक विकास मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग और सरकारी उपक्रमों और लोहा और इस्पात कारखानों में जो अपव्यय हो रहा है, यदि उसे रोका जाये, तो बहुत बचत हो सकती है।

वित्त मंत्री को मितव्ययता के प्रश्न पर पहले ध्यान देना चाहिये और बाद में सदन में आकर यह मांग करनी चाहिये कि उन्हें इतने अतिरिक्त रूपये की आवश्यकता है। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि निगमित उपक्रमों और लोगों के अपनी जिम्मेदारी पर बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के उपक्रमों में विनियोजन को निरुत्साहित करने का कोई इरादा नहीं है। इसका यह भी कर्त्तव्य है कि वह एकाधिकारियों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, राज्य व्यापार और नौकरशाही नियंत्रण से उन की रक्षा करेगी। एक राज्य व्यापार निगम से संतुष्ट न हो कर, सरकार अब दूसरा खोल रही है, जिस से अपव्यय और भी बढ़ेगा।

वित्त के बारे में माननीय मंत्री ने दो गलत सिद्धांतों का अनुसरण किया है। एक यह है कि उन्होंने मध्यवर्ती वस्तुओं पर भी कर लगा दिया है जिन से कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। दूसरा यह है कि करों से प्राप्त होने वाले राजस्व का भी अनुमान कम लगाया गया है। वर्तमान प्रस्तावों में भी ऐसा करने की गुंजाइश है। सरकार को यह याद रखना चाहिये कि लोगों के पास जो धन रह जाता है ह राष्ट्रों के लिए उस धन से अधिक उपयोग हो सकता है, जो कि सरकार अपने हाथ में ले ले, क्योंकि कर इकट्ठा करने का व्यय अत्यधिक होता है और यह हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। सरकार यह चाहती है कि किसान और मध्यम श्रेणी के लोग और वेतन पाने वाले अपनी सारी बचत, यदि उनकी कोई बचत है, तो वह सरकार को दे दें। सरकार ने ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया है और उनके साथ दंड भी लगा दिये हैं।

इस लिए हम सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि वह न केवल राष्ट्र के वित्त के प्रति बल्कि साधारण जनता के प्रति भी अविचार पूर्ण रही है। अतः करारोपण प्रस्तावों के द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय संकट का ऐसा उपयोग करना चाहते हैं कि वह चौथी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस नीति से मध्य वर्गों के लोग नष्ट हो जायेंगे।

श्री बै० ना० कुरील : (रायबरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, १९६३ का फिनांस बिल सदन के सामने प्रस्तुत है। इसका एक विशेष महत्व है। इस का विशेष महत्व एक तो इस लिए है कि यह संकट-कालीन स्थिति में स्तुत किया गया है। चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली, राष्ट्र ने उस चुनौती को स्वीकार किया, तो इस के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता हुई। उस को फिनांस मिनिस्टर साहब और वित्त मंत्रालय ने बड़ी कुशतता से देश की अन्दर और देश के बाहर से जुटाया।

इस बिल का महत्व इस लिए भी है कि हमारी प्रमुख-पंच वर्षीय योजना के मध्य काल में, जो तीसरी है, यह बिल प्रस्तुत है। देश में बहुत सी बड़ी बड़ी योजनायें अभी अधूरी हैं और जिन का पूरा होना देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उस के लिए भी बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। देश पर संकट आया और नेताओं के आह्वान पर देश जागा और कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के फौज में दिये।

इस देश में किसानों, गरीबों और मजदूरों का जो तबका है, उस ने भी दिल खोल कर इस में सहयोग दिया और उस के बाद उन पर जो बोझ पड़ रहा है, चाहे वह कर के रूप में हो और चाहे अनिवार्य बचत योजना के रूप में हो, उसको भी वे सहर्ष सहन करने को तैयार हैं। परन्तु इस के साथ ही वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे सरकार से यह चाहते हैं कि जो उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, उस का सदुपयोग हो और वह फ़िजूलखर्ची में न जाये। वे यह भी चाहते हैं कि पटवारियों से लेकर कचहरियों तक उन की जो आये दिन की दिक्कतें हैं, वे भी दूर की जायें और कम से कम इस इमर्जेंसी के टाइम में तो उन को इन कठिनाइयों से राहत मिले, तकावी लेने में और अन्य कार्यों में उन को जो दिक्कतें पेश आती हैं और अड़चनें पड़ती हैं, उन को दूर किया जाये और इस विषय में उन को सहूलियतें मिलें।

इस संकट कालीन स्थिति में जहां देश के साधारण लोगों ने इस तरह सरकार का हाथ बंटाया, वहां एक तबके ने, जो कि धनी तबका कहलाता है, अपने साधनों के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, आगे बढ़ कर सुरक्षा-कार्यों में सरकार की मदद नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल नहीं की, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं की, यही नहीं कि उसने आगे बढ़ कर हाथ नहीं बंटाया, बल्कि सरकार ने सुरक्षा के लिए पैसा और धन जुटाने के लिए जो उचित कदम उठाये, उस वर्ग ने उन में अड़चनें भी डालीं और उन प्रयत्नों को असफल करने के लिए तरह तरह के उपाय निकाले। इन बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक प्लानिंग का संबंध है, इस देश की-समूचे देश की-समृद्धिशाली बनाने के लिए योजनाओं के द्वारा देश को ऊंचा उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं तो प्लानिंग के संबंध में अधिक काम होता है और कहीं कहीं उस को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि कुछ क्षेत्र बिलकुल अविकसित रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर यह स्थिति है कि चाहे उद्योग धंधों की योजना के विषय में हो, शिक्षा के विषय में हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, वह प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है तथा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में वहां बहुत कम तरक्की हो पायी है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि वहां प्राइमरी स्टेज के लड़कों की जिन की उम्र ५ से ११ वर्ष के बीच है, एनरोलमेंट का परसेंटेज ४५.१ है जो कि देश में सब से

[श्री बै० ना० कुरील]

लोयस्ट है, सब से कम है। ११ से १४ तक १७.४ परसेंट है और १४ से १७ तक ६.४ परसेंट है। इतना बड़ा प्रदेश, जिस की आबादी अन्य सब प्रदेशों से ज्यादा है, इस तरह से शिक्षा के विषय में बिछड़ता चला जाए, यह ठीक नहीं है। केन्द्रीय सरकार को इस प्रदेश की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये अन्यथा वह और भी पिछड़ता चला जायेगा।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिला राय बरेली, वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है। जब कभी उसके लिए प्लानिंग की बात होती है तो वह पूर्वी जिलों का नाम ले कर होती है या फिर पश्चिमी जिलों का नाम ले कर होती है। दुर्भाग्य से राय बरेली ऐसा जिला है जो न तो पूर्वी जिलों में आता है और न ही पश्चिमी जिलों में उसकी गणना होती है। वहां पर न तो कोई इंडस्ट्री है और न ही अच्छी सड़कें हैं और न ही उस इलाके का कोई डिवेलपमेंट हुआ है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि कम से कम वहां कोई फैक्ट्री तो वे लगा दें। फतहपुर जिले और राय बरेली जिले के बीच में गंगाजी पड़ती है। दोनों जिलों को मिलाने का आज कोई साधन नहीं है। इन दोनों जिलों को अगर मिला दिया जाये गंगा जी पर एक पुल बने तो आने जाने के साधन हो सकते हैं, एक जिले से दूसरे जिले को सामान ले जाय और लाया जा सकता है और दोनों जिले इस तरह से विकसित हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका विशेष ध्यान जाये।

मद्यनिषेध के बारे में मैं अब एक बात कहना चाहता हूं। उसकी बहुत चर्चा यहां हुई है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि आम तौर से सरकार की यह मद्यनिषेध की योजना असफल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले से आता हूं जहां यह योजना लागू है और उस वर्ग से भी मैं आता हूं जिस वर्ग में नशे का प्रयोग खूब होता है। मुझे पता है कि इससे कितना लाभ हुआ है। पहले हरिजनों में खास कर नशा चालू था। शादी विवाह में या कोई भी किसी प्रकार का जलसा हो, उस में सामूहिक रूप में लोग नशा किया करते थे। लेकिन मद्यनिषेध योजना लागू होने के बाद ये सब चीजें दूर हुई हैं। आज लोगों ने राहत की सांस ली है। जो लोग इस से लाभ उठाना चाहते हैं, नफा कमाना चाहते हैं वे सरकार के इधर उधर इस बात का प्रचार करते हैं कि यह स्कीम फेल हो गई है, यह योजना असफल हो गई है, सरकार को इस को छोड़ देना चाहिये, मेरा निवेदन है कि इन लोगों के भुलावे में सरकार न आये। यह गरीब लोगों के हित की योजना है और इस को चालू रखा जाना चाहिये। हां, उस में कुछ कमियां हैं, जिन को दूर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक कमी यह है कि किसी प्रान्त में एक जिले में आप इस को लागू करते हैं और उस के पड़ोस में दूसरे जिले में लागू नहीं करते हैं तो उस में दिक्कत पैदा होती है, शासन की दृष्टि से भी और दूसरे तरीकों से भी। इस तरह की कमियों को दूर किया जाय। लेकिन प्रोहिबिशन को स्थगित न किया जाये। इस को अवश्य लागू रखा जाय।

योजना के सिलसिले में बहुत कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कार्य होना चाहिये, उस तरह से नहीं हो रहा है। यहां से पैसा प्रान्तों में जाता है लेकिन जिस तरह से उस पैसे का उपयोग होना चाहिये नहीं होता है। काम अधूरे छूट जाते हैं, रुपया बहुत सा लैप्स हो जाता है और लोगों को दिक्कतें होती हैं। जो पैसा यहां से दिया जाता है, जो एड यहां से उन को दी जाती है, उस को प्राप्त करने के लिये कितनी बार लोगों को दौड़ना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं इस को भी आप को देखना चाहिये और उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। वहां पर जो अभी तक समिति थी, उस को इन्हों ने खत्म कर दिया है। अब ब्लाक्स में पैसा जाता है और वहां ब्लाक्स में भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता है। इस का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। सरकार को देखना चाहिये कि जो पैसा यहां से जाता है हरिजनों के कार्य के लिये, उस का सदुपयोग हो।

जो तरह तरह की एक साथ योजनायें बना दी जाती हैं, उस से पता ही नहीं चलता है कि कौन सी योजना कहां चालू है, किस योजना से क्या फायदा होने वाला है । कोई एक तरह का काम ले लिया जाना चाहिये ताकि कुछ पता तो लगे कि कुछ काम हो रहा है । आप के पास ब्लाक हैं, एक अच्छी मशीनरी है और उस मशीनरी के ज़रिये से आप देखें कि किन किन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत है और कम से कम इस को दूर करने के लिए एक अभियान चला दीजिये ताकि जगह जगह कुएं खोदे जा सकें और पीने के पानी की दिक्कत दूर हो सके । इस से जगह जगह मुहल्लों और गांवों में यह दिक्कत दूर हो सकती है ।

एक सब से बड़ी दिक्कत जो लोगों को है, वह रहने की है । घरों में इतनी तंगी होती है, इतने छोटे छोटे घर होते हैं और ऐसी गन्दी जगहों पर होते हैं कि उन में रहना लोग मुनासिब नहीं समझते हैं । जब देश आगे बढ़ रहा है, देश में जागृति आ रही है, और उन के भी लड़के, उन के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वे मुनासिब नहीं समझते हैं कि ऐसी गन्दी जगहों पर वे रहें और न यह उचित ही है । उन को गांवों में अच्छी जगह मिलनी चाहिये घर बनाने के लिए । मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई योजना आप चालू करें और देखें चाहे ब्लाक मशीनरी के द्वारा या जिला स्तर पर मशीनरी के द्वारा कि किन किन लोगों को रहने की दिक्कत है, किन किन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है । उन को घर बनाने के लिए कम से कब सरकार द्वारा जगह तो दी जाये ।

नौकरियों की बात भी की जाती है । नौकरियों में कुछ वर्ग हैं जिन को संरक्षण प्राप्त है, रिजर्वेशन मिला हुआ है । आम तौर से वह कोटा पूरा नहीं होता है । खास तौर पर जो क्लास १ और क्लास २ की नौकरियां हैं, उन में तो इन की संख्या बहुत ही कम है, दो तीन परसेंट ही है । इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । अभी उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ने सुना है कि सब-इंस्पैक्टर्ज़ का चुनाव हुआ था और २५० में से सिर्फ पांच ही लिए गए । कभी-कभी इसी प्रकार छलांग मार देते हैं और कोटा पूरा नहीं करते हैं । ये जगह ऐसी जिन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, सूटेबल कैंडीडेट नहीं मिलते हैं । इन में भी काफी संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं और सूटेबल भी हैं । फिर भी और कोटा पूरा नहीं किया जाता है । मैं निवेदन करता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (कचार) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करती हूं ।

मैं सरकार का धयान नागा समस्या के महत्व की ओर दिलाना चाहती हूं विशेष कर जब कि चीनी हमारे लिए खतरा बने हुए हैं । अब नागालैंड और उस के समीपवर्ती क्षेत्रों में नई गड़बड़ हो रही है । नागाओं की सहायता करने में पाकिस्तानियों की चोरी छुपे कार्यवाहियों को रोका जाये । जो लोग स्वतंत्र नागालैंड की मांग करते हैं, उन के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

आसाम राज्य एक अविकसित और पिछड़ा हुआ राज्य है । मिज़ो पहाड़ी जिला बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है । सरकार को आसाम के विशेषत: पहाड़ी जिले के आर्थिक और औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । परिवहन और संचार की समस्या का विशेष रुप से हल ढूंढना चाहिये ।

चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तानियों द्वारा की गई स्टीमर हड़ताल को देखते हुए मिज़ो पहाड़ी से बर्मा में अकयाब तक बर्मा के सहयोग से एक अन्य वैकल्पिक परिवहन नहर का विकास

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती ज्योत्सना चन्दा]

करना चाहिये । इस मामले को जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

जिस तरह से प्रतिरक्षा मंत्री ने प्रतिरक्षा की मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं उस की सराहना करती हूं । यदि लोगों को यह यकीन हो कि करों की पाई पाई प्रतिरक्षा और विकास के काम में लगाई जायेगी तो वे और अधिक कर देने में भी संकोच नहीं करेंगे ।

रेलवे मंत्री ने कहा है कि आसाम में रेलवे लाइन के दोनों ओर घने जंगलोंको हटा दिया जायेगा । मेरा सुझाव है कि यदि साफ़ की गई जगह में लोगों को बसाया जाये, तो सुरक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा ।

मेरा सुझाव है कि होम गार्डों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे चीनी हमले की स्थिति में प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति का काम दे सकें ।

†**श्री कोया** (कोजीकोड): मैं वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि विकास और प्रतिरक्षा के लिये किये गये आवंटनों को बुद्धिमत्तापूर्ण और लाभदायक तरीकों से खर्च किया जाये । राज्य सरकारों से भी कहा जाये कि वे धन का उपयोग अच्छी तरह करें ।

जिन रियायतों की घोषणा की गई है, वे पर्याप्त नहीं हैं । मिट्टी के तेल पर विशेष रुप से रियायत देनी चाहिये क्योंकि इसे सब गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं ।

इसी तरह अनिवार्य बचत के मामले में दी गई रियायतें भी पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि गरीब आदमी अब भी अपने खर्च पूरे नहीं कर सकता ।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान बर्मा से आने वाले लोगों की कठिनाइयों की ओर भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने वहां से भारतीय मुद्रा लाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों का काम आरम्भ करेगा ।

दंड विधि संशोधन विधेयक

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय दंड विधि संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड विधि संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद ३६८ का संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद १५५-क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन ५ अप्रैल, १९६३ को श्री टीकाराम पालीवाल के निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं विधेयक के प्रस्तावक का आभारी हूं क्योंकि इस की चर्चा से हम संवैधानिक ढांचे के कुछ आधारों की जांच कर सके हैं ।

यह प्रायः आवश्यक होता है कि बुनियादी बातों की ओर ध्यान दिया जाये और यह देखा जाये कि वे अभी कायम है या नहीं ।

हमारे संविधान की पूर्व धारणायें क्या हैं । मैं कहूंगा कि इस के चार मुख्य सिद्धान्त हैं । पहला सामान्य प्रभुता, दूसरा भारत सरकार की जिम्मेदारी कि देश को विदेशी आक्रमण और गम्भीर आन्तरिक अशान्ति से बचाया जाये, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, और चौथा विधि का शासन । मैंने प्रस्तावक के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह विधेयक इन में से प्रत्येक सिद्धान्त को भंग करता है ।

केन्द्र और राज्यों में विधायिनी और कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अनुच्छेद २१६ में किया गया है । कुछ शक्तियाँ संघ सूची में हैं, कुछ राज्यों की सूची में और शेष समवर्ती सूची में । उस विभाजन के बाद हम संविधान के अनुच्छेद ७३ को लेते हैं जिसमें कहा गया है कि केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति विधायिनी शक्ति के समान है । अनुच्छद १६२ को देखने से प्रतीत होता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ उन विषयों पर भी हैं जो राज्यों और विधान मंडलों की विधायिनी क्षमता के अन्तर्गत आती हैं; यह शक्तियाँ समवर्ती सूची में दिये गये विषयों पर भी हैं और यह शक्तियाँ निर्मित विधि के अधीन है । अर्थात् यदि कोई अभिव्यक्ति न हो तो शक्ति राज्य की कार्यपालिका के हाथ में रहती

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री हजरनवीस]

है। अन्यथा संसद इसे अपने हाथ में ले सकती है। यह विधेयक इस योजना में अन्तर लाता है। मैंने कहा है कि समवर्ती सूची में दिये गये किसी मामले के संबंध में, कार्यपालिका शक्ति तब तक राज्य के हाथ में रहती है, जब तक कि संसद इसे वापस न ले ले। अनुच्छेद १६२ के अन्तर्गत, संसद विधि के एक साधारण संशोधन के द्वारा, वह शक्ति केन्द्रीय कार्यतालिका को पुनः दे सकती है। इस के लिए संशोधन में संशोधन करने को कोई आवश्यकता नहीं।

फिर हम अनुच्छेद १५५ को लेते हैं। मेरे विचार में इसे अत्यधिक निर्धारित नहीं किया गया। राष्ट्रपति को एक अनुदेश लेख जारी करना होता है, जिसमें वे प्रकट करते हैं कि कौन सी चीज सम्मिलित की जानी है और कौन सी छोड़ दी जानी है। और वह निदेश सामान्य या विशिष्ठ हो सकता है। उसके किये जाने के बाद अनुदेश लेख जारी किया जाता है। इस विधेयक द्वारा विशिष्ठ किये जाने वाले नये अनुच्छेद १५५ से राज्यपालों को असीम शक्तियाँ देने का प्रयत्न किया जा गया है। मैं यह मान लेता हूं कि क्षेत्र वही है जो राज्य की कार्यपालिका का है। इस शक्ति की दिये जाने के बाद उसे लोगों के अपने चने हुए प्रतिनिधयों द्वारा बनाई गई सारी सरकार को एक तरफ कर देने का अधिकार दिया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि यह विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा यह खंड ३ में स्पष्ट किया गया है।

परन्तुक के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व होगा। वह केवल उन को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। उस के प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे यह कुछ मालूम नहीं। अब उन चार सिद्धांतों को लेते हुए, जिन का मैं ने पहले वर्णन किया है, पहली बात यह है कि हम एक ऐसा प्राधिकार स्थापित कर रहे हैं, जो कि न राज्य और न केन्द्र के प्रति उत्तरदायी होगा। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भी यही बात कही है। राज्यपाल केन्द्रीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और इसके बावजूद कार्यवाही कर सकेगा। वह केवल राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। रष्ष्ट्रपति उस पर विचार करने के बाद यदि ये समझें कि राज्यपाल संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वे उसको हटा सकते हैं। संभवतः केवल यही कुछ किया जा सकता है।

विधेयक का विचार करने के लिए प्रस्ताव करते समय माननीय प्रस्तावक ने जिस प्रकार विचार व्यक्त किये उन से मैंने यही समझा कि धारणा यह है कि यदि कोई निर्वाचित कार्यपालक हो जो अनुत्तरदायी हो और जो दबाव में आ सके। परन्तु यह विशेष व्यक्ति गुणों के मूर्तिमान आदर्श होंगे और पक्ष पात, व्यक्तिगत अभिरुचियों और किन्हीं दोषों के शिकार नहीं होंगे, परन्तु उनका चुनाव इस प्रकार होगा कि प्रत्येक व्यक्ति उन की प्रशासनिक कार्यवाही का समर्थन करेगा। और यदि इसे किसी का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो उन की भी कार्यवाही का लेखा माँगने के लिये कोई मंच नहीं होगा।

मैंने सदैव यही समझा है और अब भी समझता हूं कि माननीय प्रस्तावक की भी यही शिकायत है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है। परन्तु इस का स्वाभाविक परिणाम यह है कि निर्बाध शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार एक ओर तो वह यह कहते हैं कि जो शक्ति निर्वाचित मंत्रियों को संविधान द्वारा दी गई है उन का विधान सभा और सार्वजनिक आलोचना के उत्तरदायी होते हुए भी कुप्रयोग हो सकता है, और इसके बावजूद भी वह समझते हैं कि यदि एक अनुत्तरदायी अधिकरण बनाया जाता है तो उस शक्ति अथवा अधिकार का प्रयोग अत्यधिक उत्तरदायी ढंग से किया जायेगा। मैं नहीं समझ सका कि उनका यह अनुमान किस तक पर आधारित है। परन्तु इतिहास में हम ऐसा नहीं पाते। हम ने स्वेछाचारी शासकों को देखा है। क्योंकि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई निर्वाचित प्रतिनिधि उनके कार्यों का लेखा नहीं माँग सकता, उन्हें अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिये किन्हीं सभा के

सदस्यों की भावनाओं को नहीं देखना पड़ता, इसलिए वह सभी मामलों में उस प्रकार कार्यवाही नहीं कर सके किस प्रकार जो लोग ठीक समझते हों। उस के लिये किन्हीं बुद्धिमान लोगों का समर्थन नहीं मिल सका ।

इसलिये उन की यह धारणा कि प्रशासन में सुधार लाने के लिये कार्यपालक पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिएं और उसे किसी निर्वाचित विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिये, यह गलत है ।

अब देखिए कि खंड ३ में वह क्या कहते हैं। मान लीजिए मंत्रिमंडल द्वारा एक बार एक निर्णय ले लिया जाता है; संविधान के अनुच्छेद १६७ के अनुसार एक उपबंध है कि यदि राज्यपाल मंत्री द्वारा की गई किसी कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त करता है तो उसे यह शक्ति प्राप्त है कि उस का वह निर्देश एक बार फिर मंत्री मंडल को कर सकता है। मंत्रिमंडल में उस पर विचार किया जायेगा और जो निर्णय वह चाहेंगे लिया जायेगा । यहाँ पर माननीय सदस्य का सुझाव है अथवा मंत्रिमंडल द्वारा किसी मामले पर निर्णय लेने के बाद उस मामले को पुनर्विचार के लिए भेजा जाय।' वह आगे कहत हैं कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किसी बात पर विचार अथवा पुनर्विचार के पश्चात् उस मामले को फिर राज्यपाल के पास भेजा जायेगा जो अनुमति दे सकते हैं अथवा अनुच्छेद १५५-ए के खंड २ के अन्तर्गत स्वविवेक से कार्यवाही कर सकते हैं अथवा राष्ट्रपति के निर्देश के लिये उसे रक्षित रख सकते है ।

मैं नहीं समझ पाया कि इस प्रकार कार्य कैसे हो जायेगा। यदि अपने स्वाविवेक से कार्य करने की शक्ति उन्हें प्रथम खंड के अन्तर्गत प्राप्त है, जब वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है जिसे कार्यान्वित किया जायगा, जब वह स्वयं उस बारे में निदेश दे सकेंगे कि किसी विशेष मामले में क्या कार्यपालक कार्यवाही की जाय, तो प्रस्तावित अनच्छेद १६७ के खंड (ग) द्वारा किन कृत्यों के पालन का विचार है। क्योंकि उन्हें शक्ति प्राप्त है। यदि जिस प्रकार वह चाहें उस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार पहले ही राष्ट्रपति ने उन्हें दिया हुआ है, तो मैं नहीं समझ पाया कि राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने संबंधी शक्ति उन्हें क्यों कर दी जाय। मैं यह नहीं समझा कि दो शक्तियाँ किस प्रकार साथ साथ काम कर सकेंगी क्योंकि वर्गीकरण संबंधी सुझाव नहीं दिया गया है और उन दो खंडों में उस बात का भी संकेत नहीं है कि किस वर्ग के मामलों में एक अधिकार का प्रयोग होगा और किस वर्ग के मामलों में दूसरे अधिकार का प्रयोग होगा ।

मैं पहली प्रस्थापना सभा के विचारार्थ यह रखी है कि भारत का सामान्य प्रभुत्व उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार हाल ही के एक मामले में उच्चतम न्यायालय के सुयोग्य न्यायपीठ ने न्यायिक अभिज्ञापन में बनाये रखा है? उस मामले में एक राज्य की ओर से यह दावा किया गया था कि राज्य को सुपुर्द किये गये किसी मामले में राज्य प्रभुत्व रखता है । उच्चतम न्यायालय ने इस प्रस्थापना को पूर्ण रूप से गलत बताया और इस प्रकार कहा। मैं उस निर्णय में से पढ़ूंगा . . . .

†**श्री पालीवाल** : इस में कोई इन्कार नहीं करता ।

†**श्री हजरनवीस** : यदि ऐसा है तो माननीय प्रस्तावक ने राज्यपाल अथवा इस प्राधिकरण को राष्ट्रपति को अधीनस्थ क्यों नहीं बनाया ? निस्संदेह, यदि वह कहते हैं कि उस का उत्तर यह है कि वह अधिकार राष्ट्रपति से प्राप्त करता है तो मैं उन से सहमत हूंगा ।

†**श्री पालीवाल** : जी हाँ ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री हजरनवीस** : परन्तु यह उत्तर उचित नहीं है क्योंकि यह दोनों बातें अलग अलग हैं। जब तक राष्ट्रपति उन्हें अधिकार न दें तब तक उन के पास अधिकार नहीं है। परन्तु जब राष्ट्रपति ने उन्हें अधिकार दे दिया है तो उस के प्रयोग का तरीका......

†**श्री पालीवाल** : उस पर कार्यवाही की सूचना देनी पड़ती है।

†**श्री हजरनवीस**: मैंने पहले ही कहा है कि केवल रिपोर्ट देने का यह अर्थ नहीं है कि यदि राष्ट्रपति उस से सहमत नहीं होते तो उन्हें उस कार्यवाही को रद्द करने अथवा उस का अवक्रमण करने का अधिकार है।

†**श्री पालीवाल** : राष्ट्रपति उन्हें पद-च्युत कर सकते हैं।

†**श्री हजरनवीस** : मेरी दूसरी प्रस्थापना सभा के विचारार्थ यह है कि उस समूचे राज्य क्षेत्र के लिये सब मिला कर उत्तरदायित्व भारत सरकार का है, बाह्य आक्रमण और भीषण आंतरिक गड़बड़ से बचाने संबंधी उत्तरदायित्व। परन्तु, इसके अधीन रह कर, प्रादेशिक स्वायत्तता सदैव रहेगी और यह रहनी भी चाहिये। मैं डा० मा० श्री अणे द्वारा कही गई बातों को दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने कहा : "यदि आप प्रादेशिक स्वायत्तता को अच्छा नहीं समझते और यदि आप समझते हैं कि यह अच्छी साबित नहीं हुई तो आप राज्यों को पूर्णतया समाप्त करने संबंधी संशोधन विधेयक लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। परन्तु राज्यों के अस्तित्व में होते हुये उन को स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना संविधान के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंचाने का कपटपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रयास है। यदि आज प्रादेशिक स्वायत्तता को समाप्त करना चाहते हैं तो सीधे ढंग से कहिये। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रस्थापना का कभी स्वागत नहीं किया जायगा। इतने विशाल देश में जहां विभिन्न भाषायें हैं हमारा अनुभव है कि अपनी तीव्रतम इच्छा के बावजूद भी निर्धारित विधान संबंधी कार्य को भी समाप्त नहीं कर पाते। श्री कामत ने भी यही शिकायत की। हम अपने विधान कार्यक्रम को उचित प्रकार नहीं बनाते। परन्तु वास्तव में हमारे पास समय की कमी है। हमारे उत्तरदायित्व इतने हैं कि प्रत्येक दिन हमें काफी समय तक बैठना पड़ता है। यद्यपि वर्ष के अधिकतर भाग में बैठकें होती हैं फिर भी सभा में प्रस्तुत प्रत्येक विषय को और पर्याप्त ध्यान देना कठिन है और समय के अन्दर कार्य समाप्त नहीं हो सकता। यदि इस के अतिरिक्त जो कार्य प्रत्येक राज्य विधान सभा द्वारा किया जाता है उसका उत्तरदायित्व भी हम पर डाल दिया जाये तो संसद क्या कार्य निबटा सकती है इस की आप कल्पना कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जो लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रभावपूर्ण कार्य करने के बारे में इच्छुक हो यह कहने का साहस करेगा कि जिन मामलों को अब राज्य विधान सभाओं द्वारा निबटाया जाता है उन्हें संसद द्वारा निबटाया जाय। उदाहरणार्थ, इस बारे में इस सभा में चर्चा नहीं हो सकती कि एक विशेष नगर समिति में कितने सदस्य होने चाहियें।

इस देश में शताब्दियों से एकता रही है। सल्तनतें बनीं और समाप्त हुईं परन्तु यह देश कायम रहा है। ज्यों ज्यों औद्योगिक एकीकरण बढ़ता जाता है हम एक दूसरे के और भी निकट आ रहे हैं। जब एक भाग का विद्युत् ग्रिड दूसरे भाग से सम्बद्ध हो जाता है तो देश की अखंडता को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। अतः ऐसा होना आवश्यक है।

जो विषय राज्य विधान सभाओं को दिये गये हैं उन को अच्छी तरह केवल उन्हीं द्वारा निबटाया जा सकता है। उदाहरणार्थ आप शिक्षा को लीजिये। देश के प्रत्येक भाग में प्राथमिक

---

†मूल अंग्रेजी में

और सैकेंडरी शिक्षा की समस्या उत्पन्न होती है। क्या माननीय प्रस्तावक चाहते हैं कि इस समस्या को इस सभा द्वारा निबटाया जाये ।

अब मैं अपने तीसरे सुझाव की चर्चा करूंगा जिसे डा० मा० श्री अणे ने बहुत प्रभावपूर्ण रखा, अर्थात्, कि यह विधेयक लोकतंत्र के विचार के प्रति विद्रोह है। यदि आप राज्यपाल को अनुत्तरदायी प्राधिकारी बना देते हैं तो आप लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। जहां तक मेरा संबंध है और इस सरकार का संबंध है हम संसदीय उत्तरदायित्व के लिये वचनबद्ध हैं। चाहे राज्य हों अथवा केन्द्र हो, कार्यपालक विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही अधिकार ग्रहण करेगा। वह किसी धन को व्यय नहीं करेगा जब तक इस के लिये विधान सभा मत न दे।

मैं दो वर्ष पूर्व की बात स्मरण कराऊंगा। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या एक अध्यादेश द्वारा अनुदान दी जा सकती है। एक विचार यह व्यक्त किया गया कि यह अध्यादेश प्राधिकरण के अनुसार बनाई गई विधि होगी। अतः यह कि यह भी एक विधि होगी। परन्तु सरकार का यह विचार था कि कोई भी विधि जिस के द्वारा सरकार को धन खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो उसे विधान सभा का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। जब तक विधान सभा उस धन के लिये मत न दे, कार्यपालक उसे प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह हमारे राजनीतिक जीवन का सिद्धांत है और हम उस में परिवर्तन नहीं चाहते, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो।

इसलिये हम कहीं पर भी किये जाने वाले ऐसे प्रयास का विरोध करेंगे जिस के द्वारा किसी प्राधिकरण को बनाने का यत्न किया जाय और जिसके द्वारा किसी शक्ति को प्रदान करने का यत्न किया जाय, जिस में संसद के प्रति उत्तरदायित्व न हो।

प्रायः एक स्वतंत्र व्यक्ति को नियुक्त करने संबंधी चर्चा की जाती है। मैं संविधान को पढ़ता हूं इसे समझता और निर्वचन करता हूं। मूलतः, यदि लोकतंत्र को समुचित रीति से कार्य करना है, तो प्रत्येक प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व होना आवश्यक है। आप न्यायपालिका को लीजिये। यह पूर्णतः स्वतंत्र है। एक बार जो जज नियुक्त किया जाता है उसे एक आयु तक कार्य करना होता है। वह सपुर्द की गई उत्तदायित्वों को अन्तरहित और पक्षपात रहित ढंग से निबटाता है। परन्तु इस के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में वह सभा के मत से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार निर्वाचन आयुक्त है। वह पूर्णतः स्वतंत्र प्राधिकरण है। परन्तु उसे भी इस प्रकार हटाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है।

इसलिये मैं किसी ऐसे सुझाव को, कि किसी ऐसे प्राधिकरण को अस्तित्व में लाया जाय जो संसद के प्रति उत्तरदायी न हो, मैं आशंका से देखता हूं और अपनी समूची शक्ति से उस का विरोध करता हूं। इसी सिद्धांत की बिना पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

चौथे, संविधान में विधि के शासन संबंधी सिद्धांत हैं। अनुच्छेद २५६ के अन्तर्गत राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वह देखें कि राज्य तथा संसद की वर्तमान विधियों का पालन हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो समाज्ञा पत्र द्वारा उस अधिकार के प्रयोग के लिये कहा जायेगा। यदि विधि से प्राप्त शक्ति से अधिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो निश्चय उच्च न्यायालय उस पर रोक लगायेगा। यहां प्रस्तावित अनुच्छेद १५५क के अन्तर्गत हम राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि वह राज्यपाल को इतनी शक्ति प्रदान कर सकता है कि वह जैसे चाहे और जिस प्रकार चाहे एक अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसमें अधिकार की परिभाषा भी नहीं है और उत्तरदायित्व भी नहीं है। मेरा अनुरोध है कि यह स्वीकृत विधि के शासन संबंधी सिद्धांत के पूर्णरूप से प्रतिकूल है।

[श्री हजरनवीस]

मैं इस विधेयक के पीछे जो धारणा और भावनायें हैं उन्हें समझता हूं। परन्तु यदि हम वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं, यदि हम वर्तमान त्रुटियों को हटाना चाहते हैं तो इसका उपचार लोकतंत्रात्मक संविधान से हाथ धोना नहीं है। हमें लोकतंत्रात्मक संविधान को बनाये रखना है ताकि यह दिन प्रतिदिन और अच्छा हो। हमें उस की त्रुटियों को देखना है। और उन्हें दूर करना है। यही लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का सार है। लोकतंत्रात्मक पद्धति के अनुसार कार्य करते हुये हमें इसकी त्रुटियों का पता चलता है और हम निरन्तर इस में सुधार लाते रहते हैं, परम्परायें बनाते रहते हैं और उच्च राजनीतिक विचारों का विकास कर निश्चय ही एक उच्च राजनीतिक स्तर पर पहुंचते हैं। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि इसका उपचार संविधान को समाप्त करना अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों से उत्तरदायित्व हटा लेना न हो कर यह है कि उन को अधिक अधिकार दिये जायें। इस प्रकार मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: श्री पालीवाल। आया वह केवल ३ मिनट लेंगे।

†**श्री पालीवाल**: यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे अधिक समय मिलना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: आप इस का विरोध कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप दो मिनट और ले लें।

†**श्री पालीवाल**: मैं अपने माननीय मित्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के संशोधन का समर्थन करता हूं.........

†**उपाध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय मंत्री किसी संशोधन को स्वीकार करते हैं?

†**श्री हजरनवीस**: जी नहीं।

†**श्री पालीवाल**: मुझे आशा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।

जिस प्रकार सरकार ने इस विधेयक को अस्वीकार करने के हेतु तर्क दिये हैं उस से मुझे सन्तोष नहीं हुआ। मैं चाहता था कि यदि इस विधेयक को स्वीकार न भी किया जाय फिर भी भविष्य में इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया जाना चाहिये था।

यह कहना कि राज्यपाल स्वेच्छाचारी शासक होगा और अनुत्तरदायी होगा, गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से की जाती है इसलिये वह अपनी कार्यवाहियों के लिये राष्ट्रपति के प्रति सदैव उत्तरदायी होगा और गृह मंत्रालय भी उनकी कार्यवाहियों पर निगरानी रख सकता है क्योंकि उसी के परामर्श से राज्यपाल नियुक्त किये जाते हैं। यदि वह कोई अनुचित कार्यवाही करता है तो उसे सुधार के लिये कहा जा सकता है।

†**श्री हजरनवीस**: किस उपबन्ध के अन्तर्गत?

†**श्री पालीवाल**: उसके लिये आप संशोधन का सुझाव दे सकते थे। मैं ऐसे संशोधन को स्वीकार करने को अब भी तैयार हूं।

इस संशोधन पर एक आपत्ति यह की गई है कि यह हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अथवा राज्य स्वायत्तता के विरुद्ध है। परन्तु इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि राज्य स्वायत्तता एक

†मूल अंग्रेज़ी में

सीमित स्वायत्तता है और भारतवर्ष एक संघ नहीं है। यह बात यदि हम संविधान तैयार करते समय जो इस संघ बनाने संबंधी संशोधन प्रस्तुत किये गये थे और जो अस्वीकार किये गये थे उन से भी विदित होती है। उस समय डा० अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से देश को विभिन्न राज्यों में विभक्त किया गया है परन्तु वास्तव में यह देश अखंड है।

यह संघीय संविधान नहीं है इस का एक प्रमाण यह है कि राज्य संविधान द्वारा स्थापित किये गये थे, अतः वह स्वतंत्र नहीं था। इस के अतिरिक्त हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को प्राप्त हैं। संघीय संविधान के अनुसार दो प्रकार की नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता और संघ की नागरिकता। परन्तु भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता है। इसलिये किसी दृष्टिकोण से भी हमारा संविधान संघीय नहीं है।

अनुच्छेद १६३ के अनुसार राज्यपाल को कुछ स्वविवेक शक्तियां दी गई हैं। इसलिये मैं संविधान में कोई नया तत्व लाने के लिये नहीं कह रहा हूं। अनुच्छेद ३७१ के अनुसार राष्ट्रपति बम्बई के बारे में राज्यपाल के लिये किन्हीं विशेष उत्तरदायित्वों का उपबन्ध कर सकते हैं। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि कुप्रशासन को रोकने के लिए राज्यपाल को शक्तियां देना गृह मंत्रालय के स्वविवेक पर हो।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और अगर अब नहीं तो भविष्य में निश्चय ही उसे इस प्रकार का विधेयक लाना पड़ेगा। गैर-सरकारी पक्ष की सभी बातों को गलत नहीं समझा जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखा जाय ?

†**श्री पालीवाल** : मुझे इसे वापिस लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दो संशोधन हैं। एक संशोधन श्री सिद्धेश्वर प्रसाद का है। वह उपस्थित नहीं हैं।

†**श्री पालीवाल** : मैं ने संशोधन को पहले ही स्वीकार कर लिया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : फिर भी मुझे इसे मतदान के लिये रखना है। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं परन्तु सभा इसे अस्वीकार कर सकती है। मैं अब श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दूसरा संशोधन अवरुद्ध है।

क्या श्री पालीवाल को अपना विधेयक वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

†**कई माननीय सदस्य** : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खान संशोधन विधेयक

(धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा खान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेगी । श्री स० चं० सामन्त ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खान विधेयक, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं खान विधेयक, १९५२ की धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२(ग) और ७३ में संशोधन करना चाहता हूं । न्यायालयों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के विषय में उदार दृष्टिकोण अपनाया है । इसलिये न्यूनतम दण्ड निर्धारित करने के लिये यह उपबन्ध किये जा रहे हैं ।

]डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं ।]

मैं धारा १२ का भी संशोधन करना चाहता हूं जिस से खान बोर्ड की बठकें वर्ष में कम से कम दो बार हो सकें ।

१९५९ में श्री नन्दा ने इस अधिनियम के संशोधन प्रस्तुत किये थे । उस समय सदस्यों ने दण्ड की मात्रा बढ़ाने का तीव्र विरोध किया था । किन्तु वह अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहे । आश्चर्य की बात थी कि उस समय दण्ड की मात्रा को बढ़ा कर दुगुना अथवा तिगुना करने का प्रस्ताव था । किन्तु उन्हों ने विभिन्न तर्क प्रस्तुत कर के अपने प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया । उन सब का सारांश यह था कि अधिनियम के अधीन अब तक किये गये अर्थदण्डों की मात्रा अत्यन्त कम है और इस प्रकार इस अधिनियम के प्रभाव को और इस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के आशंकित खतरों के गंभीर स्वरूप को देखते हुए दण्ड की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि कैद की सजा किसी भी मालिक अथवा प्रबन्ध को नहीं दी गई । इस प्रकार यदि स्थिति में सुधार होने के लक्षण दिखलाई नहीं देते तो फिर सरकार का ही यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस विषय में कुछ करे । इसलिए मैंने अर्थदण्ड अथवा कैद की न्यूनतम सीमा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव किया है । इस विषय में केवल एक रुपये का जुर्माना कर देना पर्याप्त नहीं होगा जैसाकि अक्सर किया गया है । खान में काम करने वाले मजदूर का जीवन कितने संकट में रहता है ? तब यदि कोई मालिक अथवा प्रबन्धक ऐसे नियमों या विनियमों का उल्लंघन करे, जिन से मजदूरों के जीवन की रक्षा की जा सकती हो, तो क्या एक रुपये का जुर्माना पर्याप्त होगा ? इसलिये न्यूनतम दण्ड निर्धारित कर देना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।

गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक में यदि कोई त्रुटियां हों तो सरकार को चाहिये कि उन्हें दूर करे । सरकार को पहले ही देख लेना चाहिये कि विधेयक में कौन सी त्रुटियां हैं ।

सन् १९५९ में जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब मैं इस के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों से सहमत नहीं था मेरा विचार था कि इन उपबन्धों के साथ ही खान-मजदूरों को प्रशिक्षण देने

†मूल अंग्रेजी में

की व्यवस्था भी की जाये, जिस से वह अपने आप को दुर्घटना से बचा सके। मैं जानना चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

उस समय श्री अरविन्द घोषाल ने कहा था कि श्रम मंत्री के कथन के अनुसार ९० प्रतिशत मामलों में दण्डाधीश बहुत हलकी सजा देते हैं। मंत्री महोदय ने इस बात का खंडन नहीं किया। जब यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है तब हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि न्यूनतम दण्ड निर्धारित करें।

मेरे माननीय मित्र यह आपत्ति भी कर सकते हैं कि इस में विधि सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां हैं, न्यूनतम दण्ड निर्धारित कर के हम दण्डाधीशों की शक्तियों में हस्तक्षेप करेंगे। किन्तु उन से मेरा निवेदन है कि जब अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उन की शक्तियां नियंत्रित नहीं होतीं तो फिर न्यूनतम सीमा निर्धारित करने से किस प्रकार हो जायेंगी। मैं ने कई अधिनियम पढ़े हैं और उन सब में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। मंत्री महोदय विधि मंत्रालय से परामर्श कर के इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लें अथवा अपनी कठिनाइयां हमें बतावें।

मेरा दूसरा संशोधन खान बोर्ड के सम्बन्ध में है। धारा १२ के अधीन एक खान बोर्ड की स्थापना की गई है; किन्तु एक वर्ष इस की बैठक होती है और अगले वर्ष नहीं होती। इसलिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि वर्ष में २ बार बैठकें की जायें।

यह भी हास्यास्पद है कि प्रबन्धक को दण्ड दिया जाता है और मालिक बच जाते हैं। वह प्रबन्धकों को काफी वेतन देते हैं, इसलिये वह अपराध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिये हमें बीच के व्यक्तियों को हटा देना चाहिये केवल सरकार, मालिक और मजदूर रहें। इस से आपस के सम्बन्धों में सुधार होगा और दुर्घटनायें कम होंगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह संशोधन उनके चिनाकुरी खान दुर्घटना के अपने अनुभव पर आधारित है। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। यदि इस से दुर्घटनायें बिलकुल समाप्त न हुईं तो भी कम अवश्य हो जायेंगी।

आज श्रम उपमंत्री ने कहा था कि रानीगंज क्षेत्र की खानों में, जबकि एक विशेष खान में सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, दो दुर्घटनायें हुईं और दो मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस के पहले बालिहारी खान में हुई एक दुर्घटना में ६ मजदूरों की मृत्यु हुई थी। अब आप हमारी भावनाओं का अनुमान लगाइये। आश्चर्य की बात है कि सुरक्षा सप्ताह मनाते समय ही दुर्घटनायें हुईं। यह तो केवल उदाहरण ही हैं। उचित विश्लेषण किये जाने पर पता चलेगा कि इन खानों में बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। धनबाद क्षेत्र में ही ७-८ दिन में ५ दुर्घटनायें हुईं।

आपातकाल में प्रधान मंत्री के आह्वान पर मजदूरों ने अधिक उत्पादन आरम्भ कर दिया। किन्तु मालिकों ने श्रम मंत्रालय के उदास रुख को देख कर उन से अधिक काम लेना आरम्भ कर दिया। उन्हों ने विरोध किया तो उन्हें निकालने की धमकी दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मालिकगण सरकार से मूल्य बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं । सभा में कई बार मुझ से कहा गया है कि मूल्यों को बढ़ाते समय मजदूरों की मजूरी बढ़ाने ा भी ध्यान रखा जाता है । किन्तु मालिक किसी भी करार का ध्यान नहीं रखते यह बातें रोकने के लिये दण्ड सम्बन्धी खण्ड में सुधार करने की आवश्यकता है माननीय सदस्य ने अपने संशोधनों में न्यूनतम दण्ड निर्धारित करने का उपबंध रखा है ।

उन का एक संशोधन यह भी है कि खान बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार हों । कभी कभी गणपूर्ति नहीं होने से बैठकें नहीं होतीं । इसलिए उन का सुझाव है कि यदि गणपूर्ति न हो तो सारे प्रश्नों का निर्णय उपस्थित व्यक्तियों के बहुमत से होगा ।

इस बोर्ड में प्रतिनिधि होते हैं । मजदूरों के प्रतिनिधि भी होते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस समय मजदूरों के कितने प्रतिनिधि इस बोर्ड में हैं ।

आपात काल की आड़ लेकर इस समय मालिक कोई समझौता करने के लिये तैयार नहीं है । इससे असंतोष फैल रहा है और दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है । यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो और भी दुर्घटनायें हो सकती हैं ।

†**सभापति महोदय** : श्री दीनेन भट्टाचार्य ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा): मैं बोलना चाहता था । श्री दीनेन भट्टाचार्य ने भाषण देने के लिये मेरा नाम भेजा था ।

मैं यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए श्री सामन्त को बधाई देता हूं । मुझे खान मजदूरों की स्थिति के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माननीय मंत्री उस क्षेत्र से संबंधित होने के कारण और खान मजदूरों के धार्मिक संघ के अनुभवी नेता होने के कारण, काफी कुछ जानते होंगे । किन्तु दूसरे देशों में खान मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी है । मैं हाल ही चैकोस्लेवाकिया गया था । वहां मैंने देखा कि दुर्घटनाओं के प्रति अधिकारीगण अत्यन्त सतर्क रहते हैं और दुर्घटनायें कदाचित ही हो पाती हैं । वहां पर खान मजदूरों को मंत्री से भी अधिक वेतन मिलता है । और हमारे देश में खान मजदूरों की स्थिति तो सर्व विदित है ही ।

खान मालिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं देते । यदि मैंने विधेयक का रूप तैयार किया होता तो मैं नियोक्ताओं के लिये अधिक कड़े दण्ड का उपबन्ध करता, क्योंकि वह सैकड़ों खान-मजदूरों की मृत्यु के लिय उत्तरदायी हैं । किन्तु प्रस्तुत संशोधन में मेरे माननीय मित्र ने अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया है । मुझे आशा है कि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा ।

खान निरीक्षालय के सम्बंध में सैकड़ों शिकायतें सरकार के पास आती हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

निरीक्षकागण खानों का निरीक्षण करके अपने कार्यालय में लौट आते हैं, नियोक्तियां से कुछ वार्ता करते हैं और फिर यह जानते हुये भी कि भयानक दुर्घटना होने वाली है, चुप हो कर बैठ जाते हैं । इसलिये निरीक्षण की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिये कुछ आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिये गवेषणा के सम्बंध में कौन से कदम उठाये गये हैं ।

बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधि होने के सम्बंध में अधिनियम में उपबन्ध हैं । किन्तु कभी कभी संघों की परस्पर प्रतिस्पर्द्धा इस मार्ग में एक रुकावट बन जाती है । इसलिये वास्तविक प्रतिनिधि बोर्ड में नहीं लिये जाते । मंत्री महोदय को चाहिये कि इस प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिये उचित उपाय करें ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : श्री भट्टाचार्य ने जिस भावोद्रेक के साथ विधेयक को प्रस्तुत किया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस विधेयक को अत्यन्त आवश्यक समझते थे । इस विधेयक के उपबन्धों से अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिये इन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

उन्होंने हर स्थिति में न्यनतम दण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है । वह खानों, उनकी कार्य-प्रणाली, मजदूरों की कठिनाइयों आदि से अच्छी तरह परिचित हैं । इसलिये उन्होंने अवश्य ही यह अनुभव किया होगा कि जिस रूप में न्यायालयों द्वारा खान-विधि का पालन किया जाता है, वह उस बात को नहीं रोक सकता जिसे रोकने का अभिप्राय है, क्योंकि दण्ड की मात्रा कम होने के कारण वह उस अपराध को दुबारा करने में नहीं हिचकिचाते । धारा ७३ के संशोधन में उन्होंने न्यूनतम अर्थ दण्ड की व्यवस्था नहीं की है । उसे वहां भी अन्य स्थानों के समान न्यूनतम अर्थ दण्ड ३०० रुपये, जोड़ दिया जाये ।

धारा १२ का संशोधन करके खान बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम २ बार करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है । मुझे पता नहीं कि इस बोर्ड का कार्य क्या है । किन्तु उन्होंने यह उपबन्ध रखा है कि गणपूर्ति न होने पर उपस्थित व्यक्ति ही बहुमत द्वारा मामलों पर विचार करें । इस का यह अभिप्राय है कि जब बैठक हो तो वह बिना कोई कार्य के गणपूर्ति न होने के कारण, स्थगित न की जाय । इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : इस विधेयक का प्रयोजन न्याययुक्त है । खानों में गम्भीर दुर्घटनायें होती हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान अधिनियम ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में समर्थ नहीं । दुर्घटनायें रोकने के लिये कारगर उपाय अपनाने की आवश्यकता है । मजदूरों को भूमि के गर्भ में काम करना पड़ता है । हर पग पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ता है । इसलिये उनके हितों और उनके जीवन की रक्षा के लिये उन की अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है । यदि प्रस्तुत विधेयक स्वीकार नहीं किया जाता तो अधिनियम का पालन इस ढंग से किया जाना चाहिये कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सके । कभी कभी २०-४० मजदूरों की मृत्यु हो जाती है । कभी कभी ऊपर की छतें टूट जाती हैं । इस विषय में कुछ किया जाना चाहिये । यदि किसी तरह इसे स्वीकार नहीं किया जा सके तो सरकार को चाहिये कि स्वयं एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करे, जिसमें इस विधेयक के प्रयोजन भी अन्तर्विष्ट हों ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, दो प्रकार की समस्याओं के कारण श्री सामन्त खान अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं । कुछ कठिनाइयां तो उन्हें कार्य प्रणाली में दृष्टिगत होती हैं और कुछ वह धारा १२ में एक संशोधन को जोड़ना चाहते हैं । इन संशोधनों पर मैं बाद में बोलूंगा जो मुख्यतया दण्ड से संबंधित हैं वह चाहते

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री र० कि० मालवीय]

हैं कि न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाये । वह संभवतः भूल गये हैं कि अधिनियम के साथ साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनमें वह सारे उपबन्ध निहित हैं जो वह धारा १२ के संशोधन से चाहते हैं ।

मैं पहले बारी बारी से एक एक खंड पर बोलूंगा और यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा कि वह सारे उपबन्ध जो वह संशोधनों के द्वारा जोड़ना चाहते हैं, पहले से ही नियमों में निहित हैं और किसी मात्रा तक यह अधिक अच्छे रूप में निहित हैं और अधिक राहत का उपबन्ध करते हैं । मैं सभा का ध्यान अधिनियम के अध्याय २ के अधीन नियमों की ओर आकर्षित करता हूं, जो खान बोर्ड के सम्बंध में है उपखंड (क) में उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होंगी ।" खान अधिनियम के नियम ११ में यह दिया गया है कि:

"सभापति द्वारा नियुक्त समय और स्थानों पर बोर्ड की बैठकें होंगी"

इसलिये वर्ष में होंने वाली बैठकों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है । किन्तु वह नियंत्रित करके इस संख्या को दो कर देना चाहते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कम से कम दो ।

†**श्री र० कि० मालवीय** : तब उन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है । बैठकों की संख्या अधिक भी हो सकती है । यह सभापति को पूर्ण अवसर देता है कि वह वर्ष में कितनी ही बैठकें करे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : किन्तु फिर भी बैठक नहीं होती । इसीलिए मैंने संशोधन रखा है कि कम से कम दो बैठकें हों ।

†**श्री र० कि० मालवीय** : इसके अतिरिक्त उप-खंड (ख) में उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि

"सभापति अथवा उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति खान बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा" ।

मैं खान नियमों के नियम १३ की ओर उन का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसमें यह कहा गया है कि :

"सभापति प्रत्येक ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित है । यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हों तो प्रस्तुत सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिये अपने में से किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे और इस तरह निर्वाचित सदस्य बैठक में सभापति की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा" ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : (नागपुर) : बैठक का आयोजन कौन करेगा ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : सभापति । सदस्य सभापति के पास जा कर बैठक करने के लिये उन से आग्रह कर सकते हैं ।

संशोधन करने वाले विधेयक के खण्ड २ के उप-खण्ड (ग) में कहा गया है कि :

"खान बोर्ड की बैठक में प्रश्नों का निर्णय, उपस्थिति और मत देने वाले व्यक्तियों के बहुमत से किया जायेगा ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सभा का ध्यान खान अधिनियम के खण्ड १५ (२), (३) और (४) की ओर आकर्षित करता हूं ।

नियम १५ में यह कहा गया है

"(१) जब तक सभापति नियम १० के उपनियम (२) के अनुसरण में इस पर बैठक में ही विचार किये जाने के लिये न कहे, पत्रों के परिचालन द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक प्रश्न पर बहुमत की राय के अनुसार, जो वह निर्धारित समय में ही भेज देंगे, निर्णय किया जायेगा ।

(२) बोर्ड की किसी बैठक को निर्दिष्ट प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों द्वारा, बहुमत से किया जायेगा ।

(३) मतों अथवा राय के सम विभाजन की स्थिति में सभापति एक अतिरिक्त मत अथवा राय का प्रयोग करेगा ।

(४) कोई भी सदस्य, यदि बोर्ड के निर्णय से सहमत न हो तो, एक विमति टिप्पण देगा, जो कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा ।"

इस प्रकार जिस बहुमत के निर्णय की व्यवस्था वह संशोधन द्वारा करना चाहते हैं वह पहले से ही नियम १५ में निहित है । इसके अतिरिक्त विमति टिप्पण को वृत्तान्त में सम्मिलित करने का भी उपबन्ध है । यह माननीय सदस्य की उन सब अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो वह संशोधन द्वारा चाहते हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

संशोधक विधेयक के खण्ड २ (क) में उपबंध है कि खनन बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की एक-तिहाई संख्या से होगी । नियम १४ में यह उपबंध है कि जब तक ४ सदस्य उपस्थित न हों बैठक का कार्य नहीं हो सकता और सभापति उस बैठक को १४ दिन तक के लिए स्थगित कर देगा तथा अगली बैठक की सूचना दे देगा । यह नियम संशोधन विधेयक की अपेक्षा अधिक लाभकारी है क्योंकि बोर्ड के प्रायः ७ सदस्य होते हैं जिन में ३ सरकारी प्रतिनिधि होते हैं । संशोधक विधेयक के अनुसार ३ सदस्यों से गणपूर्ति हो जायगी । तब तो केवल सरकारी सदस्य ही मिल कर निश्चय कर सकते हैं । किन्तु ४ सदस्यों का उपबंध करने से कम से कम एक सदस्य मालिकों या कर्म-चारियों का प्रतिनिधि होगा ।

खण्ड २ के उपबंध भी पहले ही नियमों में विद्यमान हैं ।

खण्ड ३ से ८ द्वारा अधिनियम की धारा ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ में संशोधन किया जाना है जिन में गलत अभिलेख तैयार करने, योजनाएं और विवरण आदि तैयार न करने, साप्ताहिक छुट्टी आदि की अवहेलना, दुर्घटनाओं की सूचना न देना, विधि की अवहेलना जिस से जान हानि या चोट पहुंचे और ऐसे उपबंधों की अवहेलना जिन के लिए कोई दण्ड उपबंधित न हो, सम्बन्धी अपराधों के बारे में उपबंध हैं । माननीय सदस्य का विचार है कि जब तक न्यूनतम दण्ड का उपबंध न हो अधिनियम का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । पहले खान अधिनियम के बारे में जो १९५९ में लाया गया था यही अनुभव किया गया था और १९६० में उन के संशोधन प्रस्तुत किये गये थे ।

संशोधन के उपरांत यह अध्ययन किया गया है कि न्यायालयों द्वारा दिये गये दण्ड अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय अधिकतम दण्ड की तुलना में बहुत कम हैं । श्री सामंत का यह कहना ठीक

[श्री र० कि० मालवीय]

है कि सरकार स्वयं ऐसा विधेयक लाने का विचार कर रही है जिस द्वारा अधिनियम के कुछ पहलुओं का संशोधन किया जायेगा और न्यूनतम दण्ड का उपबंध किया जायगा।

सरकार ने विशेष रूप से श्रमिकों सम्बन्धी विधान लाने के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया अपनाई है और संविधि के किसी भी विधानको श्रमिकों और मालिकों की सलाह के बिना अधिनियमित नहीं किया गया। हम त्रिपक्षीय समिति की बैठक बुलायेंगे और सब संशोधनों पर विचार कर एक व्यापक विधेयक लायेंगे जिस से न केवल मेरे मित्र बल्कि श्रमिकों की आकांक्षाएं भी पूरी हो जायेंगी।

सरकार दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत सचेत है और उसने खनिकों को प्रशिक्षण देने के विभिन्न उपायों पर विचार किया है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में तो हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं और संविहित नियम बनाये जा रहे हैं और प्रबंधकों के लिए यह दायित्व रखा जा रहा है कि वे कामगरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दें। नियमों का प्रारुप टिप्पणियों के लिए शीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा। सब खानों के लिए सुरक्षा विनियम संहिता भी तैयार की जा रही है। उस का प्रारूप जल्दी ही प्रकाशित किया जायेगा।

यह बहुत संतोष की बात तो नहीं किन्तु सांत्वनाजन्य बात है कि तुलनात्मक दृष्टि से दुर्घटनाओं में कमी हुई है। १९६० की तुलना में दुर्घटनाएं कम हुई हैं और १९५१ से १९५५ तक तो ये ९४ प्रति हज़ार हुआ करती थीं। १९६१–६२ में यह ६५ प्रति हज़ार था। यह घोषणा करते हुए मुझे हर्ष होता है कि खान में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने के हेतु सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन की घोषणा कर दी है। यह शीघ्र ही लागू होगा। इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे विधेयक को वापस ले लें।

†**श्री स० चं० सामन्त :** मुझे हर्ष है और सभी सदस्य भी प्रसन्न होंगे कि सरकार अधिनियम में संशोधन करने वाली है। इस के लिए हम सरकार के आभारी हैं और मैं निवेदन करता हूं कि मुझे विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की सभा की अनुमति है?

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां, श्रीमान्।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

बीमा (संशोधन) विधेयक

(धारा ३१-क और ४०-ग का संशोधन)

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रजी में

इस विधयक को प्रस्तुत करने में मेरे तीन उद्देश्य हैं अर्थात् अधिनियम की त्रुटि को दूर करना, अधिनियम द्वारा होने वाला सामाजिक अन्याय दूर करना जो सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के साथ हो रहा है और कर्मचारियों को यह अधिकार देना कि वे अपने विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ले जा सकें ।

बीमा संशोधन अधिनियम की धारा ३१-क में उपबंध किया गया था कि बीमा कम्पनी वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार से अनुमति ले कर उनके वेतन के बराबर बोनस दे सकती है । इस उपबंध के होते हुए बीमा कम्पनियां वर्ष प्रति वर्ष कर्मचारियों को सामान्य रुप से बोनस देती रही है । फिर बीमा नियंत्रक के इस उद्देश्य से कि बीमा कम्पनियों को सरकार के साथ अधिक पत्र-व्यवहार न करना पड़े एक परिपत्र जारी किया था कि कम्पनियां यदि उनकी निधि घाटे में न हो तो अपने कर्मचारियों को दो मास के वेतन तक बोनस दे सकती हैं और यदि किसी कम्पनी ने पूर्व के वर्ष में २ मास से अधिक का बोनस दिया हो तो वह वही बोनस दे सकती है । इस से सरकार का अभिप्राय स्पष्ट हो ज[illegible] है कि वह उदार नीति को अपनाना चाहती थी ।

किन्तु जब हरकुलीस बीमा कम्पनी का [illegible] उच्चतम न्यायालय में आया तो मुसीबत पैदा हुई । उस कम्पनी के कर्मचारी १६५४—५५ के लिए बोनस मांगते थे । सरकार ने मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया । कम्पनी का कहना था कि यह विवाद न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि धारा ३१-क के अनुसार कम्पनी को सरकार की अनुमति लेनी होती है । इसके विरुद्ध ये तर्क दिये गये कि इस धारा से सरकार को केवल यह अधिकार प्राप्त होता है कि अधिकतम बोनस निर्धारित करे, इस से सरकार इस अधिकार से वंचित नहीं हो जाती कि वह ऐसे मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दे, किसी मामले में सरकार किसी बोनस को न्यायोचित समझ कर भी वास्तविक मात्रा निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण को मामला सौंप दे सकती है और किसी मामले में सरकार यह भी निश्चित कर सकती है कि कम्पनी को बोनस देना चाहिये । किन्तु अधिनियम में त्रुटि होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिया । इस से यह हुआ कि जो ककम्पनियां कर्मचारियों और उनकी संस्थाओं के साथ करार कर के उन्हें बोनस दिया करती थीं उन्होंने यह प्रक्रिया बन्द कर दी । इस प्रकार वे वास्तव में कर्मचारियों को दण्ड देने लगीं ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर्मचारी हैं और उन्हें अपने मामले औद्योगक विवाद में ले जाने का अधिकार है । हरकुलीस बीमा कम्पनी के मामले में उच्चत्तम न्यायालय ने निर्णय देते हुए स्वयं कहा था कि औद्योगिक न्याय में बोनस भी वैध अधिकार बन गया है । अधिनियम में यह त्रुटि है कि बीमा कम्पनियों के कर्मचारी अपने वैध अधिकारों से भी वंचित हैं । वे काफी समय से सरकार को अभ्यावेदन भेज रहे हैं कि अधिनियम में परिवर्तन किया जाये । सामान्य बीमा कर्मचारी संघ ने १४ दिसम्बर, १६६१ को सरकार को लिखा था किन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया ।

इसलिए मैं ने यह विधेयक पेश किया है । प्रश्न केवल यह रह जाता है कि यह देखना होगा कि कोई कम्पनी ऐसी वित्तीय स्थिति में है अथवा नहीं कि वह कर्मचारयों को बोनस दे । इसका उत्तर यही है कि इसके लिए कम्पनी को न्यायाधिकरण को संतुष्ट करना होगा । अतः मेरे संशोधन के अनुसार यह परन्तुक बढ़ाना होगा कि उपधारा का कोई उपबंध बोनस के भुगतान पर रोक नहीं लगायेगा ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दूसरा संशोधन धारा ४०-ग के सम्बन्ध में है कि कम्पनी के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखत कर्मचारियों को वेतन आदि के साथ बोनस भी देना होगा।

आशा है माननीय मंत्री इन संशोधनों पर साहनुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बीमा अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

केन्द्रीय मज़दूर संघों ने एक मत से औद्योगिक समझौता संकल्प अपना लिया है और कभी हड़ताल न करने का निश्चय किया है।

हम बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। हमें आशंका थी कि सामान्य बीमा त्रयपक्षीय करार का उल्लंघन करेगा। वही हुआ और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कम्पनियां कर्मचारियों को उन के वैध अधिकारों से वंचित कर रही हैं।

त्रयपक्षी करार के बाद आशा थी कि सभी कर्मचारियों को समझौते मध्यस्थता आदि का लाभ पहुंचाया जायेगा किन्तु उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। किन्तु क्या फिर भी वे हड़ताल करेंगे ? निस्संदेह आपातकाल में नहीं। किन्तु जीवन बीमा निगम में राष्ट्रीयकरण से पूर्व हड़तालें हुआ करती थीं जब कि अब उन कर्मचारियों की स्थिति में सुधार हो गया है।

मेरा सुझाव है कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित करना चाहिये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। १९५६ में बैंकों के कर्मचारियों के समक्ष भी ऐसी ही समस्या उपस्थित हुई थी किन्तु वे लोग इतने संगठित थे कि व सरकार पर पूरा दबाव डाल सके।

उच्चतम न्यायालय को तो लिखित निधि के अनुसार ही निर्णय देना होता है। किन्तु समझ में नहीं आता कि सरकार इतने समय से अधिनियम की त्रुटि को दूर क्यों नहीं कर सकी।

सरकार ने जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण करके एक अच्छा काम किया था और फिर यह आशा थी कि शीघ्र ही सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया जायेगा किन्तु न जाने ऐसे कौन से कारण हैं जिन से यह काम नहीं किया गया जब कि जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण बहुत सफल हुआ है और उसका धन उद्योगों में लगाया जा रहा है।

सरकार को यह संशोधन स्वीकार कर के कर्मचारियों और मालिकों के सम्बन्धों को सुव्यवस्थित करना चाहिये और बोनस के प्रश्न को हल करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा कल जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २० अप्रैल, १९६३/३० चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, १९ अप्रैल, १९६३
२९ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४६२१–५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९४१	नेरियामंगलम में पादप रासायनिक परियोजना .	४६२१–२३
९४२	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड .	४६२३–२५
४४३	भारतीय चाय प्रतिनिधि मण्डल . . .	४६२५–२७
९४४	कटनी में उर्वरक का कारखाना	४६२७–२९
९४५	राजकोट में आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र .	४६२९–३०
९४६	मोती, रत्न आदि सम्बन्धी निर्यात सलाहकार समिति .	४६३१–३२
९४७	बर्मा को कपड़े का निर्यात .	४६३३–३४
९४८	लेटिन अमरीकी देशों को निर्यात . .	४६३४–३६
९४९	इस्पात उद्योगों सम्बन्धी उत्पादकता दल	४६३६–३७
९५०	पश्चिम बंगाल में सीमेंट फैक्टरी . .	४६३७–३८
९५१	निर्यात गृहों के लिए विदेशी मुद्रा देना . .	४६३९–४०
९५३	टीटाघर जूट मिल नं० १ तथा २	४६४०–४१
९५४	तम्बाकू का आयात .	४६४१–४३
९५५	बिस्कुटों का निर्यात	४६४३–४५
९५६	पींपरी में अल्युमीनियम का कारखाना . .	४६४५–४६
९५७	ऊन की कमी . . .	४६४६–४८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का व्यापार . .	४६४८–५२

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४६५३–७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६५२	प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए मोटरगाड़ियां .	४६५३
६५८	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	४६५३
६५९	ट्रैक्टरों का निर्माण	४६५३–५४
६६०	इस्पात समकारी निधि .	४६५४
६६१	हथकरघा वस्त्र का निर्यात	४६५४–५५
६६२	रांची में बड़े आकार के मशीनी औजार	४६५५–५६
६६३	एशियाई साझा बाजार	४६५६
६६४	राजस्थान में सोडा एश कारखाना .	४६५६–५७
६६५	चीन द्वारा विदेशी कपड़ा मण्डियों में प्रतिद्वन्द्विता	४६५७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०७८	उत्तर प्रदेश में भारी इंजीनियरी परियोजनाएं .	४६५८
२०७९	बिहार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड . . .	४६५८
२०८०	उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग . .	४६५८–५९
२०८१	मुजफ्फरपुर (बिहार) का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	४६५९
२०८२	सप्लाई विभाग द्वारा खरीद .	४६५९–६०
२०८३	उड़ीसा में अम्बर चरखा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	४६६०
२०८४	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	४६६०
२०८५	उड़ीसा में सीमेंट की सप्लाई . .	४६६०
२०८६	विदेशी सहायता से उड़ीसा में उद्योग	४६६१
२०८७	उड़ीसा कपड़ा मिलों में तकुए और करघे	४६६१
२०८८	कच्चे लोहे का उत्पादन . .	४६६१–६२
२०८९	नेपाल के लिये आवागमन की सुविधाएं .	४६६२
२०९०	लक्ष्मी काटन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड .	४६६२
२०९१	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग	४६६३
२०९२	उत्तर प्रदेश में कुटीर और लघु उद्योग	४६६३
२०९३	बेल्जियम को हुक्के की तम्बाकू का निर्यात	४६६३
२०९४	कागज का उत्पादन	४६६४
२०९५	कपड़ा मिलें	४६६४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०९६	मक्का का आयात	४६६४–६५
२०९७	नया नंगल बस्ती	४६६५
२०९८	राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटरगाड़ियों की बिक्री	४६६५–६६
२०९९	घुवार विद्युत् परियोजना के लिए ट्रांसफारमर	४६६६–६७
२१००	पंजाब में खादी का उत्पादन	५६६७
२१०१	हथकरघा वस्त्र निर्यात संगठन	४६६७
२१०२	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड	४६६७–६८
२१०४	मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने	४६६८–६९
२१०६	केरल में उद्योगों को आरम्भ करने के लिए लाइसेंस	४६६९
२१०७	रूस में टैक्नीशियनों का प्रशिक्षण	४६६९–७०
२१०८	शाहदरा से कारखानों का स्थानान्तरण	४६७०
२१०९	खादी और ग्रामोद्योगों का विकास	४६७०
२११०	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	४६७०–७१
२१११	पंजाब में अम्बर चर्खा	४६७१
२११२	कच्चे लोहे का वितरण	४६७१–७२
२११३	रंगीन फिल्में	४६७२–७३
२११४	राज्यों को सीमेंट का आवंटन	४६७३
२११५	नालीदार लोहे की चादरों का आवंटन	४६७३
२११६	लोहे के पाइपों का आयात	४६७३–७४
२११७	कवचित चादर (आर्मर प्लेट) का निर्माण	४६७४
२११८	भारी बिजली सामान निगम	४६७४
२११९	वेरागुन्टला में सीमेंट का कारखाना	४६७४
२१२०	उर्वरक कारखाना	४६७५
२१२१	भारत के आयात और निर्यात का मूल्य	४६७५
२१२२	गुजरात राज्य में छोटे पैमाने के उद्योग	४६७४–७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		४६७६–७७

श्री यशपालसिंह ने १२ अप्रैल, १९६३ को मिटानी कोयला-खान में और १० अप्रैल, १९६३ को श्रीपुर कोयला-खान में हुई दुर्घटनाओं की ओर, जिनके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये और कई घायल हुए, श्रम और रोजगार मन्त्री का ध्यान दिलाया।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—क्रमशः

श्रम और रोज़गार उपमन्त्री श्री र० वि० मालवीय ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६७७

कॉफी अधिनियम, १९५२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८५ में प्रकशित कहवा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

विधेयक पारित ४६७७–७८

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६३ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन ४६७८–९४

वित्त विधेयक, १९६३ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . ४६९४

(१) दण्ड विधि संशोधन विधेयक, १९६३, (श्रीमती लक्ष्मी कान्तमा का)

(२) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३, (अनुच्छेद ३६८ का संशोधन) (श्री हरि विष्णु कामत का) ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक वापस लिये गये . . . ४७९५–४७०८

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (नया अनुच्छेद १५५—क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) के विचार करने के प्रस्ताव पर, जो ५–४–६३ को प्रस्तुत किया गया था, चर्चा जारी रही श्री टीकाराम पालीवाल ने चर्चा का उत्तर दिया, तथा विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

(२) श्री स० चं० सामन्त ने प्रस्ताव किया कि खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन) पर विचार किया जाय । उन्होंने चर्चा का उत्तर भी दिया विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन . . . ४७०८–१०

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रस्ताव किया कि बीमा (संशोधन) विधेयक, (धारा ३१-क और ४०-ग का संशोधन) पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, २० अप्रेल, १९६३/३० चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

वित्त विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना और अधिलाभ कर विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसका पारित किया जाना ।